राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

बुधवार;

20 फरवरी, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: राम-राम साहब, राम-राम।

अनेक माननीय सदस्य: जय राम जी की।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न संख्या 20।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कल से गतिरोध बना हुआ है।

राज्य में विद्युत उपभोग हेतु खरीद एवं आपूर्ति

20. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्वि हुई है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में हुई उत्पादन वृद्वि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में विद्युत आपूर्ति में भी वृद्वि हुई है। यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में की गई विद्युत आपूर्ति का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में आवश्यकतानुरूप विद्युत खरीद भी करनी पड़ती है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में की गयी विद्युत खरीद का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य में विगत दस वर्षों में कृषि एवं घरेलु विद्युत दरों में वृद्वि की गयी है? यदि हां, तो कब-कब? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सदन की नेता एक मिनट के लिये हाउस में नहीं आयी हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल चलने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए सदन की नेता हाउस में नहीं आयी हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वही तो सवाल कर रहे हैं ...(व्यवधान) आपके नेता को बोलने दें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पहले प्रश्नकाल चलने दीजिये ...(व्यवधान) प्रश्नकाल चलने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बहस करने का कोई मतलब नहीं समझ में आता है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है कि आप प्रश्नकाल पहले चलने दीजिये ...(व्यवधान) प्रश्नकाल चलने दीजिये ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सदन की नेता चूंकि राजस्थान की वित्त मंत्री भी हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिये ...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं ...(व्यवधान) हां, बोलें ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पहला सवाल है बिजली का, बिजली संबंधी सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, फिर बात करेंगे ...(व्यवधान) आपको मौका मिलेगा ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कांग्रेस के लोग ...(व्यवधान) हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता, प्रतिपक्ष बोलना चाहते हैं पहले। स्थान ग्रहण कीजिये, बीच में नहीं बोलें ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब सुनने दें ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में गतिरोध बना हुआ है ...(व्यवधान) गतिरोध दूर करने के लिए हाउस को आर्डर में लायें, फिर हाउस चलेगा ...(व्यवधान)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी हां। विगत पांच वर्षों में राज्य को 1871.52 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध हुई है जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। 1 जनवरी, 2003 को राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 4520.42 मेगावाट थी जो अब बढ़कर 6391.94 मेगावाट हो गई है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप व्यवस्था दीजिये, उसके बाद में हाउस चलेगा। आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हाउस तो आर्डर में है ही नहीं, कल भी पूरा दिन ऐसे ही गया और आज भी अगर आपकी तरफ से ...(व्यवधान)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): 1 जनवरी, 2003 को राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 4520.42 मेगावाट थी जो अब बढ़कर 6391.94 मेगावाट हो गई है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हाउस कैसे चलेगा ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल चलने दीजिये, प्रश्नकाल चलने दीजिये माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): (2) जी हां। राज्य में वर्ष 2003 में 2546 करोड़, वर्ष 2004 में 2939 करोड़, वर्ष 2005 में 3103 करोड़, वर्ष 2006 में 3222 करोड़ व वर्ष 2007 में 3467 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति की गयी है।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

(3) जी हां। रबी की फसल के लिये किसानों को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार विद्युत खरीदनी पड़ती है। वर्ष 2003 में 7 करोड़, वर्ष 2004 में 55 करोड़, वर्ष 2005 में 61 करोड़, वर्ष 2006 में 72 करोड़ तथा वर्ष 2007 में 141 करोड़ यूनिट की खरीद की गयी है।

(4) जी हां। गत 10 वर्षों में कृषि एवं घरेलू श्रेणी की विद्युत दरों में तीन बार वृद्धि की गयी जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। वर्ष 1999 तथा 2001 में कृषि एवं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की दरों में वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर डाला गया था परन्तु दिसम्बर, 2004 में बढ़ी हुई कृषि एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं की दरों का समस्त भार राज्य सरकार ने वहन किया है और इस हेतु रूपये 1114 करोड़ का पुनर्भरण विद्युत कम्पनियों को 2004-05 से 2007-08 तक किया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है, इस योजना से ...(व्यवधान) आप कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे, राजस्थान का बिजली विभाग कब तक अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा, मंत्री जी कृपया जवाब दें। जब केन्द्र से पूरा असहयोग हो रहा है जब केन्द्र से सहयोग नहीं मिल रहा है तो आप कब तक अपने पैरों पर खड़े हो जायेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अगला प्रश्न बोलें... (व्यवधान)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की विद्युत दरों में हमारी सरकार ने कोई भी वृद्धि नहीं की है, पिछली सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): तीन महिनों में खड़ी हो जायेगी सरकार अपने स्तर पर।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): कांग्रेस ने 80 प्रतिशत किसानों की बिजली के भाव बढ़ाये, हमारी सरकार ने अभी तक एक भी नया पैसा नहीं बढ़ाया है और हमारा विचार भी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 23.

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी जारी)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या राज्य सरकार बिजली की दरें बढ़ायेंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ना बढ़ायी है और ना बढ़ायेंगे।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चार साल में एक नया पैसा नहीं बढ़ाया है किसानों का और इस वर्ष भी हम कोई भी भार किसानों पर नहीं डालेंगे।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी जारी)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): धन्यवाद।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय मंत्री जी यह बतायें कि भारत सरकार ने राजीव गांधी विद्युतिकरण में कितना पैसा दिया और अगर नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया? भारत सरकार ने राजीव गांधी योजना में एक पैसा भी नहीं दिया, इस कांग्रेस की भारत सरकार ने।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी जारी)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी 33 योजनाओं में से खाली 17 योजनाओं को स्वीकृति मिली है और उसकी भी हमें पूरी राशि नहीं मिली है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया ...(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): हमारी सरकार बिजली में कौनसे साल तक आत्मनिर्भर हो जायेगी ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक साढ़े 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.08 बजे 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(12.30 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं स्थगन प्रस्ताव पढ़ कर सुना रहा हूं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पहले व्यवस्था कीजिए कि स्थगन प्रस्ताव होगा या स्थगन होगा। ...(व्यवधान)... यह सदन चलेगा नियम और कानून के अन्तर्गत ...(व्यवधान)... ।

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... आप बात तो सुनिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान)... यह सदन नियम और कानून के अन्तर्गत चलेगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: जोशीजी, बात सुनिए। ...(व्यवधान)... आपस में सहमति बन रही है, बातचीत हो रही है इसलिए सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.32 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

(13.02 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रही हूं कि दो दिन से हाउस को जिस हालत में रखा हुआ है, जिस इश्यू के ऊपर हम लोग इस डेडलाक पर पहुंचे है उस इश्यू के ऊपर हमने हमारे ए.जी. साहब की ओपिनियन ली है। वह ओपिनियन बड़ी क्लीयरली हमारे सामने आई हुई है। मैं चाहती हूं इस ओपिनियन को मैं टेबल आफ दी हाउस के ऊपर रखना चाहूंगी और साथ ही साथ मैं यह मानती हूं कि एक दफे सब यह पढ़ लें और पढ़ने के बाद आपको फिर ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात है जिसको आप डिसकस करना चाहते हैं उसके लिए या तो हाउस के अंदर अपन डिसकस कर सकते हैं या बाहर भी हमारे चेम्बर में, या स्पीकर साहब के सामने हम इसको बैठकर डिसकस कर सकते हैं। मैं समझती हूं कि इसमें ओपिनियन बहुत ही क्लीयरली निकला है उसको पढ़ने के बाद आप जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग करेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना से ज्यादा जरूरी यह है कि राजस्थान विधान सभा

(डा. सी.पी. जोशी)

संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चले। संविधान के आर्टिकल 208 के अन्तर्गत राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम बने हुए हैं उन प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत..(व्यवधान)..

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): इसमें मैं क्लीयरली यह कहना चाहती हूं कि बहस करना चाहते हैं तो वहां से भी बहस हो जाए, यहां से भी बहस हो जाए। यह मैं टेबल पर रख देती हूं उसके बाद विचार करके उसके बाद अंदर हाउस में बहस करना चाहें या बाहर बैठना चाहें, जैसा आप करना चाहें वैसा करें, परन्तु आप उसकी व्यवस्था दे दें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार चलती है अपने बिजनेस रूल्स के अन्तर्गत, विधान सभा चलती है राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और नियम के अन्तर्गत। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत स्पीकर महोदय ने जो रूलिंग दी है उस रूलिंग के अन्तर्गत हम कोई सरकार की मर्सी पर नहीं हैं। ..(व्यवधान).. उपाध्यक्ष महोदय, सदन चलता है नियम और कानून के अन्तर्गत। नियम और कानून.. (व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन की नेता ने कहा दिया है कि सदन को चलाना चाहते हैं। राजस्थान की पांच करोड़ जनता देख रही है। हम सदन चलाना चाहते हैं। ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप अपनी मेजोरिटी से नियम और कानून को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। नियम और कानून का इंटरप्रिटेशन मेजोरिटी से नहीं होता। ...(व्यवधान).. नियम और कानून का इंटरप्रिटेशन .. (व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजस्थान का दौरा करें। ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत आप आसन को चलाने के लिए अधिकृत नहीं हैं। आप अधिकृत हैं संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत, आर्टिकल 208 के अन्तर्गत राजस्थान विधान सभा ने जो नियम बनाये हैं उन नियमों की बाध्यता से आप हाउस चलाते हैं, आप सरकार की मनमर्जी से नहीं चलाते। उन नियमों को आप जब तक अमेण्ड नहीं करेंगे तब तक जो रूल का प्रोविजन है उस रूल के प्रोविजन को

(डा. सी. पी. जोशी)

मानना पड़ेगा। रूल के प्रोविजन के अन्तर्गत स्पीकर महोदय ने रूलिंग दी है यहां पर ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मिनिस्टर हैं। इसका इंटरप्रिटेशन विधान सभा के अंदर है वही इंटरप्रिटेशन राइट होगा। रूल्स के अंदर तो सरकार करती रहे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे फिर निवेदन करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टेंड है उस पर राज्य सरकार खेद व्यक्त करे। ..(व्यवधान).. जब सरकार के नोटिस में आ गया कि यह गलत काम हो रहा है तो अमेण्डमेंट करना चाहिए सरकार को। सरकार अमेण्डमेंट भी नहीं करे ..(व्यवधान).. यह नियम और कानून के अंदर चलेगी। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी यह बताएं आज दिन तक हाउस असेम्बल होने तक आपने एडवोकेट जनरल की राय क्यों नहीं ली थी, आज ही अलग क्यों आया? दो दिन हाउस चला ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्षः अब बहस किस बात की ? यह बहस किस बात की ? ..(व्यवधान).. किस बात की बहस कर रहे हैं आप? माननीय सदस्य, यह बहस किस बात की है ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नियम और कानून बने हुए हैं, सरकार की मनमर्जी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम बहस के लिए तैयार हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्षः आपने अपनी बात कह दी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपने अपनी बात कह दी। आपने कह दिया। इसमें क्या एतराज है? आपको एतराज क्या है इसमें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बहस के लिए तैयार हैं। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्षः माननीय जोशी जी। आपने कह दी अपनी बात। आपने अपनी बात कह दी। कह दी अपनी बात। ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के अन्तर्गत सरकार यदि खेद व्यक्त करे ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें बाध्य न करें। आप सदन की गरिमा को बनाये रखें। सदन की गरिमा को बनाये रखने की जिम्मेदारी स्पीकर की है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य हमेशा सदन को गुमराह करने का प्रयास करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी। कह दी आपने अपनी बात। माननीय सदस्य, आपने कह दी अपनी बात। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप नियम और कानून से ऊपर नहीं हैं उपाध्यक्ष महोदय। ..(व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये नहीं चाहते कि जनता के कोई मुद्दे हाउस में आये। कल्ला साहब नहीं चाहते।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही आगे चलाएं। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये किसी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रश्नकाल को भी इन्होंने खराब किया और जब सदन की नेता ने खुली चुनौती दे दी, तो इनमें हिम्मत है तो चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और चुनौती को स्वीकार करके भागना चाहते हैं, ये हंगामा करके समय बर्बाद करना चाहते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): विधान सभा नहीं चलेगी। विधान सभा नियम और कानून के अन्तर्गत चलेगी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, कोई जानकार पंडित से पतड़ा दिखवाकर यह पता करवाया जाए कि यह नया हाउस जबसे बना है इसमें गतिरोध ही रहा है। कोई जानकार पंडित से राय ले ली जाए कि यह गतिरोध कैसे समाप्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जब नियमों में अमेण्ड कर दिया ...(व्यवधान)... यह सारा मामला रूल्स कमेटी को रेफर कर दें। ...(व्यवधान)...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): यह राज अच्छा है या नहीं है यह जनता बताएगी, आपके बताने से नहीं होता है। ...(व्यवधान)... आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है ...(व्यवधान)... आपको तो आपकी पार्टी ने भी निकाल दिया। ..(व्यवधान).. आपकी पार्टी ने ही आपको ठुकरा दिया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वहां से ही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने सारी बात साफ-साफ कह दी।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): सरकार ने इस विषय पर राय हमारे समक्ष रख दी है।

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी। आप मेरी बात सुनें .. (व्यवधान)..

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, विधि विशेषज्ञ की राय सरकार ने हमारे समक्ष रखी है। ..(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य: कांग्रेस जनता विरोधी पार्टी है। ..(व्यवधान)..

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): विधि विशेषज्ञ की राय आने के बाद सदन यह तो जाने कि वह राय क्या है। उस पर चर्चा की जा सकती है। ये गतिरोध दूर नहीं करके समय बर्बाद कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप रूल्स कमेटी को रेफर करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने सारी बात साफ कह दी है ..(व्यवधान).. सदन की नेता ने साफ कहा, यह जो एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट है, इस पूरे मामले में। ... (व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस बात पर। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात सुनेंगे, पहले बोल रहे हैं मंत्री आप उनके बोलने के बाद बोलो। माननीय सदस्य, मैंने पहले उनको अलाउ कर दिया। आप बात सुनिए। इसी बात की बहस हो रही है, आप सुनना नहीं चाहते। माननीय सदस्य,आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं, आपकी कोई बात अंकित नहीं होगी। माननीय सदस्य, पहले पार्लियामेंटरी मिनिस्टर खड़े हो चुके हैं और मैंने उनको अलाउ कर दिया। आपको मौका दिया जाएगा, बीच में नहीं। आप स्थान ग्रहण कीजिए, अंकित नहीं होगा यह।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता है कि प्रतिपक्ष विधान सभा से भागना चाहता है। यह पहली बार है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि प्रतिपक्ष विधान सभा में बहस सुनने को तैयार नहीं है। सदन की नेता ने स्पष्ट कह दिया, पूरे पांच करोड़ राजस्थान की जनता आज इस सदन की कार्यवाही की तरफ देख रही है। आज दो दिन हो गये, उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा विषय जो संविधान के प्रावधानों से जुड़ा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उस पर कानून है और कानून ...(व्यवधान)... एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट को टेबल किया है और उस रिपोर्ट के आधार पर उसके बाद भी अगर प्रतिपक्ष उसमें बहस करना चाहें, चाहे सदन में बहस करें, सदन के बाहर बहस करें, आपके चेम्बर में बहस करें उसके लिए सत्ता पक्ष बिलकुल तैयार है।

एक माननीय सदस्य: ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आगे का बिजनेस पुकारें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की नेता ने साफ साफ कह दिया बहस करना चाहें तो सदन में तैयार हैं, सदन के बाहर तैयार हैं, उसके बाद भी यह मुद्दा...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यदि माननीय सदस्य, बार-बार आप वही बात दोहरा रहे हैं, आपने बात कह दी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आप बिना परमिशन बोले हैं। आपको परमिशन नहीं दी, आपका कुछ अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य,आपने कह दी अपनी बात, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप बैठ जाइए, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बिना परमिशन बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। मैं परमिशन दूंगा, आप समय मांगें, आपको बहस

(श्री उपाध्यक्ष)

करनी है तो आपको समय दिया जाएगा। ...(व्यवधान)... आप कर रहे हैं नियम की बात ? बहस होगी, आप बीच बीच में चलते चलते, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। ...(व्यवधान)... तो ठीक है, बात आ गई आपकी। आप बिना परमिशन बोल रहे हैं, अंकित नहीं होगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि जो भी विषय आपके सामने इस समय सदन में है और जिसके कारण से पिछले दो दिन से चर्चा रूकी हुई है, आखिर इसका कोई न कोई रास्ता निकाल कर हमको सदन को आडर में लाने की मंशा आपकी भी है और हमारी भी है। मैं सोचता हूं, इसमें विवाद कहां रहा जब मुख्य मंत्री जी ने ...(व्यवधान)... एक सैकण्ड, मेरी बात सुन लें, आपको समझ में आए तो वह तो ठीक है। जब आपने यह कह दिया कि ए.जी. की राय जो है, वह मैं सदन के पटल पर रखती हूं, आप लोग उसे पढ़ लें और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कोई विरोधाभास है या इसमें कहीं कमी खामी है तो बहस के आधार पर अगर बात को अपनी रखना चाहें तो रख लें।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): व्यक्तिगत मिल कर के बात करना चाहें किसी बिन्दु पर कि यहां इसमें यह कानूनी पेचीदगी है और यह इसका रास्ता है तो मिल बैठ करके उसका रास्ता तय किया जा सकता है। निर्णय तो आप और हमको मिल कर के ही करना पड़ेगा और इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और हाउस को आर्डर में लाना होगा। हमारी और सदन की नेता की मंशा यह है कि हाउस चले। जनता ने जिस दृष्टि से हमको यहां भेजा है उसकी पूरी पालना करें और किसी के मन में यह नहीं है कि हाउस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं चले। अगर किसी बिन्दु पर हमारी भिन्नता है तो हम समझ लें और समझने की कोशिश करें और उसके आधार पर जो भी हल मिल बैठ कर के निकालना चाहें, कानूनी अगर उसमें कोई पेचीदगी है और उसमें आप अपनी तरफ से कोई चीज कहना चाहें तो जरूर कहें ताकि उसको सुन कर के समझें और एक सार्थक चर्चा भी हो क्योंकि यह कानूनी मुद्दा आकर के जब अटक गया है तो चर्चा से ही उसका हल निकलेगा। यहां निकालना चाहें, यहां निकालें, बाहर अगर आपके वेश्म में बैठ कर के वहां चर्चा करना चाहें, वहां करें और उसके बाद उसका जो रास्ता आपको और हमको दोनों को मिल कर के निकालता है वह रास्ता निकालने की कोशिश करें तो मैं सोचता हूं कि हम ठीक तरह से उस चर्चा को आगे बढ़ा सकेंगे। मेरी प्रार्थना अगर आप स्वीकार करें तो यह है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी की बात को आगे बढ़ाते हुए एक निवेदन करना चाहूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हुई हैं, आप उनका पंडारा बाक्स खोलेंगे कि हर व्यवस्था के ऊपर आप एडवोकेट जनरल की राय लेंगे क्या? जो 29 फरवरी, 2005 को अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि संसदीय सचिवों को मंत्रिमण्डल का सदस्य मानते हुए ओम बिरलाजी को बिल पायलेट करने के लिए किया और यह प्रोसीडिंग में है, अध्यक्षीय व्यवस्था है। अगर आप ए.जी. की रिपोर्ट लाएं, इसका मतलब यह हुआ कि जितनी बार आसन से व्यवस्था दी गई है, सब पर ए.जी. की लाय लेंगे क्या ? यह नया पंडारा बाक्स खोलेंगे ?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आप खाली उसको पढ़ तो लें, यह सब जो आपको दुविधाएं हो रही हैं, वह एक दफा के लिए उसमें खतम हो जाएंगी। जो आपके हाउस के इश्यूज हैं वह सब चीज को उसमें टेकल, डील किया है, आप एक दफा पढ़ लें न। उसको पढ़ने के बाद मैंने यह कहा क्लियरली हाउस के अन्दर कि पूरे हाउस को रैंथम पर रखने के बजाय सब की निकालें जब अपने ऊपर हैं तो एक दफा या तो उसके अन्दर अपन इसकी बहस करके खतम कर लें या अपन बाहर बैठ कर के इसको सुलझाने की कोशिश करें। रास्ता जैसा अभी आपको होम मिनिस्टर साहब ने कहा, निकालना अपने को है, यह आपको और हमको दोनों को निकालना है तो यह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आर्ग्यूमेंट अपन बार-बार एक विसियस साइकिल में कम्पलीट करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्षः इसमें आब्जैक्शन की क्या बात है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप मेरी बात को सुन लें। आब्जैक्शन यह है कि हाउस सम्मन होने के समय तत्कालीन जो हमारे स्पीकर महोदय जी थे उनसे हम मिले थे और उन्होंने एडवोकेट जनरल की राय के लिए सरकार को भेज दिया। सरकार आज लाकर के ले कर रही है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ...... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप सदन की.... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): काहे को बोलें। (व्यवधान) काहे को पढ़े। (भारी व्यवधान)

एम माननीय सदस्य : ...... तय कर लिया है कि हाउस को चलने नहीं देना है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है, यह राजस्थान की विधान सभा है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह विधान सभा है, यह मुख्य मंत्री के +++ नहीं है। यह विधान सभा है। (भारी व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिजनैस चलाना चाहते हैं? (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप हाउस नहीं चलाना चाहते? आप हाउस नहीं चलने देंगे? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): चलाना चाहते हैं। कौन कहता है कि नहीं चलाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप किसी की बात सुनें तो सही। (व्यवधान) उस बात पर आपको क्या एतराज है वह बताओ। आपने गवर्नमेंट से जवाब मांगा था। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आप बिजनैस लीजिये। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था करिये। आगे सदन का काम चलाइये। (व्यवधान) राज्य की जनता को एक आदमी रेन्सम पर नहीं रख सकता। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार किसी भी स्टेज पर जाने के लिए तैयार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में बात मत कीजिये। माननीय सदस्य, आप आसन की बात सुनना नहीं चाहते। बैठ जाइये। आप आसन की बात नहीं सुनना चाहते। आप मुझे बोलने दीजिये। आप आसन को बोलने दीजिये। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो भी कहना है नेता प्रतिपक्ष कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी ने राय मांगी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा, विधान सभा अध्यक्ष ने राय मांगी थी और उनकी मांग पर मांगी थी। एडवोकेट जनरल की जो ओपीनियन आई है, विधान सभा सैक्रेटरी को भेजा है। यह विधान सभा अध्यक्ष जी ने मांगी है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह क्या हो रहा है आपको, ये नहीं देख रहे हैं जो वो खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह स्पीकर महोदय की तरफ से राय मांगी गई थी और आपका रिप्रजेंटेशन आने के बाद मांगी गई थी। उसके ऊपर राय आई है, आप इस राय को पढ़कर के.....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह कोई बात है, आज क्यों आई है? आज क्यों आई है? आज क्यों आ रही है यह बता दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): राय लेने में टाइम लगता है तो लगता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसमें कोई समय सीमा तय नहीं थी। एडवोकेट जनरल ने अपनी मेहनत करके जो उन्होंने टाइम लिया वह टाइम उनको दिया गया और उन्होंने अपनी राय भेजी है। आप इस राय को देखिये और उसके बाद भी बहस करना चाहेंगे तो आपको बहस का मौका दिया जाएगा। इसमें कौनसी दिक्कत आ गई?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट अलाऊ करेंगे? आप बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह तीन दिन से विधान सभा में गतिरोध बना हुआ है और कोई समस्या का मुद्दा यहां पर उठाया नहीं जा सका, बहुत ही दुःख की बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कल भी इस पर बोलना चाहता था, आपने मुझे अनुमति भी प्रदान की पर आपकी अनुमति के बावजूद भी सत्ता पक्ष ने मुझे बोलने नहीं दिया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके लोगों ने।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे बोलने की अनुमति हो और आप इनको चुप रखें तो मैं बोलूं नहीं तो फिर बोलने से कोई फायदा नहीं, बाकी तो चल ही रहा है जैसा चल रहा है।

श्री उपाध्यक्षः कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो उपाध्यक्ष महोदय, कल ही आपने मुझे अनुमति दी और आपकी अनुमति का कुछ नहीं हुआ, आपकी अनुमति के बावजूद भी मैं एक शब्द नहीं बोल सका और मुझे बोलना था वो बोलने से वंचित रहा। बड़ी कृपा हुई आपकी कि अभी आपने मुझे अनुमति दी। बीच में उन्होंने फिर व्यवधान शुरू किया, आपने इनको रोका या इन्हें ईश्वर ने सद्बुद्धि दी कि ये चुप हो गये। मुख्य मंत्री जी, इसमें हंसने की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः शांत रहिये। शांत रहिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह हमारे लिए बहुत सोचने की बात है, मरण की बात है। यह विधान सभा है और आपको और हमको जनता ने इसलिए नहीं भेजा कि अपन यहां पर जूतम-फांक करें। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): देखिये, यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। आपको जो बोलना है वह बोल दीजिये न। आपने अभी यह प्रतिक्रिया, यह हुआ, आप बोल दीजिये। हमको अगर दुःख नहीं होता तो इतने हल्ले के बावजूद हम इस हाउस में आकर इसको रोकने की कोशिश नहीं करते। हम बार बार आपको कह रहे हैं, आपने ओपीनियन मांगी है, स्पीकर महोदय ने ओपीनियन मांगी है वह ओपीनियन आ गई है, वह ओपीनियन आपके सामने रखी हुई है। पूरे अख़बार लिख रहे हैं, पूरा प्रदेश हमें देख रहा है कि यहां किस तरीके से क्या हो रहा है, हम लोगों के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, हम लोगों को शर्मिन्दा होना चाहिए इसके ऊपर। हम कह रहे हैं कि बैठकर के बात करिये। (व्यवधान) माफी किस बात की? यहां आपके सामने ओपीनियन आई हुई है, मैं क्या कह रही हूं आपको, पढ़िये ओपीनियन और उस ओपीनियन को पढ़ने के बाद आपको जो बहस करनी है वह करिये, उस बहस का जवाब देने

(श्रीमती वसन्धुरा राजे)

के लिए हम लोग खड़े हैं। आपको यहां हाउस में नहीं करना है तो बाहर चलिये, बाहर बैठकर के उसको सुलझायें परन्तु राजस्थान की जनता को ताक पर मत रखिये। मैं यही कह रही हूं आपको। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्री जी, लीडर आफ अपोजिशन को बोलने नहीं दे रहे, डरा रहे हैं, ऐसे थोड़े ही होता है। (व्यवधान) ये कुछ बोल रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, ये कुछ बोल रहे थे, मुख्य मंत्री जी, ये बोल रहे थे, आपको तो सम्मान रखना चाहिए, ये कुछ बोल रहे थे। आपने खुद ने उनको वहां बोलने नहीं दिया। यह तो कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र में। बोलने नहीं दे रहे हैं, आप खुद खड़े हो गये, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक चीफ मिनिस्टर लीडर आफ अपोजिशन को बोलने नहीं दे। (व्यवधान) यह कोई तरीका है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोलने से कौन रोक रहा है? बोलने से कौन रोक रहा है? बोलने से आप रोकते हो। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता के रूप में.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): .... माननीय मुख्य मंत्री जी, 4-4 संसदीय सचिव बना दिये और राज्य का उन पर खर्चा हो रहा है। (व्यवधान) संसदीय सचिव बनाकर के गैर कानूनी काम कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में अपोजिशन लीडर के साथ लीडर आफ द हाउस ने ऐसा बिहेवियर कभी नहीं किया होगा। ऐसा बिहेवियर कभी नहीं किया होगा। शेमफुल है यह। (व्यवधान) शर्म की बात है। (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : कल जब ये नेता बोल रहे थे तो संयम लोढ़ा डिस्टर्ब कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री घनश्याम तिवाड़ी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

आबकारी विभाग

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/आब/2007 दिनांक 05 नवम्बर, 2007 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्रीगंगानगर को नई शुगर फैक्ट्री स्थापित करने हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि अवाप्ति की सूचना जारी की गई है, सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़, सार्वजनिक निर्माण मंत्री एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे। (व्यवधान)

सार्वजनिक निर्माण विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या: एफ.8(58)/सानि/77/460 दिनांक 3 अगस्त, 2007 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.10.1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। (व्यवधान)

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य, विधेयक का पुर:स्थापन। प्रभारी मंत्री श्री रामनारायण डूडी प्रस्ताव करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये आपके कर्मों को रो रहे हैं। ये आपके कर्मों को रो रहे हैं। (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है। एक घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.32 बजे, एक घंटे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.33 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा-बहुत हमारी तरफ भी देखा करो, आप तो उधर ही उधर देखते हो।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी तरफ ही ज्यादा देखते हैं भई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब आपका पता नहीं चश्मे का नम्बर बदल गया या क्या हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी तरफ ही देखते हैं ज्यादा तो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): थोड़ा-बहुत हमारी तरफ भी तो, हम कुछ कहना चाहें तो हमको इजाजत ही नहीं...

श्री उपाध्यक्ष: ज्यादा आपकी तरफ ही देखते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): घनश्यामजी खड़े हो जायें, सांवरजी खड़े हो जायें, राजेन्द्र राठौड़ जब खड़े हो जायं, उनको बोलने देते हो, आप हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं, इतनी खराब शक्ल तो नहीं है हमारी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ज्यादा तो आपकी तरफ ही देखते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हमारे को भी देखो, हमारी बात तो सुना करो साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ज्यादा तो आपकी तरफ ही देखते हैं भई। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम तुम्हें रूलायेंगे, हम तुम्हें रूलायेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह क्या है... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जब प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे, माननीय मुख्य मंत्री ने जिस तरह का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अगर आप जिद रहे हैं, स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये पहले। पहले मंत्रीजी खड़े हो गये हैं, इनको बोलने दीजिये, पहले। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता के साथ में जिस तरह....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक मिनट। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: तो आपने ही कल डिस्टर्ब किया था प्रतिपक्ष के नेता को, इसलिए आज आंसू आये हैं उनके। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय को लेकर सदन में गतिरोध था, सदन की नेता ने भी कुछ कहा और अब जब हाउस एडजोर्न हुआ था तब प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात भी हुई है और आपने भी फरमाया है, कल सुबह दस बजे हम आपके चैम्बर में बैठ कर सदन सुचारू रूप से चले, राज्य की जनता के यहां जो भी दु:ख-तकलीफ के विषय हैं वह यहां आये, यह सभी पक्ष चाहते हैं उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आज सदन का वातावरण थोड़ा भावुक हो उठा प्रतिपक्ष के नेता के भावुक होने के कारण, इसलिए अगर आप कल तक के लिए, हमारी कार्यसूची में सिर्फ एक छोटा सा बिल ले करना है, उसके बाद कल तक के लिए अगर एडजोर्न कर दें, तो कल बैठ कर अच्छे वातावरण में हम इस कार्यवाही को आगे चलायेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप हमारी भी सुनो उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह विधेयक तो पुर:स्थापित कर लें। (व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): नहीं, यह मंत्री रो लिये, सी.एम. भी रो ली... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आप ही ने कहा है..

श्री रामनारायण चौधरी: आपका प्रस्ताव ठीक है लेकिन...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): कलक्टर रो लिया, सैक्रेटरी रो लिये, सब को रूला रहे हैं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक विधेयक पुर:स्थापित कर देते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, हां, कर लीजिये उपाध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य: तो और रोना है....

श्री रामलाल (बनेड़ा): तुम्हारा नम्बर है, हम तो रो लिये पहले। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चलो, कल कर लें। कल कर लेंगे। (व्यवधान) ठीक है, कल कर लेंगे। कल कर लेंगे उपाध्यक्ष महोदय। कल कर लेंगे अगर कोई, यह जो ले करना है, कल ले कर देंगे, कल कर देंगे, कोई बात नहीं, कल कर देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक कल 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.35 बजे गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2008 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

21. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) एवं **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केन्द्र सरकार से वर्ष 2004 से अब तक कब-कब कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं प्राप्त राशि के विरुद्ध कितनी राशि का व्यय किस मद में कब व कितना किया गया? मदवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान के अन्तर्गत प्राप्त राशि में से वर्ष 2004 से अब तक कितनी राशि कब-कब किस मद में जिला स्तर पर उपलब्ध कराई गई? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004 से अब तक उक्त अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि में से कितनी राशि विभिन्न मदों में शेष रही? वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के आधार पर केन्द्रांश प्राप्त होता है। राशि की प्राप्ति मदवार बजट आबंटन के रूप में प्राप्त नहीं होती है। केन्द्र सरकार से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004 से अब तक प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ों में)

वर्ष	केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि	केन्द्रांश के विरूद्ध व्यय राशि
2004-05	230.00	289.42
2005-06	588.29	577.86
2006-07	751.38	829.74
2007-08	933.04	623.67 (जनवरी, 08 तक)

वर्षवार एवं मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जिलों को समेकित रूप से पूर्व निर्धारित गतिविधियों के लिये एक साथ राशि स्थानान्तरित की जाती हैं। वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

(3) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार से अनुपातिक निर्धारित अंश पर राशि प्राप्ति होती हैं। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से राशि विभिन्न किश्तों में प्राप्त होती हैं, जिसका मदवार विभाजन नहीं होता हैं। वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि में से कोई राशि शेष नहीं है। वर्ष 2007-08 में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि 933.04 करोड़ रुपये में से जनवरी, 08 तक 623.67 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

वर्षवार एवं मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट ''क'' में सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट "क"

ACTIVITY WISE EXPENDITURE IN SARVA SHIKSHA ABHIYAN

(Rs.In lacs)

S. No.	Name of Activities	AWP & B 04-05	EXP. 04-05	Exp. Against Central Share	AWP&B 05-06	Total Exp. 05-06	Exp. Against Central Share	AWP&B 06-07	Exp. 06-07	Exp. Against Central Share	AWP&B 06-07	Exp. 07-08	Exp. Against Central Share
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Teacher salary-I	15699.240	7754.02	5815.51	32662.140	29688.378	22266.28	43418.480	37754.287	28315.72	80755.574	58610.830	38097.0394
2	Free Text Book for UPS SC/ST	409.173	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	466.440	478.860	359.15	739.776	598.387	388.95142
3	Civil Work	24162.614	18605.76	13954.32	29541.182	29503.113	22127.34	51788.040	49110.721	36833.04	31484.936	22142.485	14392.61533
4	Maintenacne & Repairs	2292.600	2057.45	1543.09	1463.700	1407.100	1055.32	2344.230	2311.645	1733.73	1067.217	1004.992	653.2447025
5	TLE	2699.656	1628.04	1221.03	2190.125	1345.876	1009.41	2647.730	2424.060	1818.04	4481.600	421.535	273.997763
6	School Grant	628.740	532.38	399.29	630.000	600.117	450.09	1053.960	1040.788	780.59	1316.380	1264.070	821.6457405
7	Teachers Grant	736.320	563.67	422.75	690.000	662.923	497.19	538.940	576.451	432.34	1002.375	894.383	581.34882
8	Teachers Training	1977.460	994.66	746.00	2270.330	1255.425	941.57	1643.070	1573.967	1180.48	2983.771	1506.217	979.0408661
9	Training for Community Leaders	76.960	49.44	37.08	68.190	57.135	42.85	244.650	267.854	200.89	241.835	229.780	149.3571151
10	Provision for Disabled Children	374.632	160.43	120.32	411.890	402.916	302.19	1789.120	1589.20	1191.92	2006.258	985.901	640.8359003
11	Research, Evaluation, Supervision and monitoring	696.660	293.21	219.91	404.390	257.755	193.32	771.320	520.181	390.14	921.466	217.214	141.189009
12	Management Cost	2016.070	1234.71	926.04	2580.670	1855.531	1391.65	4082.340	2924.102	2193.08	5532.953	2733.476	1776.759588
13	Innovation	1095.000	639.68	479.76	1155.360	1020.180	765.14	1564.510	1149.746	862.31	1604.000	194.755	126.5909814
14	Block Resource Center	232.000	154.08	115.56	469.690	328.055	246.14	513.510	326.904	245.18	445.590	277.987	180.6917159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Cluster Resource Center	1337.230	220.02	165.02	1425.240	805.648	604.24	1455.620	1005.697	754.27	2819.999	1046.960	680.5242165
16	Interventions for out of School Children	7329.660	3701.30	2775.97	7353.230	5190.712	3893.03	9208.920	5909.049	4431.79	6147.270	2009.619	1306.252038
17	Management Cost (BRC/CRC/RP)			0.00			0.00	0.000	1668.102	1251.08	0.000	1810.629	1176.909024
	Total	61764.02	38588.86	28941.64	83316.14	74380.86	55785.65	123530.86	110631.63	82973.73	143545.000	95949.221	62366.99362
	Central Share As per	46323.00			62489.00			92648.00			93304.000		
	Central Share Received	23000.00			58829.00			75138.00			93304.000		
	Total Central From 2004-05 to 2006-07	156967.00											
	Expenditure upto 2006-07	167701.02											

परिशिष्ट ''ख''

सर्व शिक्षा अभियान

वर्ष 2003-04 से 2007-08 (Dec. 07) तक प्रत्येक जिले को आबंटित राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	जिलों को राशि स्थानान्तरित वर्ष 2003-04	जिलों को राशि स्थानान्तरित वर्ष 2004-05	जिलों को राशि स्थानान्तरित वर्ष 2005-06	जिलों को राशि स्थानान्तरित वर्ष 2006-07	जिलों को राशि स्थानान्तरित वर्ष 2007-08	Total 03-04 to Jan. 08
S. No.	Name of District	Funds transferred in 03-04	Funds transferred in 04-05	Funds transferred in 05-06	Funds transferred in 06-07	Funds transferred in 07-08	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ajmer	743.87	1156.09	2184.39	2972.23	2880.00	9936.58
2	Alwar	1192.41	1123.03	3133.78	5483.04	3917.00	14849.26
3	Banswara	1168.07	1858.62	3161.90	5501.10	4770.00	16459.70
4	Baran	628.10	704.37	1874.65	2195.50	2446.00	7843.62
5	Barmer	1383.11	2337.66	4362.37	7179.24	7481.00	22743.38
6	Bharatpur	590.38	835.91	1755.72	2515.66	2218.00	7915.67
7	Bhilwara	824.72	1310.05	2148.80	3938.62	4120.00	12342.19
8	Bikaner	764.45	1120.62	2860.99	3605.02	3433.00	11784.08
9	Bundi	607.89	660.25	1040.74	1638.70	1775.00	5722.58
10	Chittorgarh	897.75	1572.56	3060.18	3586.15	4330.00	13446.64
11	Churu	561.57	521.99	1750.30	2320.88	1875.00	7029.74
12	Dausa	674.09	769.41	1443.14	2142.80	2170.00	7199.44
13	Dholpur	458.55	584.98	1358.72	1809.34	1750.00	5961.60

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Dungarpur	677.78	1655.45	1970.03	3961.13	4070.00	12334.39
15	Ganganagar	884.78	649.17	1409.18	3346.74	2420.00	8709.87
16	Hanumangarh	615.97	688.82	1122.02	2421.27	1548.00	6396.09
17	Jaipur	1368.83	2079.25	3932.72	5037.04	5200.00	17617.83
18	Jaisalmer	393.15	989.39	1496.55	2717.80	2600.00	8196.89
19	Jalore	815.24	1339.49	2914.75	2991.17	4200.00	12260.66
20	Jhalawar	637.26	759.73	2115.98	2933.03	2872.00	9354.20
21	Jhunjhunu	687.26	963.74	2065.35	2694.49	2817.00	9227.84
22	Jodhpur	1391.24	2265.75	4393.97	5051.54	5685.00	18787.50
23	Karauli	566.55	725.83	1696.52	2185.74	2270.00	7444.64
24	Kota	424.12	564.93	1372.32	2041.10	2250.00	6652.46
25	Nagaur	1152.42	1822.02	3539.32	4678.29	5400.00	16592.05
26	Pali	759.51	1174.68	2945.59	3502.28	3172.00	11554.06
27	Rajsamand	698.70	1022.02	2315.38	2530.58	2940.00	9507.48
28	S. Madhopur	599.12	461.90	1321.10	2579.60	1620.00	6581.61
29	Sikar	874.52	1123.65	2744.77	3282.67	3530.00	11555.61
30	Sirohi	532.24	511.33	1269.84	2030.52	2270.00	6613.93
31	Tonk	584.96	644.29	1780.92	2513.31	2491.00	8014.48
32	Udaipur	1874.75	2143.58	4536.51	4868.66	6050.00	19473.50
	Total	**26033.56**	**36141.37**	**75114.48**	**106255.25**	**106570.00**	**350114.66**

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में व्याप्त अनियमितताएं

22. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं एवं गत चार वर्षों में कितने केन्द्र खोले गये? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) संचालित केन्द्रों पर नामांकित बच्चों की संख्या कितनी है? कितना पोषाहार प्रतिदिन आबंटित व वितरित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान पोषाहार वितरण में अनेक स्थानों पर अनियमितताएं हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गई व उसके नतीजे क्या रहे? दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में कुल 272 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 4 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। गत 4 वर्षों में कुल 77 नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) उक्त 276 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कुल 21,720 बच्चे पंजीकृत हैं। विभागीय नार्म्स के अनुसार प्रतिदिन प्रति लाभार्थी आबंटित एवं वितरित किये जाने वाले पोषाहार का विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(3) विभाग को गत तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्र के तीन आंगनबाड़ी केन्द्रों (i) ग्राम मेवड़ा पंचायत समिति डेगाना (ii) ग्राम पिपलिया पंचायत समिति रियाबडी (iii) ग्राम लाडपुरा पंचायत समिति रियाबडी पर पोषाहार वितरण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई।

(4) उक्त अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच से संबंधित विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है। संक्षिप्त में विवरण निम्नानुसार है -

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

आंगनबाड़ी केन्द्र (i) ग्राम मेवडा की प्राप्त शिकायत की जांच में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दोषी पाये जाने के कारण मानदेय सेवा से हटा दिया गया है।

आंगनबाड़ी केन्द्र (ii) पिपलिया, पंचायत समिति रियाबड़ी की प्राप्त शिकायत निराधार पायी गयी।

आंगनबाडी केन्द्र (iii) ग्राम लाडपुरा पंचायत समिति रियाबडी की प्राप्त शिकायत निराधार पायी गयी।

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

विश्वकर्मा पेन्शन योजनान्तर्गत लाभान्वित श्रमिक

23. श्री अमराराम (धोद) **:** क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में असंगठित मजदूरों के लिए विश्वकर्मा पेंशन योजना कब से लागू की गई तथा इसके क्या मानदण्ड हैं?

(2) जनवरी, 2008 तक इस योजना में जिलेवार कितने श्रमिकों को लाभ दिया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में असंगठित मजदूरों के लिए राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी पेंशन योजना 1 सितम्बर, 2007 से लागू की गई। इसके पात्रता के निम्न मानदण्ड है :-

1. इस योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई पुरूष या महिला जो राजस्थान का वास्तविक निवासी हो।
2. वह आवेदन देने की तारीख को कम से कम 7 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहा हो।
3. योजना की अनुसूची प्रथम (संलग्न परिशिष्ट ''अ'') में वर्णित किसी व्यवसाय अथवा नियोजन में कार्य कर रहा हो।
4. कोई भी सदस्य 60 वर्ष की आयु पर या 60 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु होने पर, जैसा भी मानला हो, योजना से बाहर माना जावेगा।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(2) (अ) जनवरी, 2008 तक राज्य में 5069 श्रमिकों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए है जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(ब) जहां तक श्रमिकों को लाभ देने का प्रश्न है- चूंकि यह एक अंशदायी पेंशन योजना है अत: श्रमिक को इसका लाभ योजना की शर्तो के अनुरूप पेंशन हेतु निर्धारित अवधि के पूरा होने पर तथा वांछित अंशदान जमा कराने पर ही देय होगा।

(स) प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करके श्रमिकों के अंशदान को जमा कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही अमल में लाने हेतु विभागीय अधिकारियों को ''प्राधिकृत'' कर दिया गया है।

(द) इस योजना को त्वरित गति से लागू करने हेतु निजी क्षेत्र की कम्पनी IIMPS (Invest India Micro Pension System) को भी 11 जनवरी, 2008 को नियुक्त किया जा चुका है।

परिशिष्ट ''अ''

प्रथम अनुसूची (नियम-2)

गैर संगठित क्षेत्र के व्यवसाय, जिन पर राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार (अंशदायी पेन्शन) योजना 2007 लागू है

क्र. सं.	व्यवसाय	क्र. सं.	व्यवसाय
1	रिक्शा चालक	11	बीडी कामगार
2	सभी प्रकार के थडी वाले	12	भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार
3	चर्मकार	13	धोबी
4	हमाल	14	दर्जी
5	टेक्सी ड्राईवर	15	कुम्हार
6	घरेलू नौकर	16	ठेला चालक
7	मोटर मैकेनिक	17	बढई
8	नाई	18	स्व-नियोजित इलेक्ट्रीशियन
9	मूर्तिकार एवं पत्थर तराशी	19	लौहार
10	दुकानों, होटलों एवं ढ़ाबों पर कार्य करने वाले कामगार	20	सैनेट्री फिटिंग्स कामगार

परिशिष्ट "ब"

PROGRESS OF VISHWAKARMA PENSION SCHEME

S. No.	NAME OF DISTRICT	NUMBER OF APPLICATIONS (UPTO 31-1-08)
1.	Ajmer	577
2.	Bhilwara	150
3.	Tonk	210
4.	Nagaur	35
5.	Bikaner	113
6.	Sri Ganganagar	100
7.	Churu	50
8.	Hanumangarh	120
9.	Jaipur	550
10.	Alwar	650
11.	Sikar	131
12.	Dholpur	150
13.	Bharatpur	135
14.	Dausa	136
15.	Jhunjhunu	101
16.	Jodhpur	135
17.	Jalore	100
18.	Pali	110
19.	Sirohi	70
20.	Jaisalmer	-
21.	Balotra (Barmer)	125
22.	Kota	305
23.	Sawai Madhopur	141
24.	Jhalawar	113
25.	Bundi	114
26.	Baran	100
27.	Karauli	50
28.	Udaipur	180
29.	Chittorgarh	99
30.	Banswara	59
31.	Rajsamand	100
32.	Dungarpur	50
	Total	**5069**

वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में सड़क निर्माण में प्रतिबन्ध पर राहत

24. श्री रामचन्द्र सराधना (जमआरामगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में उच्च/उच्चतम न्यायालय द्वारा किन-किन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में रहने वाले गरीब आदिवासी लोगों के आने जाने हेतु सड़क निर्माण की क्या कार्य योजना है?

(3) क्या यह सही है कि जिस क्षेत्र में वर्षों से ग्रेवल और डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्मित है और आवागमन के साधन आते जाते हैं उन कच्ची सड़कों पर पक्की सड़क बनाये जाने पर सरकार द्वारा रोक लगा दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार वन क्षेत्र के लोगों को इस कठिनाई से मुक्ति दिलाकर व्यावहारिक नजरिये से सड़क निर्माण पर लगी रोक हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो उसके लिए क्या वैकल्पिक योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14.2.200 द्वारा वन्यजीव अभयारण्यों में से मृत, रोग ग्रस्त एवं हवा से गिरे पेड़ों को हटाने, बहकर आयी हुई लकड़ी एवं घास की निकासी को प्रतिबन्धित किया गया है।

माननीय उच्च्तम न्यायालय के आदेश दिनांक 13.11.2000 द्वारा अभ्यारण्यों की भूमि का अनारक्षण करने पर रोक लगाई है।

इसके उपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.11.2005 एवं 14.09.2007 द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 14.2.2000 से लगाई गई रोक में कुछ गतिविधियों में छूट प्रदान की है।

(2) वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में विद्यमान गांवों को सड़क से जोड़ने हेतु प्राप्त प्रस्तावों में वांछित वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रतयावर्तित कराया जाना आवश्यक होता है। किन्तु वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में प्रतयावर्तन प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने से पूर्व राज्य वन्य जीव मण्डल, राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रस्तावों का अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। केन्द्र सरकार से प्रत्यावर्तन की अनुमति प्राप्त होने पर ही सड़क निर्माण की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

(वन राज्य मंत्री)

(3) अभयारण्य क्षेत्रों में पूर्व में बनी ग्रेवल एवं डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों को पक्की/डामरीकरण करने के लिए राज्य वन्यजीव मण्डल, राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्वानुमति आवश्यक है।

(4) वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रों में पक्की सड़क निर्माण से वन्यजीवों क सम्भावित नुकसान को ध्यान में रखते हुए ग्रेवल सड़क निर्माण किया जाना ही उचित समझा जाकर ऐसे प्रस्ताव को राज्य वन्यजीव मण्डल से अनुमति प्राप्त कर राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल को स्वीकृति हेतु अनुशंषा की जाती है। राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की सिफारिश पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार से प्रत्यावर्तन की अनुमति प्राप्त कर सड़क निर्माण की कार्यवाही की जाती है।

जयपुर ग्रामीण में सीवर लाइन परिवर्तन कार्य

25. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की चार दीवारी में सीवर लाइन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से छोटी पड़ने लग गई है?

(2) क्या सरकार इन छोटी लाइनों को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2003 में रूडिप द्वारा विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में सीवर लाइन डालने का कार्य चालू किया गया था? यदि हां, तो क्या सीवर लाइन का कार्य पूर्ण करने हेतु कोई समय सीमा तय की गई थी? यदि हां, तो कितनी?

(4) रूडिप द्वारा यह काम किसको व किन शर्तो पर दिया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त कार्य पूरा कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इसके अध्ययन हेतु परामर्शी (कन्सलटैंसी) कार्य के लिए निविदाएं प्राप्त की गई हैं। परामर्शी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(2) अध्ययन के पश्चात परामर्शी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर डी.पी.आर. तैयार करवा कर आवश्यकतानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जी हां। सीवर लाइन डालने की सम्भावित समय सीमा 15 माह निर्धारित थी।

(4) रूडिप द्वारा पैकेज संख्या JAI/W W.16 लोट-1 एवं JAI/W W.16 लोट-3 के अंतर्गत क्रमश: 420.00 लाख एवं 591.32 लाख की लागत से यह कार्य मैसर्स लर्सन एण्ड टूब्रो, अहमदाबाद को दिया गया था। यह कार्य कोन्टेक्ट एग्रीमेन्ट में वर्णित विभिन्न शर्तो पर दिया गया था। अनुबंध की शर्ते परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(5) जी हां।

(अनुबंध की शर्तें विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

इदपालसर सांखलान ग्राम पंचायत (श्रीडूंगरगढ़) में अंकेक्षण समिति का गठन

26. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ में रोजगार गारन्टी योजना की पंचायतवार अंकेक्षण कमेटियां गठित हो चुकी हैं? यदि हां, तो पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत इदपालसर सांखलान में अंकेक्षण समिति का गठन अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्ण बहुमत के उपरान्त भी विकास अधिकारी ने पंचायत की बैठक स्थगित कर दी थी? यदि हां, तो क्यों? उक्त पंचायत में अंकेक्षण कमेटी के गठन के लिए अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं? कार्यवाही विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के अन्तर्गत पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ के 30 ग्राम पंचायतों में से 29 ग्राम पंचायतों में अंकेक्षण कमेटियों का गठन किया जा चुका है। अंकेक्षण कमेटिया जिन 29 ग्राम पंचायतों में गठित की गई है, की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

एक ग्राम पंचायत इदपालसर सांखलान में समिति का गठन अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि दिनांक 28.12.2007 को ग्राम सभा में सहमति

(ग्रामीण विकास मंत्री)

नहीं होने एवं कोरम के अभाव में और दिनांक 9.1.2008 को ग्राम सभा में विवाद उत्पन्न होने के कारण गठन नहीं हो सका है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत इन्द्रपालसर सांखलान में समिति का गठन अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि दिनांक 28.12.2007 को ग्राम सभा में सहमति नहीं होने एवं कोरम के अभाव में और पुन: दिनांक 9.1.2008 को ग्राम सभा में विवाद उत्पन्न होने के कारण अंकेक्षण मंच का गठन नहीं हो सका है।

(3) जी हां। दिनांक 9.1.2008 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक शुरु होते ही विवाद एवं मारपीट के कारण विकास अधिकारी द्वारा बैठक स्थगित कर दी गई थी। अंकेक्षण कमेटी के गठन के लिये अब तक दो बैठकें आयोजित हो चुकी है। कार्यवाही विवरण क्रमश: परिशिष्ट-ब एवं स पर संलग्न है।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

शक्करगढ़-बरौदा (भीलवाड़ा) काजवे का नवीनीकरण

27. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड/कृषि मण्डी द्वारा निर्मित शक्करगढ़-बरौदा सड़क पर निर्मित काजवे (पुलिया) पर वर्षा काल में पानी भर जाने से पांच माह तक आवागमन बंद रहता है? यदि हां, तो क्या कृषि विपणन बोर्ड/ कृषि मण्डी द्वारा इस सड़क पर पुलिया निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो पुलिया का निर्माण कब तक हो जावेगा व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क नवीनीकरण चक्र में शामिल है? यदि हां, तो इसका नवीनीकरण कब तक करवा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शक्करगढ़ रोड से बरौदा सड़क पर निर्मित काजवे के डाउन स्ट्रीम में बाद में एनीकट बनने के कारण वर्षा का पानी भर जाता है। इस काजवे पर पुलिया निर्माण करने हेतु 24.71 लाख रुपये व्यय होना संभावित है। मण्डी

(कृषि विपणन मंत्री)

समिति के पास पर्याप्त बचत नहीं होने के कारण यह कार्य वर्तमान में करवाया जाना संभव नहीं है।

(2) उक्त सड़क नवीनीकरण चक्र में शामिल नहीं है। अभी तक 1998 99 में निर्मित सड़कों को ही नवीनीकरण चक्र में शामिल किया गया है। इस अवधि तक बनी सड़कों का नवीनीकरण कार्य पूर्ण होने पर ही आगामी वर्षों में सड़कों के निर्माण हेतु उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कार्य की आवश्यकता एवं प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए इस सड़क के नवीनीकरण पर विचार किया जा सकेगा।

बीकानेर जिले में विद्युत उपकरण चोरी से बाधित विद्युत आपूर्ति

28. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 21 जनवरी, 2008 के मध्य जिला बीकानेर में अनेक स्थानों पर विद्युत लाइनों के तार/पोल/अन्य विद्युत उपकरण चोरी की घटनाएं हुई? यदि हां, तो कहां-कहां, कब कब, क्या-क्या सामान चोरी हुआ तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कब-कब क्या क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चोरी की घटनाओं में लिप्त अभियुक्तों को पकड़ कर सामान बरामद कर लिया गया है? यदि हां, तो किन-किन घटनाओं में किन-किन अभियुक्तों को पकड़ कर कितना-कितना सामान बरामद किया गया तथा किन-किन घटनाओं के अभियुक्तों को पकड़ा जाना/सामान बरामद किया जाना शेष है? चोरी की घटनावार सूची सदन की मेज पर रखते हुए यह बताएं कि इन प्रत्येक घटनाओं पर वर्तमान में क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या जिला बीकानेर में दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2008 के मध्य तथा इससे पूर्व हुई चोरी की घटना से बाधित विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सभी स्थानों पर पुनः बहाल कर दिया गया है? यदि नहीं तो कहां-कहां पर कब से तथा वंचित क्षेत्रों को कब तक पुनः जोड़ा जाना प्रस्तावित है? स्थानवार मय दिनांक सूची सदन की मेज पर रखते हुए यह भी बतायें कि किन-किन स्थानों पर तार चोरी की घटना के बाद पुनः व्यवस्था बहाल कर दी गई?

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(4) क्या यह सही है कि चोरी की घटना के बाद पुनः विद्युत व्यवस्था बहाल करने हेतु सरकार द्वारा कोई समय सीमा तय की हुई है? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्या सरकार इस संबंध में कोई समय सीमा तय करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 01.01.04 से 21.01.08 के मध्य जिला बीकानेर में विद्युत लाइन के तार/पोल/अन्य विद्युत उपकरण चोरी की घटनायें एवं की गई कार्यवाही की विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) बीकानेर जिले में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के सामान की चोरी के मामलों में दर्ज रिपोर्ट, विद्युत बहाली, पुलिस कार्यवाही, गिरफ्तारी एवं बरामदगी आदि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(3) बीकानेर जिले के जिन-जिन स्थानों पर दिनांक 01.01.04 से 31.01.08 के मध्य हुई चोरी की घटना से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है उनमें से परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी गई है तथा वांछित स्थानों पर कनेक्शन की मांग होने पर विद्युत आपूर्ति की बहाली की कार्यवाही निगम द्वारा नियमानुसार की जायेगी।

(4) चोरी की घटनाओं के बाद चोरी की प्रकृति, परिस्थिति एवं वर्तमान में प्रचलित कानूनी पहलुओं के मध्यनजर पुनः विद्युत व्यवस्था बहाल करने के यथाशीघ्र प्रयास किये जाते हैं।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	वर्ष	उपखंड का नाम	स्थान का नाम व सामग्री का विवरण	तार/अन्य सामान का विवरण	चोरी होने की दिनांक	चोरी हुए सामान का अनुमानित मूल्य	वर्तमान स्थिति			
							विद्युत आपूर्ति बहाली का विवरण एवं दिनांक		एफ आई. आर. संख्या व दिनांक को दर्ज की जाकर सामान बरामदगी व कार्यवाही	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2004	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-पंचम)	रेबिट कन्डक्टर, डेयरी सब आफिस	180 केजी	9.04.04	50000	हां	10.04.04	103 दिनांक 10.4.04	चालान पेश
2	2004	खाजुवाला	11 केवी खाजुवाला से 1 एडीएम	2.0	25.11.04	35000	हां	25.5.05	220 दिनांक 25.11.04	एफ.आर. 31.12.06
3	2004	खाजूवाला	11 केवी खिरसर फांटा-कुम्हारवाला	3.5	17.3.04	55000	हां	20.3.04	29 दिनांक 17.3.04	जांच जारी
4	2004	खाजूवाला	11 केवी 17 केएमएम-बांदका	0.6	26.1.04	10000	कनेक्शन नहीं	कनेक्शन नहीं	15 दिनांक 26.1.04	जांच जारी
5	2004	खाजूवाला	11 केवी 19 केजेडी-सियासर चौगान	0.8	29.2.04	13000	कनेक्शन नहीं	कनेक्शन नहीं	53 दिनांक 29.2.04	जांच जारी
6	2004	सहायक अभियंता (पवस), नोखा	11 केवी कक्कू से स्वरूपसर,	4.2 किमी	19.1.04	60000	हां	1.3.04	9 दिनांक 19.1.04	एफ.आर. अदम पता
7	2005	सहायक अभियंता (श.उ.ख-द्वितीय)	एबी केबल 33 केवी सब स्टेशन, शिवबाडी	0.515	22.11.05	37000	हां	23.11.05	138 दिनांक 22.11.05	एफ.आर. 29.12.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	2005	सहायक अभियंता, कोलायत	विजल तार, राणेरी	6 किमी	06.08.05	83000	हां	06.08.05	120 दिनांक 20.08.05	एफ.आर. अदम पता
9	2005	खाजुवाला	33 केवी नोखा दैया-आरडी 746	0.100	1.5.05	5000	हां	12.5.05	51 दिनांक 1.5.05	जांच जारी
10	2005	खाजुवाला	11 केवी रावला रोड-संझरवाला	0.9	16.9.05	15000	हां	25.9.07	126 दिनांक 16.9.05	जांच जारी
11	2005	खाजुवाला	एल टी लाइन नई धान मंडी खाजुवाला विस्तार	2.300	12.9.05	38000	कनेक्शन नहीं	कनेक्शन नहीं	23 दिनांक 12.9.05	एफ.आर. 31.10.05
12	2005	खाजुवाला	11 केवी अमरपुरा-भानीपुरा	2.400	11.9.05	40000	हां	18.9.05	97 दिनांक 11.9.05	चालान पेश 3 गिरफ्तार
13	2005	लूणकरणसर	11 केवी छतरगढ़-तख्तपुरा	0.180	7.8.05	3000	हां	13.8.05	7.8.05	चालान पेश 2 गिरफ्तार
14	2005	लूणकरणसर	11 केवी लूणकरणसर-कालू	5.00	6.11.05	82000	हां	91 दिनांक 7.11.05	241 दिनांक 6.11.05	चालान पेश 6 गिरफ्तार सामान बरामद
15	2005	लूणकरणसर	11 केवी महाजन-जैतपुर	6.00	24.11.05	99000	हां	25.11.05	60 दिनांक 24.11.05	चालान पेश 3 गिरफ्तार
16	2005	स.अ. (श.उ.ख. तृतीय), बीकानेर	जेलवैल सब स्टेशन	एल.टी.पी.वी.सी. केबल (70 मी.)	30.9.05	10000	हां	30.9.05	230 दिनांक 30.9.05	एफ.आर. अदम पता
17	2005	स.अ. (ग्रामीण), बीकानेर	द्वारका राठी चक गरबी, 11 के.वी. लाइन	270 मीटर	5.12.05	5998	हां	8.12.05	181 दिनांक 5.12.06	एफ.आर. अदम पता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	2005	स.अ. (ग्रामीण), बीकानेर	पूगल फांटा से जालवाली, 11 के.वी. लाइन	10 कि.मी.	10.9.05	198974	हां	16.9.05	96 दिनांक 10.9.05	एफ.आर. अदम पता
19	2005	स.अ. (ग्रामीण), बीकानेर	नापासर से नौरंगदेसर, 33 के.वी. लाइन	5.7 कि.मी.	28.2.05	426308	हां	38355	15 दिनांक 10.9.05	एफ.आर. अदम पता
20	2005	स.अ. (ग्रामीण), बीकानेर	रा.रा. मार्ग से नाल छोटी, 11 के.वी.	1.1 कि.मी.	29.5.05	12000	हां	38389	17 दिनांक 30.5.05	एफ.आर. अदम पता
21	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-द्वितीय)	11 केवी लाइन हिम्मतसागर से रायसर	7 स्पान	17.11.06	29245	हां	18.11.06	01 दिनांक 28.11.06	एफ.आर. 20.1.07
22	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-द्वितीय)	11 केवी लाइन केमल फार्म	2 स्पान	11.12.06	5348	हां	12.12.06	09 दिनांक 17.12.06	एफ.आर. 17.2.07
23	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-द्वितीय)	कोपर लाइन उदासर पंचायत भवन के पास	0.130	16.12.06	7800	हां	16.12.06	09 दिनांक 17.12.06	एफ.आर. 17.2.07
24	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-चतुर्थ)	ट्रांसफार्मर तेल जस्ससूर सब आफिस	485 लीटर	26.7.06	20501	हां	27.7.06	51 दिनांक 7.9.06	एफ.आर. अदम पता
25	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-चतुर्थ)	ट्रांसफार्मर तेल जस्सूसर सब आफिस	460 लीटर	26.8.06	19440	हां	27.8.06	53 दिनांक 21.9.06	एफ.आर. अदम पता
26	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-चतुर्थ)	एलटी पिलर का लिंक स्विच जस्सूसर सब आफिस	एक नग	24.9.06	15000	हां	25.9.06	56 दिनांक 8.10.06	एफ.आर. अदम पता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-चतुर्थ)	एलटी पिलर का लिंक स्विच अमरसिंहपुरा सब स्टेशन	एक नग	18.12.06	15000	हां	19.12.06	80 दिनांक 18.12.06	एफ.आर. अदम पता
28	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-चतुर्थ)	एलटी पिलर का लिंक स्विच, प्रताप बस्ती	एक नग	20.12.06	15000	हां	21.12.06	806 दिनांक 21.12.06	एफ.आर. अदम पता
29	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-चतुर्थ)	एलटी पिलर का लिंक स्विच, देवीसिंह भाटी के मकान के पास	एक नग	25.12.06	15000	हां	26.12.06	813 दिनांक 26.12.06	एफ.आर. अदम पता
30	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-पंचम)	एलटी पिलर बाक्स, भुटो का बास	एक नग	24.9.06	15000	हां	25.09.06	321 दिनांक 25.9.06	एफ.आर. अदम पता
31	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-पंचम)	ट्रांसफार्मर तेल, बीछवाल ओ. क्षेत्र	300 लीटर	02.11.06	10000	हां	03.11.06	368 दिनांक 3.11.06	एफ.आर. अदम पता
32	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-षष्टम)	आरमड, एबी, पीवीसी, केबल गोशाला	स्क्रेप	29.01.06	8150	हां	30.01.06	34 दिनांक 29.1.06	3 गिरफ्तार चालान पेश
33	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-षष्टम)	आरमड, एबी, पीवीसी, केबल, एमपी नगर	स्क्रेप	29.01.06	9000	हां	30.1.06	34 दिनांक 29.1.06	3 गिरफ्तार चालान पेश
34	2006	सहायक अभियंता, गंगाशहर	11 केवी कॉपर लाइन, उदयरामसर	200 मीटर	02.11.06	20000	हां	5.11.06	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
35	2006	सहायक अभियंता, गंगाशहर	विजल तार, लेखराम पेट्रोल, पम्प	700 मीटर	22.11.06	10000	हां	26.11.06	एफ. आइ. आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ. आइ. आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	2006	सहायक अभियंता, गंगाशहर	विजल तार, उदयरामसर प्याऊ से गांव तक	250 किग्रा	26.11.06	29000	हां	29.11.06	एफ. आइ. आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ. आइ. आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
37	2006	सहायक अभियंता, गंगाशहर	विजल तार, उदयरामसर रोही	1.5 किमी	26.11.06	21000	हां	30.11.06	एफ. आइ. आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ. आइ. आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
38	2006	सहायक अभियंता, कोलायत	विजल तार, आर डी 820	24 किमी	04.11.06	336000	हां	07.04.06	एफ. आइ. आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ. आइ. आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
39	2006	सहायक अभियंता, कोलायत	विजल तार, हीराई की ढाणी	6.5 किमी	03.01.03	90000	हां	07.01.06	4390 दिनांक 6.2.06	एफ.आर. आदम पता
40	2006	सहायक अभियंता, कोलायत	विजल तार, खिनखिनिया	3 किमी	18.01.06	41000	हां	21.01.06	12 दिनांक 18.1.06	चालान पेश 1.1 किमी तार बरामद
41	2006	सहायक अभियंता, कोलायत	विजय तार, नोखडा	3 किमी	06.05.06	41000	हां	09.05.06	एफ. आइ. आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ. आइ. आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
42	2006	सहायक अभियंता, कोलायत	तार, हदा से खरिया मल्लीनाथ	2.5 किमी	10.05.06	29000	हां	13.05.06	66 दिनांक 10.5.06	चालान पेश 1.1 किमी तार बरामद
43	2006	सहायक अभियंता, कोलायत	तार, टोकला	3.2 किमी	22.07.06	448000	हां	25.07.06	1491 दिनांक 22.7.06	चालान पेश 3.। किमी तार बरामद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	2006	सहायक अभियंता, कोलायत	तार, गाधी गडियाला	2 किमी	03.08.06	27500	हां	06.08.06	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
45	2006	खाजूवाला	11 केवी. डेली तलाई-पार्वती तलाई	4.500	26.05.06	74000	कनेक्शन नहीं	कनेक्शन नहीं	50 दिनांक 26.5.06	50000 का माल बरामद व चालान पेश
46	2006	खाजूवाला	11 केवी भानीपुरा-रामचन्द्र कृषि कनेक्शन	3.00	3.6.06	50000	हां	8.6.06	94 दिनांक 3.6.06	जांच जारी
47	2006	खाजूवाला	11 केवी आरडी 750-भानीपुरा	2.700	5.10.06	40000	हां	8.10.06	97 दिनांक 11.09.05	चालान पेश 3 गिरफ्तार
48	2006	लूणकरणसर	11 केवी कैला फांटा-सरदारपुरा	3.00	11.7.06	50000	हां	14.7.06	75 दिनांक 11.7.06	एफ.आर. 27.8.06
49	2006	लूणकरणसर	11 केवी गौरिसर-करनीसर	3.5	8.11.06	90913	हां	11.11.06	11 दिनांक 8.11.06	एफ.आर. 30.11.06
50	2006	लूणकरणसर	11 केवी सुभलाई-लखासर	5.0	27.11.06	133141	हां	29.11.06	263 दिनांक 27.11.06	एफ.आर. 2.2.07
51	2006	लूणकरणसर	11 केवी करणीसर-महादेव वाली जी	4.0	24.12.06	57240	हां	27.12.06	127 दिनांक 24.12.06	एफ.आर. 31.1.07
52	2006	लूणकरणसर	11 केवी राजासर भा.-केलां	2.5	24.12.06	35775	हां	27.12.06	127 दिनांक 24.12.06	एफ.आर. 31.1.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	2006	सहायक अभियंता (ग्रामीण), नोखा	33/11 के.वी. सब स्टेशन लालमदेसर तेल चोरी	200 लीटर	05.11.06	10000	हां	06.11.06	446 दिनांक 5.11.06	एफ.आर. अदम पता
54	2006	स.अ. (श.उ.ख. षष्ठम), बीकानेर	सर्वोदय बस्ती नियर मदरसा	एल.टी.बस का कोपर	28.10.06	6000	हां	29.10.06	58 दिनांक 28.10.06	एफ.आर. अदम पता
55	2006	स.अ. (श.उ.ख. षष्ठम), बीकानेर	पूगल रोड बीकानेर	एल.टी.बस का कोपर	4.10.06	6000	हां	4.10.06	57 दिनांक 28.10.06	एफ.आर. अदम पता
56	2006	स.अ. (पवस), कोलायत	हीरो की ढाणी, विजय तार	3 कि.मी.	30.4.06	180900	हां	4.5.06	161 दिनांक 11.11.06	एफ.आर. अदम पता
57	2006	स.अ. (पवस), कोलायत	मोटासर से गोविन्दसर, विजय तार	7.5 किमी	7.10.06	100000	हां	11.10.06	4594 दिनांक 7.10.06	एफ.आर. अदम पता
58	2006	स.अ. (पवस), गंगाशहर	हरीराम, कृषि कुआ, 11 के.वी. लाइन	720 मीटर	27.11.06	55000	हां	30.11.06	240 दिनांक 27.11.06	एफ.आर. अदम पता
59	2006	स.अ. (ग्रामीण), बीकानेर	दैया गांव, 11 के.वी. लाइन	500 मीटर	14.2.06	11108	हां	17.2.06	396 दिनांक 14.2.06	एफ.आर. अदम पता
60	2006	स.अ. (ग्रामीण), बीकानेर	नाल छोटी गांव, 11 के.वी. लाइन	1.3 किमी	19.9.06	8000	हां	22.9.06	71 दिनांक 19.1.06	एफ.आर. अदम पता
61	2006	स.अ. (ग्रामीण), बीकानेर	सवाईसर से कालासर, 11 के.वी. लाइन	3 किमी	9.10.2006	49370	हां	13.10.06	77 दिनांक 9.10.06	एफ.आर. अदम पता
62	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-षष्टम)	ट्रासफार्मर तेल, करणी नगर ओ. क्षेत्र	300 लीटर	15.6.06	15000	हां	16.06.06	134 दिनांक 26.7.07	जांच जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-षष्टम)	ट्रासफार्मर तेल, करणी नगर ओ. क्षेत्र	300 लीटर	15.6.06	15000	हां	16.6.06	134 दिनांक 26.7.07	जांच जारी
63	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-षष्टम)	ट्रासफार्मर तेल, करणी नगर ओ. क्षेत्र		21.06.06		हां	21.06.06	134 दिनांक 26.7.07	जांच जारी
64	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-षष्टम)	ट्रासफार्मर तेल, करणी नगर ओ. क्षेत्र		28.06.06		हां	29.06.06	134 दिनांक 26.7.07	जांच जारी
65	2006	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-षष्टम)	ट्रासफार्मर तेल, करणी नगर, नगर ओ. क्षेत्र		25.07.06		हां	26.07.06	134 दिनांक 26.7.07	जांच जारी
66	2007	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-द्वितीय)	11 केवी लाइन हिम्मतसागर से रायसर	2.00	1.10.07	48000	हां	2.10.07	63 दिनांक 6.10.07	एफ.आर. 12.12.07
67	2007	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-द्वितीय)	एबी केबल हास्पिटल बस-स्टेशन यार्ड	3.00	18.10.07	92589	हां	19.10.07	444 दिनांक 22.10.07	जांच जारी
68	2007	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-द्वितीय)	एल्यूमिनियम कन्डक्टर, सब डिवीजन स्टोर	162 कि.ग्रा.	19.10.07	30000	हां	20.10.07	220 दिनांक 22.10.07	एफ.आर. 30.1.08
69	2007	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-चतुर्थ)	एलटी पिलर का लिंक स्विच, कोठारी हास्पिटल के पिछे	एक नग	25.01.07	15000	हां	26.01.07	851 दिनांक 25.1.07	एफ.आर. अदम पता
70	2007	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-चतुर्थ)	एलटी पिलर की कॉपर, सामन्ती सीताराम गेट के सामने	एक नग	9.03.07	15000	हां	10.03.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
71	2007	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-चतुर्थ)	एलटी पीलर की कापर सामग्री, पी.पी. हाउस सब स्टेशन	एक नग	12.03.07	15000	हां	13.03.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	2007	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-चतुर्थ)	एलटी पीलर की कापर सामग्री, पाबूबारी सब स्टेशन	एक नग	12.03.07	15000	हां	13.03.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
73	2007	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-चतुर्थ)	ट्रांसफार्मर तेल, जस्सुसर सब आफस	300 लीटर	03.04.07	15000	हां	04.04.07	25 दिनांक 7.5.07	एफ.आर. अदम पता
74	2007	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-चतुर्थ)	एलटी पिलर का लिंक स्विच, जस्सुसर सब आफस	एक नग	06.02.07	15000	हां	07.02.07	11 दिनांक 6.2.07	3 गिरफ्तार चालान पेश
75	2007	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-पंचम)	कापर बूस्टर, इन्द्रा कालोनी (बस बार)	एक नग	11.01.07	15000	हां	12.01.07	2 दिनांक 12.1.07	चालान पेश
76	2007	सहायक अभियंता (श.उ.ख.-षष्टम)	33 केवी लाइन वी क्रोस आर्म, बीछवाल सब स्टेशन	80 नग	30.10.07	60000	हां	31.10.07	18 दिनांक 18.1.08	जांच जारी
77	2007	सहायक अभियंता, गंगाशहर	विजल तार, लेखराम बिश्नोई कुए की लाइन	500 मीटर	21.01.07	7000	हां	24.1.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
78	2007	सहायक अभियंता, गंगाशहर	ट्रासफार्मर कोयल व ओयल, जेगला फुाटा से ट्यूबवेल नम्बर 3 पीएचडी	—	03.03.07	48783	हां	07.03.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
79	2007	सहायक अभियंता, गंगाशहर	11 केवी सर्किट ब्रेकर, बरसिंगसर 33 केवी सब स्टेशन	—	15.06.07	30000	हां	15.06.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	2007	सहायक अभियंता, गंगाशहर	11 केवी जीओ स्विच और मूविंग रोड, गीगासर सब स्टेशन	—	21.07.07	4775	हां	21.07.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
81	2007	सहायक अभियंता, कोलायत	तार, रानेरी से नाखेडा	2.5 किमी	19.04.07	29000	हां	22.04.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
82	2007	सहायक अभियंता, कोलायत	तार, चाण्डासर	0.6 किमी	02.05.07	9000	हां	05.06.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
83	2007	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	विजल तार, पूगर फांटा से लाखूसर के बीच	2.5 किमी	29.08.07	29000	हां	1.09.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
84	2007	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	विजल तार, पूगर फांटा से लाखूसर के बीच	2.7 किमी	30.08.07	38000	हां	02.09.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
85	2007	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	विजल तार, द्वारका प्रसाद राठी कृषि फार्म	2.1 किमी	06.09.07	28500	हां	09.09.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
86	2007	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	विजल तार, नाल बच्छासर के बीच	0.4 किमी	29.09.07	6000	हां	01.10.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	2007	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	विजल तार, जलवाली गांव	1.00 किमी	01.10.07	14000	हां	03.10.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
88	2007	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	विजल तार, लाखूसर से केला फांटा के बीच	1.00 किमी	09.10.07	14000	हां	12.10.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
89	2007	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	विजल तार, नाल छोटी के बीच	3.3 किमी	14.10.07	43000	हां	17.10.07	33 दिनांक 15.10.07	एफ.आर. अदम पता
90	2007	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	विजल तार, हुसंगसर गेरसर के बीच	3.3 किमी	22.10.07	43000	हां	25.10.07	228 दिनांक 23.10.07	एफ.आर. अदम पता
91	2007	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	विजल तार, द्वारका प्रसाद राठी चवक गरबी	1.5 किमी	26.10.07	21000	हां	29.10.07	228 दिनांक 23.10.07	एफ.आर. अदम पता
92	2007	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	विजल तार, डाईया गांव लाइन	2.5 किमी	26.10.07	29000	हां	29.10.07	112 दिनांक 26.10.07	एफ.आर. अदम पता
93	2007	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	विजल तार, पूगल फांटा से लाखूसर के बीच	4.00 किमी	31.10.07	56000	हां	03.11.07	125 दिनांक 1.11.07	एफ.आर. अदम पता
94	2007	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	विजल तार, लाखूसर से केला फांटा के बीच	4.00 किमी	01.11.07	56000	हां	04.11.07	01 दिनांक 3.11.07	एफ.आर. अदम पता
95	2007	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	विजल तार, कानासर रोही	2.00 किमी	06.11.07	27500	हां	09.11.07	228 दिनांक 6.11.07	एफ.आर. अदम पता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	2007	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	वीसीबी कापर रोड 2 नग, नौरंगदेसर	2 नग	17.08.07	30000	हां	20.08.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
97	2007	सहायक अभियंता, नापासर	वीसीबी रोड, सुरधना जीएसएस	2 नग	27.11.07	30000	हां	30.11.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
98	2007	सहायक अभियंता, नापासर	वीसीबी कापर रोड व जीओ स्विच ब्लेड केशरदेसर जाटान जीएसएस	3 नग	25.12.07	45000	हां	28.12.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
99	2007	सहायक अभियंता, नापासर	वीसीबी कापर रोड, सुरधना पीएसएस	4 नग	25.12.07	60000	हां	28.12.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
100	2007	सहायक अभियंता, नापासर	विजल तार, कोटडी पीएचईडी	1.00 किमी	18.12.07	14000	हां	21.12.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
101	2007	सहायक अभियंता, नापासर	वीसीबी पार्टस, सुरतसिंहपुरा जीएसएस	—	26.9.07	60000	हां	29.09.07	117 दिनांक 26.9.07	एफ.आर. अदम पता
102	2007	सहायक अभियंता, नापासर	विजल तार, कोटडी पीएचईडी	1.00 किमी	31.7.07	14000	हां	30.08.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	2007	खाजुवाला	11 केवी 75 आरडी-फलावली	3.240	2.1.07	50000	हां	5.1.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
104	2007	खाजुवाला	25 केवीए ट्रांसफार्मर बाईडिंग-5 केजेडी	—	14.2.07	29000	हां	17.2.07	21 दिनांक 14.2.07	एफ.आर. 27.3.07
105	2007	खाजुवाला	11 केवी सतासर से डंडी फिडर	4.0	8.5.07	170000	हां	11.5.07	43 दिनांक 8.5.07	एफ.आर. 31.5.07
106	2007	खाजुवाला	11 केवी सतासर से डंडी फिडर	4.0	16.6.07	170000	हां	19.6.07	65 दिनांक 16.6.07	चालान पेश 2 गिरफ्तार
107	2007	खाजुवाला	11 केवी सतासर से डंडी फिडर	4.0	3.8.07	170000	हां	6.8.07	92 दिनांक 3.8.07	एफ.आर. 21.9.07
108	2007	खाजुवाला	11 केवी सतासर से डंडी फिडर	4.0	22.8.07	170000	हां	24.8.07	104 दिनांक 22.8.07	एफ.आर. 21.9.07
109	2007	खाजुवाला	11 केवी पुगल-682 आरडी	1.138	16.10.07	4900	हां	18.10.07	123 दिनांक 16.10.07	जांच जारी
110	2007	खाजुवाला	11 केवी पुगल-682 आरडी	0.893	26.11.07	38451	हां	28.11.07	143 दिनांक 26.11.07	जांच जारी
111	2007	खाजुवाला	11 केवी पुगल-682 आरडी	0.795	10.12.07	34144	हां	13.12.07	151 दिनांक 10.12.07	एफ.आर. 21.9.07
112	2007	लूणकरणसर	11 केवी गौरीसर-सादौलाई	2.5	9.6.07	30171	हां	10.6.07	162 दिनांक 9.6.07	एफ.आर. 26.6.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	2007	लूणकरणसर	11 केवी आरडी 465-रानैर	2.250	14.6.07	48949	हां	17.6.07	65 दिनांक 14.6.07	चालान पेश 2 गिरफ्तार
114	2007	लूणकरणसर	11 केवी गौरीसर-करणीसर	2.5	8.8.07	49681	हां	10.8.07	93 दिनांक 8.8.07	एफ.आर. 21.9.07
115	2007	लूणकरणसर	11 केवी गौरीसर-सादौलाई	5.5	21.8.07	65344	हां	23.8.07	108 दिनांक 21.8.07	एफ.आर. 21.9.07
116	2007	लूणकरणसर	11 केवी धीरेरा स्टेशन-धीरेरा	2.0	26.10.07	35000	हां	28.10.07	दिनांक 26.10.07	एफ.आर. 21.9.07
117	2007	लूणकरणसर	11 केवी कालू-गारबदेसर	2.0	8.11.07	35000	हां	11.11.07	248 दिनांक 8.11.07	एफ.आर. 21.9.07
118	2007	सहायक अभियंता (पवस), नोखा	ट्रांसफार्मर तेल, नोखा	380 लीटर	06.10.07	19000	हां	07.11.07	418 दिनांक 6.10.07	एफ.आर. 8.1.08
119	2007	सहायक अभियंता (ग्रामीण), नोखा	11 केवी लाइन, काकडा से बैरासर	0.576 किमी	21.03.07	12365	हां	22.03.07	142 दिनांक 21.9.07	एफ.आर. अदम पता
120	2007	सहायक अभियंता (ग्रामीण), नोखा	ट्रासफार्मर तेल, भामटसर	730 लीटर	20.09.07	36135	हां	21.09.07	398 दिनांक 20.9.07	एफ.आर. अदम पता
121	2007	स.अ. (पवस), गंगाशहर	देशनोक जयसिंहदेसर मगरा, 11 के.वी. लाइन	700 मीटर	3.2.07	40000	हां	4.2.07	2832 दिनांक 3.2.07	एफ.आर. अदम पता
122	2007	स.अ. (पवस), गंगाशहर	पलाना-रोही उदरामसर, 11 के.वी., लाइन	500 मीटर	2.9.07	25000	हां	3.9.07	1403 दिनांक 2.9.07	एफ.आर. अदम पता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	2007	स.अ. (ग्रामीण), बीकानेर	सवाईसर से कालासर, 11 केवी, लाइन	2.5 किमी	27.1.07	32000	हां	31.1.07	107 दिनांक 27.1.07	एफ.आर. अदम पता
124	2007	स.अ. (ग्रामीण), बीकानेर	नाथेसर से केलाफांटा, 11 के.वी. लाइन	1.8 किमी	21.3.07	19000	हां	24.3.07	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित
125	2008	सहायक अभियंता ग्रामीण, बीकानेर	विजल तार, लाखूसर से केला फांटा के बीच	8.38 किमी	15.01.08	112000	हां	18.01.08	10 दिनांक 15.1.08	चालान पेश
126	2008	सहायक अभियंता, ग्रामीण, बीकानेर	तार, नौरंगदेसर गुसाईसर फीडर	1.5 किमी	10.01.08	21000	हां	13.01.08	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित	एफ आइ आर. दर्ज नहीं, पुलिस को सूचित

देसूरी में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्य

29. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र देसूरी में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत वर्ष 2000-2001 में 13 कमरे, 28 शौचालय व 14 पानी के टांके स्वीकृत हुए थे, जो अपूर्ण हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो क्या संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया था? यदि नहीं, तो संवेदक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को सैकिण्ड लोऐस्ट से रिस्क एण्ड कोस्ट पर करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इतने समय तक कार्य अपूर्ण रहने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र देसूरी में वर्ष 2000-2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत 07 शौचालय एवं 08 पानी के टांके स्वीकृत हुए थे, जिनके निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में स्वीकृत उक्त कार्यों के निर्माण हेतु कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी, किन्तु निर्माण सामग्री क्रय हेतु शाला भवन निर्माण समिति द्वारा खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थी। संवेदक द्वारा निर्माण सामग्री समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी तथा समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(3) प्रश्नोत्तर के भाग संख्या-01 एवं 02 के अनुसार।

(4) प्रश्नोत्तर के भाग संख्या-01 एवं 02 के अनुसार।

विभिन्न पर्यटन स्थलों की निजी कम्पनियों को स्वीकृत लीज

30. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सरकार द्वारा विभिन्न पर्यटन स्थलों, पुराने महलों, हवेलियों तथा धार्मिक स्थलों आदि को निजी कम्पनियों एवं व्यक्तियों को लीज पर दिया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से किन शर्तों पर किस-किस को? पृथक-पृथक विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लीज राशि बाजार दर के आधार पर स्वतंत्र निविदाएं आमंत्रित कर निर्धारित की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त में से कुछ लीज निरस्त हुई हैं? यदि हां, तो क्यों तथा कौन-कौनसी एवं अब सरकार किस-किस को उक्त निरस्त लीज, स्वीकृत करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रथम एवं अब तक एक मात्र पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) प्रोजेक्ट के रूप में जल महल, जयपुर विकास प्रोजेक्ट की 100 एकड भूमि मैसर्स जल महल रिर्सोटस प्रा.लि. (मैसर्स के.जी. के कन्सोंटियम) मुम्बई को लीज पर दी गई है।

जल महल स्मारक के जीर्णोद्धार एवं मान सागर झील के संरक्षण तथा पर्यटन को बढावा देने के लिये 07.08.02 को ढांचागत विकास एवं निवेश बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया। इसके लिए एक्प्रेशन आफ इन्ट्रेस्ट दिनांक 25.04.2003 तथा 30 जुलाई, 2003 को खुली निविदाएं आमंत्रित की गई। जिसका लीज एग्रीमेन्ट विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) लीज हेतु ओपन टेन्डर आमंत्रित किये गये है विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट 'अ'

जल महल पर्यटन परियोजना एक नजर में

- राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे निजी भागीदारी से पूरा करवाया जाना है। इसमें नोडल एजेन्सी आर.टी.डी.सी. है।
- इसकी खुली निविदाएं जुलाई, 2003 में पीडीकोर के माध्यम से आमंत्रित की गई।

- निविदाओं में 4 प्रतिभागीयों के प्रस्तावों में से उच्चतम निविदा दाता फर्म केजीके को सफल माना गया।
- केजीके की कंपनी जल महल रिसोर्ट प्रा.लि. 100 एकड़ भूमि पर पर्यटक सुविधा का विकास राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार करेगा।

एरिया डिटेल

- जल महल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कुल एरिया -432 एकड़
- प्रोजेक्ट एरिया जो कि लीज पर विकास हेतु दिया गया -100 एकड़
- मानसागर लेक -310 एकड़
- लेक फ्रंट प्रोमेनोड -10 एकड़
- वेट लैण्ड एरिया -12 एकड़

प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्य (झील)

- जल महल स्मारक का जीर्णोद्धार
- मानसागर झील का संरक्षण।
- झील के पास जगह पर पर्यटकों की सुविधाऐं विकासित करना जैसे, क्राफ्ट बाजार, रिसोर्ट, हैरीटेज गांव, पार्क, स्पोर्ट एण्ड सैलिग क्लब इत्यादि।

प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्य (स्मारक)

प्रोजेक्ट दिया गया- जल महल रिसोर्ट प्रा.लि.

लाइसेन्स अवधि 99 वर्ष

सेलिएन्ट फीचर -

- स्मारक का जीर्णोद्धार अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप एवं मैन्टीनेस करना।
- स्मारक का म्यूजियम अथवा आर्ट गैलरी के रूप में स्थापित करना।
- स्मारक के जीर्णोद्धार पर लगभग 2.00 करोड़ का खर्चा अनुमानित।
- स्मारक में प्रवेश पर आम जनता एवं पर्यटकों से मान मात्र का प्रवेश शुल्क लिया जावेगा। जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारण किया हुआ होगा। (वाणिज्यिक स्मारक में नहीं होगी)
- प्रदूषण रहित नौकायन जिससे स्मारक तक पर्यटकों को पहुंचाया जा सके।

प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्य (झील)

कार्य प्रदाता- जयपुर विकास प्राधिकरण केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग की सहायता से।

- जो लीज राशि विकासकर्त्ता द्वारा दी जावेगी, उसे झील संरक्षण का कार्य करवाया जाता रहेगा।

सेलिएंट फीचर-

- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार झील का पानी स्वच्छ रखा जावेगा।
- शहर के गन्दे नालों के पानी के निस्तारण की सुविधा विकसित होगी।
- प्रोजेक्ट लीज राशि से भविष्य में झील संरक्षण पर होने वाले व्यय में उपयोग होगा।
- इससे झील के आस-पास के एरिया में जल स्तर में वृद्धि होगी।
- गन्दों नालों द्वारा एकत्र मलबे के झील में सीधे प्रवेश को रोका जा सकेगा।
- मानसागर झील से आगे सिंचाई के लिये स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सकेगा।

झील के किनारों पर कार्य

कार्य प्रदाता- जयपुर विकास प्राधिकरण एवं निजी विकासकर्ता

सेलिएंट फीचर-

- झील के चारों ओर लगभग 4.5 किमी लम्बा तथा 25 मीटर चौडे मार्ग का विकास पर्यटकों की सुविधा हेतु।
- झील के तीन ओर मार्ग का विकास जेडीए ने किया है। दक्षिणी ओर का विकास निजी विकासकर्त्ता करेगा।
- लीज राशि से भविष्य में मार्ग के रख-रखाव पर खर्चा होगा।
- झील के किनारे पर पर्यटकों की सुविधाओं का विकास जिसमें, क्राफ्ट बाजार, लेक रिसोर्ट, हैरीटेज गांव, पार्क एवं खेल तथा सेलिंग क्लब इत्यादि।
- कार्य प्रदाता-निजी विकासकर्त्ता जल महल रिसोर्ट प्रा.लि.
- जयपुर शहर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाऐं विकसित करना।

- परियोजना को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा करना।
- परियोजना से लगे एरिया में स्वच्छ पर्यावरणीय वातावरण का निर्माण करना।
- परियोजना में 86.38 प्रतिशत खुला स्थान रहेगा।
- बनने वाले भवनों की ऊंचाई भू-तल+प्रथम तल तक रहेगा जिसमें आस पास का एरिया दिखता रहे।

गतिविधियों जिनकी अनुमति रहेगी

- अनुबंध के अनुसार गतिविधियों जिनकी अनुमति रहेगी।
- होटल-रिसोर्ट-हैरीटेज विलेज-कन्वेंसन सेंटर
- स्पोर्ट एवं सैलिंग क्लब
- वोटिंग एवं सैलिंग (बिना मोटर वोट)
- लाइटिंग एवं साउन्ड शो
- आर्ट गैलेरी
- रेस्टोरेन्ट/फूड कोर्ट
- क्राफ्ट बाजार
- फैमिली एन्टरटेनमेंट सेन्टर/मल्टीप्लेक्स

वित्तीय प्रबंध

- निजी कर्ता आर.टी.डी.सी. को निम्न प्रकार राशि देगा
- प्रारम्भिक फीस-3 करोड़ (1 करोड़ लैटर आफ इंटेंट पर 2 करोड़ की बैंक गारंटी)
- 2.52 करोड़ रुपये प्रति वर्ष 10 प्रतिशत बढोत्तरी प्रत्येक 3 सालों के बाद करेगा।
- लीज राशि आर.टी.डी.सी. के प्रथम एस्को एकाउन्ट में जमा होगी। जिसका उपयोग लेक रेस्टोरेशन में होगा।
- वित्तीय खर्चा राज्य सरकार द्वारा/गठित लेक मोनिटरिंग कमेटी की अनुमति से किया जा सकेगा जिसमें विशेषज्ञ तथा निजी विकासकर्ता का एक नामित व्यक्ति सदस्य सम्मिलित होगा।

परिशिष्ट 'ब'

निविदा प्रक्रिया

जल महल पर्यटन योजना का विज्ञापन द्वारा जुलाई, 2003 में खुली निविदाऐं आमंत्रित की गई। (प्रति संलग्न है) उससे प्राप्त प्रस्तावों में से तकनीकी ''इवेल्यूएशन'' कमेटी के सम्मुख तीन निविदा दाता के प्रस्ताव आये :-

1. सीडास इन्वेस्टमेन्ट (इण्डिया) प्रा.लि., नई दिल्ली।
2. के.जी.के. एन्टरप्राइजेज, मुम्बई।
3. जे.एम. प्राजेक्टस प्रा.लि. नई दिल्ली।

उक्त प्रस्तावकों में से निम्न दो प्रस्तावक तकनीकी रूप से योग्य पाये गये :-

1. के.जी.के. एन्टरप्राइजेज, मुम्बई।
2. जे.एम. प्रॉजेक्टस प्रा.लि. नई दिल्ली।

जिनके वित्तीय प्रस्ताव निम्न प्रकार थे :-

1. जे.एम. प्रॉजेक्टस प्रा.लि., नई दिल्ली को 1,81,11,419/- प्रति वर्ष
2. 2. के.जी.के. एन्टरप्राइजेज, मुम्बई रु. 2,52,00,000 प्रति वर्ष

उच्चतम प्रस्तावक होने के कारण मैसर्स के.जी.के. एन्टरप्राइजेज, मुम्बई का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

परिशिष्ट-1

JAL MAHAL TOURISM PROJECT
FOR PRIVATE SECTOR DEVELOPER

Jaipur, the pink city, is a well known international tourism destination situted on the golden triangle (Delhi-Agra-Jaipur). It oeceives about 0.85 million 7 year including 0.18 million foregion tourists. These are projected to grow @ 4.5% per annum. The city also has a populaton of 2.5 million, which is growing at 3% per annum. The city thus offers an amiable climate for hospitlity, leisure and entertain entindusry investment.

A project opportunity exists along the famous jaipur-Amer tourist corridor adjoning the 300 acre water body known as the mansagar Lake and surronded by Nahargarh 4 Kilangarh hills. A 17th century monuments, known as Jal Mahal is situated amidst the Lake. The jal Mahal Tourism Project is a step towards developing an eco-friendly leisure destination on the banks of the mansagar lake.

Governement of Rajasthan (Gor) has taken the initiative for undertaken ecological restoration of mansagar Lake. Funds for this Have already been tied up with contribution from Miniary of Enviroment & Forests, Governement of India and construction works cormmenced. The implementaions is to be completed by March, 2004.

PDCOR, an IL & FS and GoR project development company, on behalf of jaipur Development Authority now invites expression of interest (EoI) from reputed companies, who are interested in developing the lake side land of 100 acres into an entertainment cum leisure destination. Land would be provided to the selected developer on a 60 year lease by JDA. The selected developer along with JDA would be jointly responsible for maintenacne of the Lake and its precincts on a sustain able formet.

Interested parties with a proven track record and experence in hospitality/ leisure/ recreation/ tourism/ multiplex/ housing/ resort and other related commercial projects can submit their EoIs along with their suggestins on land use. The possible components, with lowdensity use, of land are indicated below.

- Hertage Resort
- Sports Polo & Sailing Club
- Spa and Health Club
- Craft Bazar/Shopping
- Amusement Park/ Theme Park/ Water Park
- Restaurants & Food Court
- Family Entertainment Centre/ Multiplex

PDCOR & JDA will hold consultative meetings with the intersted pares prior to finalising the Request for Proposal (REP) document. These meetings would be scheduled in the 1/2nd week of may 2003. Detailed informationl on the project can be obtained from the following

Mr. Prakash, CEO
PDCOR Limited
315, Lakshmi Complex, M.I. Raod,
Jaipur 302 001
Tel. : 91 141 2373457/454/519
Fax : 91 141 2373614
Email pdcor_jp1@sancharnet.in
Web site www.pdcor.com

Ms Sujata Srikumar
IL & FS IDC Limted
New Delhi
Tel: 91112468 2060

Mr. Horni Aibara
Mahajan & Aibara
Mumbi
Tel: 91222218 2843

JAL MAHAL TOURISM PROJECT

In continuation to the invitation offered to private sector for developing jal mahal Tourism Project at Jaipur, vide our advertisment dated April 25, 2003, competitive bids are now being invited from interested parties to develop 100 acres of land adjacent to the mansagar Lake as an intergrated tourism & lesisure destination. GoR/JDA would offer land on along term lease of 99 years.

Interested parties meeting eligibility criterian and having proven track record in hospitality/ leisire/ recreation/ toursim/ multiples/ housing/ resort and other related commercial proejcts may participate in the process. The request for proposals (RFP) document in three volume (a) Instructions to Bidder & Bidding Formats (b) Project Information Memorandum and (c) Draft Lease agreement is available on www.pdcor.com in downloadable PDF formats.

The copy of the same can also be obtained from the address, mentioned below on payment of Rs. 5000/- (Rupees Five Thousands only) in the from of demand draft in favour of PDCOR Ltd. Jaipur.

The Closing Date for Bid Submission is September 5, 2003 at 5.00 PM. More information could be obtained from :-

Mr. Prakash, CEO
PDCOR Limited
315, Lakshmi Complex, M.I. Raod,
Jaipur 302 001
Tel. : 91 1412373457/454/519
Fax : 91 1412373614
Email pdcor_jp1@sancharnet.in
Web site www.pdcor.com

Mr. Homi Aibara
Mahajan & Aibara
Mumbi
Tel: 91 22 2218 2843

अंता (बारां) में वन्य जीवों द्वारा फसल क्षति पर रोक हेतु कार्य योजना

31. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले की अंता तहसील में हिरणों से फसल की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई? कार्य योजना की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) हिरणों की समस्या से निपटने हेतु क्या–क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) हिरणों की समस्या से निपटने हेतु गत 4 वर्षों के बजट प्रस्तावों

(श्री प्रमौद जैन 'भाया')

में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान रखा एवं इसमें से कितनी-कितनी राशि रिलीज कर क्या-क्या कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले की अंता तहसील में हिरणों से फसल की रक्षा हेतु वर्तमान में कोई कार्य योजना नहीं तैयार की गई है।

(2) भारतीय किसान संघ, राजस्थान प्रदेश तहसील अन्ता, जिला बारां द्वारा हिरणों से फसलों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हेतु दिनांक 24/10/07 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ।

हिरणों से फसलों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सोरसन वन क्षेत्र में 300 हैक्टेयर में क्लोजर बनाने हेतु 8 किमी पक्की दीवार का निर्माण तथा चारा उत्पादन हेतु 36 हैक्टेयर का क्लोजर निर्माण एवं हिरणों की पेयजल व्यवस्था हेतु तलाइयों एवं एनीकट के निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर को प्रेषित किये।

(3) हिरणों की समस्या से निपटाने हेतु गत 4 वर्षों के बजट प्रस्ताव में कोई राशि नहीं रखी गयी।

नगर विकास न्यास भीलवाड़ा निजी खातेदारी की आवासीय योजनाओं का नियमन

32. **श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया** (भीलवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में विचाराधीन निजी खातेदारों की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं में कितने प्रस्तावों के ले-आउट प्लान स्वीकृत हैं? क्या स्वीकृत ले-आउट प्लानों में सभी मे 90-बी की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा निजी खातेदारी भूमि के स्वीकृत ले-आउट प्लान व 90-बी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी प्रस्तावों में आवासीय नियमन की कितने प्रकरणों में कार्यवाही पूरी कर ली गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शेष रहे बकाया प्रस्तावों में नियमन की कार्यवाही कब तक पूरी करली जावेगी?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा में विचाराधीन निजी खातेदारों की प्रस्तावित आवासीय योजना में 31.1.08 तक 30 प्रकरणों में ले-आउट प्लान स्वीकृत किए गए हैं। 26 प्रकरणों का निस्तारण कर 90बी की कार्यवाही की जा चुकी है तथा 4 प्रकरण में प्रक्रिया जारी है। (परिशिष्ट ''अ'')

(2) जिन प्रकरणों में 90बी की कार्यवाही की जा चुकी है उन खातेदारों द्वारा न्यास के नाम भूमि दर्ज होने के पश्चात् एवं उनके द्वारा निर्धारित नियमन आवेदन में ले-आउट अनुसार आवेदन करने पर दिनांक 31.1.08 तक 1124 पट्टे जारी किए जाकर कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

(3) जब भी खातेदार द्वारा नियमन फार्म के साथ आवेदन किया जावेगा। उन्हें तत्काल निस्तारण किया जाता रहेगा।

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

ले आउट अनुमोदन एवं 90 बी निस्तारण के मामलों का विवरण

क्र. सं.	बैठक दिनांक	प्र.सं.	ग्राम	आराजी नंबर	रकबा	खातेदार का नाम	90बी	कुल नियमन आवेदन	नियमन कार्यवाही पूण
1.	27.10.06	2	मलाण	133, 136	1 बीघा 17 बिस्वा	मोना, लता	90 बी हो चुकी है।	9	9
2.	27.10.06	6	पांसल	3550	2 बीघा 8 बिस्वा	अंजना वगैरहा	90 बी शेष	-	-
3.	27.10.06	7	भीलवाड़ा	2324, 2326	4 बीघा	रामकन्या वगैरहा	90 बी शेष	-	-
4.	27.10.06	13	आटूण	1090, 1091, 1093 से 1096	7 बीघा 17 बिस्वा	विनोद गणपत डांगी	90 बी हो चुकी	36	31
5.	27.10.06	14	आटूण	607, 608/1, 602/2703	2 बीघा 10 बिस्वा	सत्यनारायण वगैरा	90 बी हो चुकी	7	6
6.	27.10.06	16	केवाड़ा	58, 59, 60 77/1 व 78	3/08	सत्यनारायण नुवाल	90 बी हो चुकी	20	-
7.	27.10.06	17	मलाण	993/ 3, 1375/3	0, 08 बिस्वा	जगदीश समदानी	90 बी हो चुकी	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	27.10.06	18	हरणीखुर्द	52, 53, 43/1, 601/53	6 बीघा 11 बिस्वा	सुशीला, उषा, रश्मि, अनुराधा	90 बी हो चुकी	1	1
9.	27.10.06	19	मलाण	1059, 1065, 1181, 1183	31 बीघा 13 बिस्वा	अशोक, पुष्पेन्द्र, दीपक	90 बी हो चुकी	300	255
10.	27.10.06	20	जोधड़ास	165, 166, 168 वगैरह	22 बीघा 8 बिस्वा	बिन्दु देवी	90 बी हो चुकी	178	151
11.	27.10.06	23	पांसल	3444, 3447, 3472 वगैरह	9 बीघा 15 बिस्वा	तुलछा, मगना	90 बी हो चुकी	90	78
12.	27.10.06	25	पांसल	3104 से 3106, 3112 से 3118	11 बीघा 3 बिस्वा	रोटोमेक सुन्दरलाल रांका वगैरा	90 बी हो चुकी	68	53
13.	27.10.06	26	पांसल	3102	5 बीघा 17 बिस्वा	चन्दा एवं नीता	90 बी हो चुकी	15	13
14.	27.10.06	26	पांसल	3103/1, 3103/2	6 बीघा 10 बिस्वा	उषा, अन्जु वगैरा	90 बी हो चुकी	27	24
15.	27.10.06	28	मलाण	177/2, 178, 179, 221, 222 वगेरह	18 बीघा बिस्वा 1 1/3	लादू वगैराह	90 बी हो चुकी	45	-
16.	27.10.06	29	आटूण	519, 521, 523, 524 वगैरह	44 बीघा 6 बिस्वा	केशरिया बिल्डर्स	90 बी हो चुकी	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	27.10.06	30	आटूण	132, 134 वगैरह	4 बीघा	भैरू/भूरा	90 बी हो चुकी	-	-
18.	18.1.07	12	आरजिया	475, 476, 468/2 वगैरह किता 65	124 बीघा 16 बिस्वा	माधव ग्रेनाइट	90 बी हो चुकी	519	451
19.	27.10.06	4	पांसल	2737/1, 2737/2	1-13	गोपाललाल	90 बी हो चुकी	-	-
20.	18.1.07	2	आटूण	686, 687, 688 एवं 2395/686 से 2403/686	18-01	बाबूलाल सुखदेव	90 बी हो चुकी	-	-
21.	18.1.07	3	मलाण	180, 181/1, 181/2, 182, 209/3, 210 से 216, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219 व 200	27-11	शंकरलाल, मदनलाल वगैरहा	90 बी हो चुकी	-	-
22.	18.1.07	4	पांसल	2713, 2714, 2719/1, 2725, 2726, 2717, 2716, 4470/2727	26-13	गुलाब, छाउ गुर्जर	90 बी हो चुकी	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	18.1.07	5	पांसल	2722, 2721/1, 2721/2, 2721/3, 2721/4, 2733, 2735, 2734, 2736	21-18	सुनीता, रेणु, तुलसी	90 बी हो चुकी	-	-
24.	18.1.07	6	पांसल	1024	0-04	जलेश्वर भक्त	90 बी हो चुकी	1	शेष
25.	18.1.07	8	मलाण	1285/142	0-06	अमरसिंह कांठेड़	90 बी हो चुकी	1	1
26.	18.1.07	10	आटूण	636, 651	12-17	कनक बिल्डर्स	90 बी हो चुकी	92	92
27.	18.1.07	11	ओडो का खेड़ा	318, 322, 326, 327 एवं 246	3-00	लक्ष्मीदेवी भलावत	90 बी हो चुकी	-	-
28.	18.1.07	12	पांसल	4708/3691, 4709/3893	2-00	अंजना वगैरहा	90 बी शेष	-	-
29.	18.1.07	14	पांसल	3851	2-17	शीतल वगैराह	90 बी हो चुकी	16	16
30.	18.1.07	15	आटूण	605 एवं 606/2	4-06	संजीव महता	90 बी हो चुकी	-	-

पाटिया गलियां ग्राम पंचायत (बांसवाड़ा) में रोजगार गारंटी योजनानतर्गत लाभान्वित परिवार

33. श्री जीतमल खांट (बागीडौरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में रोगगार गारण्टी योजना शुरू की गई है? यदि हां, तो यह योजना कब से शुरू की गई?

(2) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा की ग्राम पंचायत पाटीया गलियां पंचायत समिति आनन्दपुरी में योजना शुरू होने से जनवरी, 2008 तक कुल कितने जोब कार्ड जारी किये गये? जोब कार्डधारी के कार्ड की क्र.सं./नाम/पिता/पति का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जोब कार्ड पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो ग्राम पंचायत पाटीया गलियां पंचायत समिति आनन्दपुरी के ऐसे कितने जोब कार्डधारी है जिनको 100 दिन का रोजगार दिया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान योजना शुरू की गई है। यह योजना दिनांक 2 फरवरी, 2006 से क्रियान्वित की गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा की ग्राम पंचायत पाटीया गलियां पंचायत समिति आनन्दपुरी में योजना शुरू होने से जनवरी, 2008 तक कुल 983 जॉब कार्ड जारी किये गये है, जिनका ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है। जॉब कार्डधारी के कार्ड की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि जाबकार्ड पर 100 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ग्राम पंचायत पाटीयां गलियां पंचायत समिति आनन्दपुरी में 65 जाब कार्डधारी है, जिनको 100 दिन का रोजगार दिया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

भीलवाड़ा जिले में पृथक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना

34. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के अन्तर्गत भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ दोनों जिले सम्मिलित है? यदि हां, तो दोनों जिलों से प्रतिदिन अलग-अलग कितना दुग्ध संकलित होता है तथा कितना विपणन होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भीलवाड़ा डेयरी के चित्तौड़गढ़ अवशीतन केन्द्र पर हो रहे औसत प्रतिदिन दुग्ध संकलन एवं विपणन की मात्रा से राजस्थान कापरेटिव डेयरी फेडरेशन के अन्तर्गत आने वाले कितने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पीछे हैं? राज्य के सभी डेयरी संघों का वर्ष 2007-08 में हुआ संकलन का मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भीलवाड़ा डेयरी से चित्तौड़गढ़ जिले को अलग कर पृथक संघ बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ की जिलेवार दुग्ध संकलन एवं विपणन मात्रा का विवरण निम्नानुसार है :-

जिला	**वर्ष 2007-08 में माह दिसमबर, 07 तक की प्रतिदिन औसत मात्रा**	
	दुग्ध संकलन (कि.ग्रा.)	**दुग्ध विपणन (लीटर)**
भीलवाड़ा	110917	78515
चित्तौड़गढ़	41270	47000

(2) दुग्ध संकलन एवं दुध विपणन के क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ की तुलना में राज्य के 19 जिलों दुग्ध संघों में से क्रमशः 9 दुग्ध संघ दुग्ध संकलन एवं 13 दुग्ध संघ दुग्ध विपणन में पिछड़े हुए हैं। वर्ष 2007-08 में माह दिसम्बर, 07 तक दुग्ध संघों का औसतन दुग्ध संकलन एवं विपणन मात्रा का विवरण प्रदर्श 1 एवं प्रदर्श-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। चित्तौड़गढ़ जिले में पृथक दुग्ध संघ के गठन हेतु फैडरेशन स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के सहकारिता विभाग को प्रेषित कर दिये गये हैं।

प्रदर्श-1

RAJASTHAN COOPERATIVE DAIRY FEDERATION LTD., JAIPUR
MONTHWISE PROGRESS STATUS

MONTH	AJM	ALW	BNS	BAR	BHR	BHL	BKN	CHU	GNG	JAL	JPR	JHL	JDH	KTA	NGR	PLI	SKR	TNK	UDP	TOT/AVG
MILK PROCUREMENT (TKGPD)																				
APR' 07	125	56	5		5	163	64	28	111	37	473	10	66	29		47	47	19	53	1339
MAY'07	104	46	6		3	149	55	25	87	37	434	8	64	21		46	44	16	53	1198
JUN' 07	81	35	5		3	122	48	21	78	32	345	5	57	13		39	37	11	53	986
JUL' 07	75	41	4	14	3	128	47	19	79	25	324	7	33	16	8	40	35	12	56	967
AUG' 07	82	54	5	14	5	163	46	19	81	26	365	16	34	19	10	56	36	17	67	1114
SEP' 07	83	75	7	14	12	175	45	18	95	25	413	22	34	24	10	56	44	21	77	1250
OCT' 07	81	81	8	15	8	160	48	20	102	25	393	21	32	21	9	48	49	20	76	1217
NOV' 07	94	89	9	16	12	143	48	23	118	27	464	15	34	21	10	46	51	19	68	1307
DEC' 07	136	112	10	21	19	166	64	29	154	37	589	18	47	30	17	56	62	26	69	1662
JAN' 08 TENTA-TIVE	162	105	9	22	17	183	69	28	165	45	634	20	59	35	19	63	63	28	69	1797
TOT/AVG APR-JAN	**102**	**70**	**7**	**12**	**9**	**155**	**53**	**23**	**107**	**32**	**444**	**14**	**46**	**23**	**8**	**50**	**47**	**19**	**64**	**1285**

प्रदर्श-2

RAJASTHAN COOPERATIVE DAIRY FEDERATION LTD., JAIPUR
MONTHWISE PROGRESS STATUS : CITY SUPPLY

MONTH	AJM	ALW	BNS	BAR	BHR	BHL	BIN	CHU	GNG	JAL	JPR	JHL	JDP	KTA	NGR	PLI	SKR	TNK	UDP	TOT/AVG
MILK PROCUREMENT (TKGPD)																				
APR' 07	100.3	118.6	5.7	0.0	2.7	145.1	21.6	6.6	46.6	18.0	541.9	11.7	91.6	39.0	0.0	28.3	30.3	21.3	80.8	1310
MAY'07	102.8	126.1	5.8	0.0	1.6	140.3	16.6	5.5	42.2	18.5	529.1	11.9	79.2	39.8	0.0	27.3	26.3	20.3	74.2	1268
JUN' 07	113.9	125.0	4.6	0.0	2.3	158.4	19.9	7.2	43.2	16.6	553.1	7.9	81.9	49.2	0.0	26.9	32.3	24.1	64.7	1331
JUL' 07	116.9	100.5	4.1	7.5	1.9	137.3	18.5	7.2	41.4	12.1	553.8	7.8	66.9	48.4	14.2	24.1	30.3	22.8	61.2	1277
AUG' 07	111.1	112.7	4.3	7.0	1.5	130.2	20.8	5.4	41.4	10.9	555.9	6.8	70.4	45.1	13.5	23.1	27.4	19.5	60.8	1268
SEP' 07	111.1	103.2	5.1	7.5	1.5	115.1	20.3	5.1	38.1	11.2	523.5	5.7	72.4	43.7	13.1	23.6	23.9	18.0	61.2	1203
OCT' 07	121.2	102.7	6.1	6.8	1.7	122.4	20.1	5.2	36.2	11.8	544.8	6.7	70.4	48.5	13.4	28.1	22.8	21.2	68.0	1258
NOV' 07	108.8	89.3	5.6	6.2	1.4	119.5	17.4	7.5	36.9	12.1	512.0	7.1	64.7	39.7	15.2	25.4	26.8	18.5	70.1	1184
DEC' 07	87.0	81.5	6.4	5.1	1.3	112.3	16.3	3.6	31.9	9.8	457.9	6.4	57.2	39.2	13.9	20.2	16.2	16.5	63.2	1046
JAN' 08	85.3	82.9	7.2	6.7	1.2	115.5	16.1	3.0	31.1	10.4	456.1	6.0	57.7	40.1	12.0	18.8	15.7	17.0	66.2	1049
FEB' 8																				
MAR' 08																				
TOT/AVG APR-JAN Ian Tentative	**105.8**	**104.2**	**5.5**	**4.7**	**1.7**	**129.6**	**18.8**	**5.6**	**38.9**	**13.1**	**522.7**	**7.8**	**71.2**	**43.3**	**9.6**	**24.6**	**25.2**	**19.9**	**67.0**	**1219**

सहाड़ा में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनानतर्गत लाभान्वित परिवार

35. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों में कितने चयनित परिवारों को विद्युत कनेक्शन दे दिये गये व कितने वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना से वंचित रहे परिवारों को भी विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाडा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों में चयनित बी.पी.एल. परिवारों को जारी किये गये एवं लम्बित कनेक्शनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

पं.स. का नाम	जारी कनेक्शन	लम्बित कनेक्शन
रायपुर	1067	119
सहाड़ा	1145	692

(2) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से लम्बित रहे चयनित परिवारों को भी माह मार्च, 2008 तक कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे।

अक्षत योजनान्तर्गत लाभान्वित बेरोजगार

36. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) एवं **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बेरोजगारों को भत्ता देने के लिये अक्षत योजना राजस्थान में लागू की गई है? यदि हां, तो कब से?

(2) बेरोजगार भत्ते के लिये क्या पात्रता निर्धारत की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता रखने वाले राजस्थान के विभिन्न जिलों में कितने-कितने व्यक्ति नियोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं और उनमें से अब तक कितने युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री लालचंद कटारिया)

(4) उक्त योजना के अन्तर्गत कितने प्रार्थना-पत्र विभिन्न जिलों में अब तक विचाराधीन हैं?

उत्तर

(1) जी हां। स्नातक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिये राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना (अक्षत योजना) दिनांक 01.07.2007 से लागू कर दी है।

(2) बेरोजगार भत्ते के लिये निर्धारित पात्रता परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(3) इस योजना के अंतर्गत निर्धारित योग्यता रखने वाले राजस्थान के विभिन्न जिलों के नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत आशार्थियों की संख्या परिशिष्ट ख पर संलग्न है। योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता रखने वाले आशार्थियों के द्वारा आवेदन करने पर नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

योजना के लागू होने की तिथि 01.07.2007 से 31.01.2008 तक 16736 पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट ग पर उपलब्ध है।

(4) उक्त योजनान्तर्गत प्रार्थना पत्र प्राप्त होना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रतिमाह प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण करते हुये बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत/ अस्वीकृत कर दिया जाता है। दिनांक 31.01.2008 तक विभिन्न जिलों में 4169 प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट घ पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट क

पात्रता 1-प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।

2- प्रार्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर राजस्थान राज्य स्थित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक का डिग्रीधारी होना चाहिये।

3- आयु सीमा- भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी परन्तु अधिनियम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिये 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति के आशार्थियों के लिये 35 वर्ष होगी।

4- प्रार्थी प्रदेश के किसी भी एक रोजगार कार्यालय में आवेदन की तिथि से विगत न्यूनतम छः माह से लगातार पंजीकृत हो। एक से अधिक रोजगार कार्यालयों में पंजीयन होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

5- यदि प्रार्थी को पंजीयन के पश्चात उक्त छः माह की अवधि में विभाग के द्वारा रोजगारोनोमुखी दक्षता प्रशिक्षण (Skill Training) प्राप्त करने हेतु किसी संस्थान में अग्रेषित (Sponsor) किया जाता है और प्रार्थी उसे अस्वीकार कर देता है तो वह इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये अयोग्य होगा।

6- प्रार्थी अन्य किसी कोष से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो।

7- प्रार्थी किसी भी राजकीय या निजी संस्था द्वारा किसी भी पद पर से पदच्युत (बर्खास्त) नहीं किया गया हो।

8- बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम दो वर्ष की अवधि अथवा उसके नियोजन/ स्वनियोजन प्राप्त करने तक की अवधि के लिये स्वीकार्य होगा।

9- भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी को रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरंतर जारी रहना चाहिये।

10- यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार है तथा वे अन्यथा इस योजना के तहत योग्य है तो उन सभी (अधितम 2 व्यक्ति) को बेरोजगार भत्ता देय होगा।

अपात्रता

इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार के आशार्थी बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने के लिये अपात्र होंगे :-

1- वे बेरोजगार इंजीनियर जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं।

2- इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात भी अपनी शिक्षा निरन्तर रख रहे हैं।

3- इस प्रकार के बेरोजगार स्नातक जो कि किसी अन्य रोजगार

योजना जैसे कि PMGSY, NREGA के तहत लाभ प्राप्त कर रहे है। NREGA में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

4- ऐसे बेरोजगार स्नातक जिनके माता पिता की संयुक्त वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो।

परिशिष्ट–ख

राजस्थान के विभिन्न जिलों के रोजगार कार्यालयों में निर्धारित योग्यता के पंजीकृत आशार्थियों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल आशार्थी
1	अजमेर	9357
2	अलवर	16712
3	बांसवाड़ा	6576
4	बारां	7196
5	बाडमेर	4060
6	भरतपुर	12736
7	भीलवाड़ा	4804
8	बीकानेर	8261
9	बूंदी	5868
10	चित्तौड़गढ़	4178
11	चूरू	7585
12	दौसा	11708
13	धौलपुर	3370
14	डूंगरपुर	6471
15	हनुमानगढ़	4273
16	जयपुर	43462
17	जैसलमेर	1016
18	जालौर	2790
19	झालावाड़	5894
20	झुन्झुनूं	22727
21	जोधपुर	9070
22	करौली	6548

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल आशार्थी
23	कोटा	13328
24	नागौर	8503
25	पाली	5051
26	राजसमंद	1785
27	सवाई माधोपुर	10043
28	सीकर	9275
29	सिरोही	4767
30	श्री गंगानगर	8607
31	टोंक	6838
32	उदयपुर	7822
	योग	**280681**

परिशिष्ट–ग

बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने वाले आशार्थी

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल आशार्थी
1	अजमेर	301
2	अलवर	702
3	बांसवाड़ा	246
4	बारां	367
5	बाडमेर	342
6	भरतपुर	990
7	भीलवाड़ा	215
8	बीकानेर	329
9	बूंदी	469
10	चित्तौड़गढ़	298
11	चूरू	695
12	दौसा	1298
13	धौलपुर	433
14	डूंगरपुर	558
15	हनुमानगढ़	113

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल आशार्थी
16	जयपुर	903
17	जैसलमेर	180
18	जालौर	221
19	झालावाड़	535
20	झुन्झुनूं	1239
21	जोधपुर	388
22	करौली	249
23	कोटा	584
24	नागौर	261
25	पाली	509
26	राजसमंद	218
27	सवाई माधोपुर	1541
28	सीकर	672
29	सिरोही	244
30	श्री गंगानगर	251
31	टोंक	1009
32	उदयपुर	376
	योग	**16736**

परिशिष्ट -घ

राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारी भत्ता हेतु आशार्थियों के विचाराधीन आवेदन पत्रों का जिलेवार विवरण दिनांक 31.01.08 की स्थिति

क्र.सं.	जिले का नाम	विचाराधीन आवेदन पत्र (31.01. 2008)
1	अजमेर	46
2	अलवर	213
3	बांसवाड़ा	0
4	बारां	437
5	बाडमेर	109

क्र.सं.	जिले का नाम	विचाराधीन आवेदन पत्र (31.01. 2008)
6	भरतपुर	0
7	भीलवाड़ा	8
8	बीकानेर	86
9	बूंदी	0
10	चित्तौड़गढ़	43
11	चूरू	170
12	दौसा	567
13	धौलपुर	66
14	डूंगरपुर	0
15	हनुमानगढ़	19
16	जयपुर	213
17	जैसलमेर	0
18	जालौर	53
19	झालावाड़	0
20	झुन्झुनूं	118
21	जोधपुर	0
22	करौली	426
23	कोटा	237
24	नागौर	181
25	पाली	51
26	राजसमंद	14
27	सवाई माधोपुर	696
28	सीकर	24
29	सिरोही	24
30	श्री गंगानगर	30
31	टोंक	338
32	उदयपुर	0
	योग	**4169**

अक्षत योजना के प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रति माह 15 वें कार्यदिवस को एक साथ वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है इस कारण चालू माह के कार्यदिवस से अगले माह के 15 वें कार्यदिवस तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र विचाराधीन की श्रेणी में आते हैं।

प्रताप स्टेडियम निवाई (टोंक) का विकास

37. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या युवा एवं खेल कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड मुख्यालय निवाई स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रताप स्टेडियम को विकसित करने का प्रस्ताव सरकार को विचाराधीन है?

(2) सरकार उक्त स्टेडियम को विकसित करने के लिए क्या-क्या कार्य अब तक कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। शैक्षणिक संस्थाओं में खेल स्टेडियम बनाने की योजना युवा मामले एवं खेल विभाग के पास नहीं है, अपितु पूरे राज्य में तहसील स्तर पर खेल स्टेडियम बनाने की योजना इस वर्ष बनाई जा चुकी है, जिसे आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाना है।

(2) शैक्षणिक संस्थाओं में खेल स्टेडियम बनाने की योजना युवा मामले एवं खेल विभाग के पास नहीं है, अपितु पूरे राज्य में तहसील स्तर पर खेल स्टेडियम बनाने की योजना इस वर्ष बनाई जा चुकी है, जिसे आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाना है।

आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों में भूकम्प विरोधी तकनीक

38. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य में आवासन मंडल द्वारा बनाए जा रहे रिहायशी/ व्यवसायिक भवनों को भूकम्परोधी तकनीक से बनाया जा रहा है? यदि हां, तो इस हेतु क्या-क्या तकनीक या विधि अपनाई जा रही है?

उत्तर

जी हां। रिहायशी एवं व्यावसायिक भवनों के भूकम्प रोधी बनाने हेतु भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त सामान्य प्रावधान तथा रीति संहिता में बताई तकनीकी व विधि अपनाई जा रही है।

बांसवाड़ा जिले में किसान फार्मपोंट योजना हेतु निविदा

39. श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अर्जुन सिंह)

(1) क्या यह सही है कि रोजगार गारन्टी योजनाओं में किसानों को फार्मपोंट दिये गये हैं? यदि हां, तो पंचायत समिति बागीदौरा, ललवाड़ा, पीपलखूंट में किन-किन किसानों को उक्त फार्मपोंट दिये गये? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) फार्मपोंट पर कार्य चालू करने के लिये मस्टरोल किस दिनांक को जारी किये गये? पंचायत समितिवार जारी दिनांक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) फार्मपोंट में किसानों को कितने-कितने पौधे दिये गये? पौधे सप्लाई करने की दिनांक का पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पौधों की निविदा जारी की गई थी? यदि हां, तो किन-किन समाचार पत्रों में इस हेतु विज्ञप्ति दी गई? समाचार पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(5) क्या यह सही है कि पौधों की निविदा के लिये कमेटी बनाई गई थी? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी थे? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि इस कमेटी में उद्यान विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं था?

(7) क्या यह सही है कि इस हेतु उद्यान विभाग से सुझाव मांगे गये थे? यदि हां, तो उद्यान विभाग द्वारा क्या सुझाव दिया गया? सुझाव की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि रोजगार गारंटी योजनाओं में किसानों को फार्मपोंट दिये गये हैं। पंचायत समिति बागीदोरा एवं तलवाड़ा में किसानों को फार्मपाण्ट दिये गये हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट –अ पर संलग्न है तथा पंचायत समिति पीपलखूंट में फार्म पोण्ट नहीं दिये गये है।

(2) फार्मपोंट कार्य चालू करने के लिये जारी किये गये मस्ट्रोल की दिनांक की पंचायत समितिवार सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) फार्मपोंट में किसानों को दिये गये पौधे एवं पौधे सप्लाई करने की दिनांक का विवरण पंचायत समितिवार परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(4) जी हां। निदेशालय सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक DIP&EC/6526/2007 दिनांक 18.8.07 के अनुसार ITJ (N) कलकत्ता, जनसत्ता (N) नई दिल्ली, राजस्थान पत्रिका (D) उदयपुर एवं प्रातःकाल (D) उदयपुर में विज्ञप्ति दी गई थी, जो दैनिक जनसत्ता, नई दिल्ली में दिनांक 24.8.07 को एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 28.8.07 को छपा है। विज्ञप्ति की छाया प्रति संलग्न है।

(5) जी हां। पौधों की निविदा के लिये कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में निम्नलिखित अधिकारी थे-

1- श्री राकेश जायसवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, छत्म्ळेद्व जिला परिषद, बांसवाड़ा।

2- श्री ललित मोरडिया, परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद, बांसवाड़ा

3- श्री देवकृष्ण वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, भू-संसाधन जिला परिषद, बांसवाड़ा।

4- श्री अतीश शर्मा, सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद, बांसवाड़ा

(6) जी हां। यह सही है कि इस कमेटी में उद्यान विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं था?

(7) जी हां। उद्यान विभाग, राजस्थान जयपुर को फलदार पौधों की आपूर्ति करने बाबत जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा उनके पत्र क्रमांक 4383 दिनांक 1.8.07 द्वारा पौधों की आपूर्ति करने बाबत पत्र लिखा गया था। परन्तु उद्यान विभाग से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। पत्र की प्रति संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रख गया)

राजगढ़ (चूरू) के काश्तकारों को उन्नत बीज की उपलब्धता

40. श्री नन्दलाल पूनिया (सार्दुलपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि काश्तकारों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या व क्या काश्तकारों को उन्नत किस्म के बीज समय पर उपलब्ध कराये जाते हैं?

(श्री नन्दलाल पूनिया)

(2) सरकार द्वारा राजगढ़ (चूरू) में गत तीन वर्षों में किस-किस किस्म के कितने उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। काश्तकारों को उन्नत किस्म के बीज समय पर उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन लि. जयपुर, राष्ट्रीय बीज निगम, तिलहन संघ, कृभकों, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जैतसर, सरदारगढ़ एवं निजी क्षेत्र के अधिकृत बीज विक्रेताओं के माध्यम से व्यवस्था कराई जाती है। खरीफ 07 में कुल 3.25 लाख क्विं. एवं रबी 2007-08 में कुल 8.21 लाख क्विं. बीज का वितरण हुआ। वर्ष 2006-07 में खरीफ में 2.42 लाख क्विं. व रबी में 6.30 लाख क्विं. बीज वितरित किया गया था।

(2) राजगढ़ (चूरू) में गत तीन वर्षों में एवं चालू वर्ष में खरीफ एवं रबी में फसलवार निम्न प्रकार उपलब्ध कराए गए।

इकाई (क्विं.) में

क्र. सं.	**सीजन**	**नाम फसल**	**किस्म**	**04-05**	**05-06**	**06-07**	**07-08**
1	खरीफ	बाजरा	एचएचबी-60, एचएचबी 67, आरएचबी 90, आईसीएमएच-356	95	80	98	97.5
		मोठ	आरएमओ-40, आरएमओ-225, आरएमओ-435	42	48	51	44.5
		मूंग	मम-2, आरएमजी-62, के-851, आरएमजी-268	115	122	103	118.8
		योग		**252**	**250**	**252**	**260.8**

क्र. सं.	सीजन	नाम फसल	किस्म	04-05	05-06	06-07	07-08
2	रबी	गेहूं	राज-3765,3077, 1482	850	870	865	895
		सरसों	वसुन्धरा, बोया-902, पूसा बोल्ड, लक्ष्मी आदि	5	6.2	6.8	6.2
		चना	जीएनजी-469, आरएसजी -888, डीसीपी-92-3	935	1122	1345	1365

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मंत्रालयिक/सहायक संवर्ग कर्मियों के वेतन संशोधन हेतु गठित समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

30. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (नदबई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1998 में राजकीय मुद्रणालय के तकनीकी, कर्मचारी, चिकित्सा विभाग के ऑप्थेलमिक सहायक (नेत्र चिकित्सा सहायक) एवं कम्प्यूटर सेवा के पदों के वेतनमानों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है तथा वेतन संशोधन के लिये गठित यतीन्द्र सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है? यदि हां, तो इन अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन संशोधन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक निर्णय लिया जाकर संशोधित वेतनमानों का लाभ उक्त कर्मियों को दे दिया जावेगा।

उत्तर

दिनांक 10.08.2007 को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में वित्त (नियम अनुभाग) विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन संख्या पं.12(1)वित्त/नियम/03 दिनांक 29.03.2007 पर विचार-विमर्श कर ज्ञापन में अंकित राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1998 वेतनमानों में विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित श्री वाई. सिंह समिति की रिपोर्ट में सम्मिलित सिफारिशों के संबंध में निर्णय लिया गया कि चूंकि अब छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों शीघ्र ही अपेक्षित हैं, अतः वेतन विसंगतियों के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

राज्य कर्मियों के यात्रा/विश्राम भत्तों का पुनर्निर्धारण

31. **डा. सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा) एवं **श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों के यात्रा व विश्राम भत्तों की दरों का पुनर्निर्धारण का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसकी निर्धारण कब तक कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि यात्रा विश्राम भत्तों के संबंधित नियमों में संशोधन के लिये विगत बजट भाषण 2006-07 में घोषणा भी की गई थी?

(श्री अर्जुन सिंह)

यदि हां, तो उक्त घोषणा की क्रियान्विति अब तक क्यों नहीं की गई? क्या सरकार उक्त घोषणा के अनुरूप संशोधन के आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) केन्द्र व राज्य कर्मचारियों के यात्रा व विश्राम भत्तों की दरों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य कर्मचारियों के यात्रा व विश्राम भत्ते की दरों का पुन: निर्धारण परिक्षाणाधीन है।

(2) जी हां। यात्रा/ विश्राम भत्तों में संशोधन के लिए बजट भाषण 2006-07 में घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा के तहत संशोधन परीक्षणाधीन है।

(3) केन्द्र व राज्य कर्मचारियों के यात्रा व विश्राम भत्तों की दरों का तुलनात्मक विवरण संलग्न है। (संलग्नक ''अ'')

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया।)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि लेखों की वेबसाइट पर उपलब्धता

32. डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा व प्रावधीय निधि लेखा खातों हेतु वेबसाइट तैयार करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब व क्या उक्त की क्रियान्व‍िति कर लेखे अपडेट कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त लेखे अब कब तक अपडेट कर दिये जायेंगे?

उत्तर

जी हां। वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट अभिभाषण में राज्य कर्मचारियों की सुविधा हेतु एक व्यापक Web-portal बनाये जाने की घोषणा की गयी थी। उक्त कि क्रियान्विति हेतु विभागीय वेबसाइट www.sipf.gov.in पर राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि लेखा खातों के इन्डेक्स की सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है। कर्मचारियों के बीमा पालिसी के बीमाधन तथा बोनस की सूचना भी वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी गई है।

जयपुर में आयोजित रैली/सभा पर व्यय

33. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जयपुर में आयोजित रैली/सभा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तथा निजी बस मालिकों की बसों को उपयोग में लिया गया है? यदि हां, तो कितनी-कितनी बसों को? जिलेवार पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रैली/सभा के आयोजन में किये गये इन्तजामात पर कितनी राशि सरकार तथा कितनी राशि अन्य द्वारा व्यय की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम के लिये सरकार की ओर से भी व्यवस्था की गई है तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की भी सेवाएं ली गई? यदि हां, तो किस-किस विभाग के कितने-कितने अधिकारियों व कर्मचारियों की? व्यय की गई राशि के विवरण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त मीटिंग के आयोजन में अनियमितता हुई है तथा कानून का उल्लंघन भी किया गया है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जयपुर में आयोजित सभा में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तथा निजी बस मालिकों की बसों को उपयोग में नहीं लिया।

(2) सभा के आयोजन में राज्य सरकार द्वारा किये गये इन्तजामात पर रुपये 29,65,104/- की राशि व्यय हुई।

(3) उक्त कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के अलावा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई थी, उनका विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट ''क''

अमरूदों का बाग में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह/ रैली में निम्न विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी :-

क्र. सं.	पद नाम	संख्या
1.	जिला कलक्टर, जयपुर	
	कर्त्तव्यस्थ मजिस्ट्रेट	5
	अधिकारी	5

क्र. सं.	पद नाम	संख्या
2.	चिकित्सा विभाग	अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए 2 चिकित्सा दल प्रत्येक दल में निम्न अधिकारी/ कर्मचारी नियुक्त थे।
	चिकित्सक	दो
	नर्सिंग स्टाफ	एक
	वार्ड बॉय	एक
	वाहन चालक मय एम्बुलेंस	एक
	राजमार्गों पर 8 एम्बुलेंस लगाई गई थी जिसमें प्रत्येक एम्बुलेंस में :-	
	चिकित्सक	1
	नर्स	1
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
3.	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	
	उद्घोषक	02
	जनसम्पर्क अधिकारी	02
	ई.एन.जी./ छायाकार/वाहन चालक	एक-एक
4.	सामान्य प्रशासन विभाग	
	फर्राश	02
	वेटर	02
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01

राज्य के सर्किट हाउसों में कार्यरत कर्मियों के नाम विद्युत/जल सम्बन्ध

34. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सर्किट हाउस में ही निर्मित विभिन्न आवासों में आवास करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम से

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

बिजली/ पानी कनेक्शन के सन्दर्भ में सरकार द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2007 को आदेश जारी किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि सम्बन्धितों द्वारा उक्त आदेशों की पालना कर दी गई है? यदि हां, तो किस-किस सर्किट हाउस में किन-किन कार्मिकों द्वारा कब-कब अलग से बिजली/ पानी का कनेक्शन लिया गया तथा इसके पूर्व कब-कब कितनी-कितनी राशि किस दर से चार्ज के रूप में जमा करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। केवल बिजली कनेक्शन हेतु।

(2) जी नहीं। क्योंकि उक्त आदेश दिनांक 18.09.2007 के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सर्किट हाउस में ही निर्मित विभिन्न आवासों में आवास करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के आवास में अलग से विद्युत कनेक्शन सा. निर्माण विभाग द्वारा कराया जावें। तदनुसार कनेक्शन कराये जाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं।

आवासों में अलग से कनेक्शन हो जाने पर आवासितों द्वारा सीधे ही विद्युत की राशि जमा कराई जा सकेगी। इससे पूर्व आदेश दि. 19.4.01 अनुसार प्रबन्धक, विश्राम भवन से 200/- प्रतिमाह एवं अन्य कर्मचारियों से 150/- प्रतिमाह बिजली/पानी के चार्जेज वसूले जा रहे थे तथा दि. 18.9.07 के आदेश पश्चात विश्राम भवन में आवासित प्रबन्धक, विश्राम भवन से 500/- एवं अन्य कर्मचारियों से 400/- प्रतिमाह बिजली/पानी के चार्जेज फ्लैट दर से वसूल किए जा रहे हैं।

जिन कर्मचारियों में बिजली/ पानी की राशि बकाया है, उनकी सूची संलग्न है। उक्त बकाया की वसूली संबंधी कार्यवाही की जा रही है। (परिशिष्ट-1)

परिशिष्ट-1

बिजली/पानी की बकाया राशि संबंधी सूचना 1.2.08 तक

क्र. सं.	विश्राम भवन	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम व पद	बकाया राशि
1	बांसवाड़ा	श्री गोकुल लाल, हाउस कीपर	2000/-
		श्री कमजी, वेटर	2000/-
		श्री रंगा, च.श्रे.क.	2000/-

क्र. सं.	विश्राम भवन	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम व पद	बकाया राशि
2	दौसा	1. श्री राधाकृष्ण बैरवा, देशी कुक	400/-
		1. श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा, मशालची	1600/-
		1. श्री छुट्टन लाल मीणा, च.श्रे.क.	800/-
3	नागौर	1. श्री मोतीलाल मीणा, च.श्रे.क. 2. श्री मुकेश कुमार शर्मा, मशालची	2300/- 750/-
4	सिरोही	1. श्री हरिसिंह चारण, हाउसकीपर 2. स्व. श्री हनुमानाराम परिहार, पूर्व कुक	3500/- 1050/-
5	सवाई माधोपुर	1. श्री जितेन्द्र कुमार चौधरी, प्रबन्धक 2. श्री विजय सिंह, 3. श्री लक्ष्मण बैरवा, मशालची 4. श्री भवननाथ, च.श्रे.क. 5. श्री नत्थी लाल 6. श्री सोभाग सिंह	500/- 400/- 400/- 400/- 400/- 400/-
6	उदयपुर	1. श्री निरंजन कुमार शर्मा, हाउस कीपर 2. श्री शंकर लाल मीणा, कुक 3. श्री प्रताप सिंह, साइकिल सवार 4. श्री सोहन सिंह, फर्राश 5. श्री शंकर लाल मीणा, फर्राश 6. श्री त्रिलोक सिंह, च.श्रे.क. 7. श्री राजकुमार मीणा, वेटर 8. श्री पृथ्वीसिंह, फर्राश 9. श्री शांतिलाल हिमात, मशालची 10. श्री नंदसिंह, देशी कुक	2550/- 5700/- 3750/- 3900/- 2700/- 2400/- 3000/- 2850/- 3600/- 2400/-
7	अजमेर	1. श्री गणेशदान हाउसकीपर 2. श्री प्रेम सिंह वेटर 3. श्री ओमप्रकाश, स्वीपर 4. श्री सुखवीर सिंह, कुक 5. श्री दिलीप सिंह, वेटर 6. श्री हरीश, स्वीपर 7. श्री मुकेश, च.श्रे.क. 8. श्री ताराबहादुर, च.श्रे.क. 9. श्री भोलाराम, वेटर	5600/- 5600/- 5600/- 400/- 400/- 4700/- 2825/- 3650/-

माननीय मुख्य मंत्री की विदेश यात्राओं पर व्यय

35. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2004 के बाद कब-कब विदेश यात्रायें की गई उक्त यात्राओं का प्रयोजन क्या था तथा यात्रा के दौरान किन किन कार्यक्रमों में भाग लिया और उससे राज्य को क्या लाभ हुआ? यात्राओं के विवरण सहित व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विदेश यात्राओं में कौन-कौन व्यक्ति व अधिकारी उनके साथ थे तथा उक्त व्यक्तियों एवं अधिकारियों की यात्रा पर कितना व्यय हुआ? प्रत्येक का विवरण मय यात्रावार सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2007 में मुख्य मंत्री को कौनसा अवार्ड विदेश में प्राप्त हुआ? उक्त अवार्ड किस स्तर का है और किसके द्वारा प्रदान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा 1 जनवरी, 2004 के बाद की गई विदेश यात्राओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। इन यात्राओं से राज्य के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारिता बढ़ी एवं राज्य में निवेश हेतु भी अनुकुल वातावरण बना। राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई।

(2) उक्त विदेश यात्राओं में माननीय मुख्य मंत्री महोदया के साथ यात्रा पर गये व्यक्ति एवं अधिकारियों के नाम व उनकी यात्रा पर हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट –ब पर उपलब्ध है।

(3) वर्ष 2007 में माननीय मुख्य मंत्री महोदया को अंतरराष्ट्रीय संस्था ''वीमन टूगेदर'' द्वारा अन्तरराष्ट्रीय स्तर के वीमन टूगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया।

परिशिष्ट 'अ'

माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा की गई विदेश यात्राओं पर किये गये व्यय का विवरण

क्र.सं.	जहां की यात्रा की गई (देश का नाम)	यात्रा का प्रयोजन	यात्रा की अवधि	व्यय की गई राशि
1	दवोस, स्वीटजरलैण्ड	वर्ल्ड इकानामिक फारम की एनुअल जनरल मीटिंग-2005 में भाग लेने हेतु एवं यू. के. में ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञों से वार्ता।	26.01.05 से 30.01.05	268549.00
2	केलिफोर्निया, सेन फ्रांसिस्कों एवं लंदन (यू.के)	केलिफोर्नियों में आयोजित ''इकानामिक पॉलिस रिफोर्म इन इण्डिया'' के छठे वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने एवं सेन फ्रांसिस्कों में इनवेस्टर्स मीट में भाग लेने हेतु।	02.06.05 से 11.06.05	602312.00
3	दावोस, स्वीट्जरलैण्ड, लंदन (यू.के.)	वर्ल्ड इकानोमिक फारम की एनुअल मीटिंग में भाग लेने हेतु	25.01.06 से 01.02.06	299497.00
4	तेल अबीब (इजराईल), दुबई, यू.ए.ई. व लन्दन (यू.के.)	केन्द्रीय कृषि मंत्री दल के साथ तेल अबीब यात्रा के अतिरिक्त अप्रवासी भारतीय एवं चेम्बर आफ के कामर्स के प्रतिनिधियों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से राजस्थान में निवेश के संबंध में।	08.05.06 से 18.05.06	316331.00

क्र.सं.	जहां की यात्रा की गई (देश का नाम)	यात्रा का प्रयोजन	यात्रा की अवधि	व्यय की गई राशि
5	लन्दन, अमेरिका एवं सियेटल	राजस्थानी एसोसिसन आफ नार्थ अमेरिका (राना) के आमंत्रण पर बालिका शिक्षा, माइक्रो सॉफ्ट के चेयरमेन बिल गेट्स से चर्चा एवं एशिया सोसायटी को संबंधोन के अतिरिक्त चिकित्सा पर्यटन में निवेश आकृषित कने के लिये वार्ता हेतु।	26.06.06 से 11.07.06	646306.00
6	पेरिस (फ्रांस), दुबई, अमेरिका, लन्दन (यू.के.)	राजस्थानी एसोसिसन आफ नार्थ अमेरिका के साथ बैठक में भाग लेने एवं अवार्ड प्राप्त करने के अतिरिक्त राजस्थान पत्रिका द्वारा आयोजित दुबई फेस्टिवल का उदघाटन एवं अप्रवासी राजस्थानियों के साथ वार्ता हेतु।	11.5.07 से 23.5.2007	635550.00

परिशिष्ट 'ब'

माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं उनके साथ विदेश यात्रा पर गये अधिकारियों/ व्यक्तियों का विवरण

क्र. सं.	जहां की यात्रा की गई (देश का नाम)	यात्रा की अवधि	अधिकारियों/व्यक्तियों का नाम	यात्रा पर व्यय की गई राशि/-
1	दावोस, स्वीटजरलैण्ड	26.01.05 से 30.01.05 26.01.05 से 01.02.05 26.01.05 से 30.01.05	1. श्रीमती सावित्री कुनाडी अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, राजस्थान फाउण्डेशन 2. श्रीमती मीरा महर्षि, आयुक्त, बी.आई.पी. 3. श्री यदेवेन्द्र माथुर, शासन सचिव, ऊर्जा	182278/- 299610/- 215354/-
2	केलिफोर्निया, सेन फ्रांसिस्कों एवं लंदन (यू.के.)	02.06.05 से 11.06.05 02.06.05 से 06.06.05 01.06. से 10.06.05	1. श्रीमती मीरा महर्षि, आयुक्त, बी.आई.पी. 2. डा. गोविन्द शर्मा, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा 3. श्री रोहित कुमार सिंह, शासन सचिव, आई.टी.	401656/- 104051/- 122897/-
3	दावोस, स्वीट्जरलैण्ड, लंदन (यू.के.)	24.0106 से 02.02.2006 25.01.06 से 01.02.06 25.01.06 से 29.01.06 25.01.06 से 29.01.06	1. श्री राजेन्द्र राठौड, मा. सार्वजनिक निर्माण मंत्री 2. श्रीमती सावित्री कुनाडी, अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, राजस्थान फाउण्डेशन 3. श्रीमती मीरा महर्षि, आयुक्त, बी.आई.पी 4. श्री तन्मय कुमार, विशिष्ठ सचिव, मुख्यमंत्री 5. श्री अरिजीत बनर्जी, उप सचिव, मुख्यमंत्री	128049/- 128446/- 203555/- 89603/- 89599/-

क्र. सं.	जहां की यात्रा की गई (देश का नाम)	यात्रा की अवधि	अधिकारियों/व्यक्तियों का नाम	यात्रा पर व्यय की गई राशि/-
4	तेल अबीब (इजराइल), दुबई, यू.ए.ई. व लन्दन (यू.के.)	08.05.06 से 11.05.06	1. श्री परविन्दर सिंह, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	38895/-
		08.05.06 से 11.05.06	2. श्री तन्मय कुमार, विशिष्ठ सचिव, मुख्य मंत्री	62171/-
5	लन्दन, अमेरिका एवं सियेटल	25.06.06 से 11.07.06	1. श्री घनश्याम तिवाड़ी, मा. शिक्षा मंत्री	368771/-
		25.06.06 से 11.07.06	2. श्री नरपत सिंह राजीव, मा. उद्योग मंत्री	237591/-
		26.06.06 से 11.07.06	3. श्री सी.के. मैथ्यू, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा	304692/-
		25.06.06 से 11.07.06	4. श्रीमती मीरा महर्षि, आयुक्त, बी.आई.पी.	297038/-
		26.06.06 से 11.07.06	5. डा. गोविन्द शर्मा, शासन सचिव, मुख्य मंत्री	258314/-
		26.06.06 से 11.07.06	6. श्री तन्मय कुमार, विशिष्ठ सचिव, मुख्य मंत्री	277864/-
		26.06.06 से 11.07.06	7. श्री गजानन्द शर्मा, विशेषाधिकारी, मुख्य मंत्री	273210/-
		29.06.06 से 03.07.6	8. श्री संजय पाण्डे, उप निदेशक, पर्यटन	45000/-
6	पेरिस (फ्रांस), दुबई, अमेरिका, लन्दन (यू.के.)	16.05.07 से 22.05.07	1. श्री एस.अहमद, प्रमुख शासन सचिव, कला, 2. साहित्य एवं संस्कृति (केवल यू.के.)	295080/-
		11.05.07 से 21.05.07		389361/-
			3. श्रीमती मीरा महर्षि, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन	
		11.05.07 से 20.05.07	4. श्री प्रवीण गुप्ता, उप सचिव, मुख्य मंत्री	247038/-
		11.05.07 से 19.05.07	5. श्री गजानन्द शर्मा, विशेषाधिकारी, मुख्य मंत्री	247619/-
		12.05.07 से 16.05.07	6. श्री गुणनिधि शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक, आर.टी.डी.सी.	50000/-

दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जांच हेतु पैतिृक विभाग की अनुशंसा

36. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध चार्जशीट जारी करने से पूर्व मूल पदस्थापन के प्रशासनिक विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है? यदि हां, तो संदर्भित कानून/नियम/अधिसूचना/परिपत्र मार्गदर्शिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जब तक प्रशासनिक विभाग विभागीय कार्यवाही की अभिशंषा नहीं करता है, कानूनन कार्मिक विभाग को चार्जशीट जारी नहीं करनी चाहिये तथा यदि करता है तो कार्मिक विभाग की स्वेच्छचारिता है? यदि हां, तो क्या इसे रोकने के लिए सरकार कोई नियमों में प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजसेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक जांच कार्यवाही निस्तारण एवं प्रस्तावों के लिए जारी दिशा निर्देश/ परिपत्र दिनांक 28.11.81 व 21.09.1989 की प्रतियां संलग्न है।

(2) राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के जो प्रकरण सीधे ही कार्मिक विभाग को प्राप्त हो जाते हैं, उनके सन्दर्भ में कार्मिक विभाग राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कैडर नियंत्रक प्राधिकारी होने के कारण कार्मिक विभाग निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर अनुशासनिक कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित कर सकता है।

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक एफ 10 (6)का/क-3/79　　　　　　जयपुर, दिनांक 28/11/81

<u>परिपत्र</u>

विषय : विभागीय जांचों को शीघ्र निपटाने हेतु कुछ आवश्यक निर्देश।

राज्य सेवकों के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने हेतु जिन कारणों से विलम्ब होता है उनका निराकरण

आवश्यक है। इस हेतु कई बार राज्य सरकार ने निर्देश जारी किये है परन्तु अब भी कई मामलों में काफी विलम्ब हो जाता है। अतः एक बार पुनः निवेदन है कि विभागीय जांचों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाते समय सारे मामले को सक्षम अधिकारी अपने स्तर पर देख लें और इस बात की संतुष्टि कर लें कि प्रस्ताव में कोई कमी तो नहीं रह गई है। प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व निम्न बिन्दुओं का चैक करना आवश्यक है :-

(1) आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र के प्रारूप 3 प्रतियों/ में भिजवाये जावें।

(2) जो अभिलेख प्रस्ताव के साथ भिजवाया जाता है उसकी सूची दो प्रतियों में प्रेषित की जावे।

(3) प्रस्ताव में इस बात को स्पष्ट उल्लेख हो कि विभागीय जांच नियम 16 में की जानी है अथवा 17 में।

(4) प्रस्ताव में इस आशय की सूचना भी होनी चाहिए कि विभागीय जांच किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी/ मंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

(5) यह भी सूचित किया जाना चाहिए कि अधिकारी निलम्बित है अथवा नहीं। यदि निलम्बन नियुक्ति अधिकारी है अतिरित किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया गया है तो उसकी पुष्टि करा ली गई है। अथवा नहीं।

(6) आरोपित अधिकारी के साथ में निम्न सूचना भी उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

पद

2- वर्तमान पदस्थापन

3- वास्तविक वेतन

4- वेतन श्रृंखला

5- अग्रिम वेतन वृद्धि की तिथि।

6- जन्म तिथि

7- अधिवार्षिकी तिथि

(7) प्रस्ताव के साथ इस परिपत्र के साथ लगे हुए परिशिष्ट 'अ' में इस आशय की सूचना दी जानी चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस

आरोप को किस गवाह या अभिलेख के द्वारा किया जावेगा। इस सूची में अभिलेख की पृष्ठ संख्या भी अंकित कर दी जावे।

(8) प्रस्ताव के साथ परिशिष्ट 'ब' में एक प्रमाण-पत्र भिजवाया जाना चाहिए जिसमें यह अंकित हो कि प्रेषित किये जाने वाले अभिलेख के अलावा अन्य और कोई अभिलेख जांच के संबंध में भिजवाया जाना शेष नहीं है। प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'ब' में उपलब्ध है।

विशिष्ठ शासन सचिव

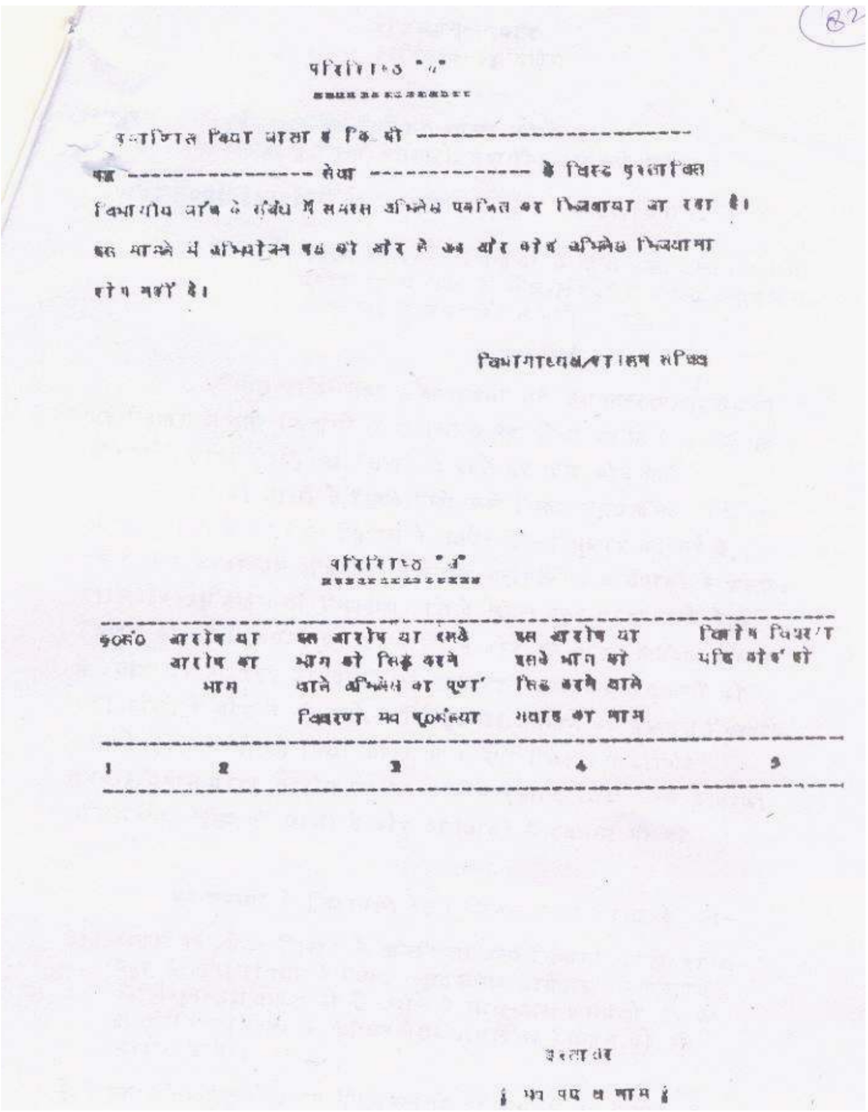

परिशिष्ट "ब"

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ------------------------
पद ---------------- सेवा -------------- के विरुद्ध प्रस्तावित विभागीय जांच के संबंध में समस्त अभिलेख पत्रांकित कर भिजवाया जा रहा है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अब और कोई अभिलेख भिजवाया शेष नहीं है।

विभागाध्यक्ष/शासन सचिव

परिशिष्ट "अ"

क्र०सं०	आरोप या आरोप का भाग	इस आरोप या इसके भाग को सिद्ध करने वाले अभिलेख का पूर्ण विवरण मय पृष्ठ संख्या	इस आरोप या इसके भाग को सिद्ध करने वाले गवाह का नाम	विशेष विवरण यदि कोई हो
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर

(मय पद व नाम)

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-3) विभाग

समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ठ शासन सचिव एवं समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरो/ सम्भागीय आयुक्तों सहित)

क्रमांक: प. (2)(34) कार्मिक/क-3/89 जयपुर, दिनांक 21 सितम्बर, 89

विषय : पैतृक/प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

कतिपय राज्य सेवा अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन एक विभाग से दूसरे विभागों में समय-समय पर होता रहता है। संबंधित अधिकारी द्वारा किसी एक विभाग में रहते हुए यदि कोई ऐसी अनियमितताएं की जाती है, जिसके लिये उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित होती है तो जिस विभाग के अंतर्गत अनियमितताएं की गई है, उस विभाग द्वारा उस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव कार्मिक (क-3) विभाग को भिजवाये जाते है लेकिन उनके द्वारा उसके पैतृक विभाग को कोई सूचना नहीं दी जाती है और इस कारण संबंधित अधिकारी के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही की जानकारी उनके पैतृक विभागों को नहीं होती है और न ही उनसे कार्मिक (क-3) विभाग को प्रस्ताव भिजवाये जाने से पूर्व परामर्श ही लिया जाता है। ऐसी स्थिति में कार्मिक (क-3) विभाग द्वारा आरोप पत्र एवं आरोप पत्रादि तैयार करने में काफी कठिनाइयों अनुभव की जाती है और कार्यवाही में विलम्ब भी हो जाता है।

इस समस्या के निराकरण हेतु निर्देशित किया जाता है :-

(1) प्रशासनिक/ पैतृक विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव कार्मिक (क-3) विभाग को भिजवाने के साथ-साथ प्रस्तावों की एक प्रतिलिपि राजसेवक के संबंधित पैतृक/प्रशासनिक विभाग को भी भिजवाई जावे।

(2) प्रशासनिक/पैतृक विभाग ऐसे प्रस्तावों का परीक्षण 30 दिवस की समयावधि में कर लेंवे और अपनी राय से कार्मिक (क-3) विभाग को अवगत करवाये। यदि पैतृक विभाग अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्तावों से सहमत न भी हो तो भी असहमति के कारण दर्शाते हुए अपनी राय

से कार्मिक (क-3) विभाग को उक्त निर्धारित अवधि में अवगत करवा दे।

प्रशासनिक/पैतृक विभागों से 30 दिवस की समयावधि में यदि उनकी राय अथवा असहमति के कारण कार्मिक (क-3) विभाग में प्राप्त नहीं होंगे तो कार्मिक (क-3) विभाग द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्तावों का परीक्षण कर उचित निर्णय ले लिया जावेगा।

(4) अपराधिक मामलों में पुलिस विभाग/भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्तावों पर उपरोक्त प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी और उक्त विभागों द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावों पर कार्मिक (क-3) विभाग द्वारा सीधे ही विचार कर लिया जायेगा।

(एस.डी. श्रीवास्तव)

विशिष्ठ शासन सचिव

केन्द्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों की निजी संस्थानों में प्रतिनियुक्ति

37. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को निजी संस्थानों में नियम 6(2) (ii) के तहत डेपूटेशन पर भेजे जाने का निर्णय लिया गया है?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा भी भारत सरकार के अनुसार राज्य कर्मचारियों को निजी संस्थानों में डेपूटेशन पर जाने देने का निर्णय लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हालांकि प्रश्न भारत सरकार से सम्बन्धित है, किन्तु भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में नए दिशा-निर्देश 28.11.2007 को जारी किए गए है।

(2) राज्य कर्मचारियों की सेवायें निजी संस्थानों को केवल अपवादस्वरूप विशेष परिस्थितियों में प्रतिनियुक्ति पर देने की व्यवस्था पूर्व से ही राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 142 में विद्यमान है। नियम की प्रति संलग्न है।

PART V

CHAPTER XIII

Foreign Service

@141. Employees consent necessary for transfer to foreign service. – No Government servant may be transferred to foreign service against his will provided that this rule shall nto apply to the transfer of a Government servant to the service of a body incorporated or not, which is wholly ore substantially owned or controlled by the Government or to the transfer of a Government servent to service paid from a Panchayat Samiti/Zila Parishad Fund constituted under the Rajasthan Panchayat Samiti and Zila Parishads Act, 1959 (Act No. 37 of 1959)/

142. When transfer for foreign service admissible. – A transfer to foregin service in not admissible unless –

(a) the duties to be performed after the transfer are such as should, for public reasons, be rendered by a Government servant, and

(b) the Government servant transferred holds, at the time of transfer, post paid from the Consolidated Funds, or holds a lien on such a post had his lien not been suspended.

NOTES

1. If, in any case, a proposal in made that a Government servant should be lent to a private undertaking, it is necessary that the principles of this Rule should be applied most rigorously, and generally the loan of a Goernemnt officer to private undertaking should be regarded as a very exceptional case requiring special justification.

2. The transfer of a temporary Government servant to foreign service is permissible under this rule.

3. The Government which will be entitled to recover pension contribution on behalf of a Government servant lent to foreign sevice, should be regarded as the Government competent to sanction the transfer.

@Substituted by F.D. Order No. F. 7 (A) (31) F.D.A./Rules/60 dated 12-8-1960.

"141. No Government servant may be transferred to foreign service against his will. Provided that this rule shall not apply to the transfer of a Government servant to the service of a body corporate owned or controlled by the Government or to the transfer of a Government servant to service paid from a Panchayat Samiti/Zila Parishad Fund constituted under the Rajasthan Panchayat Samities and Zila Parishads Act, 1959 (Act No. 37 of 1959)."

*Inserted by F.D. Order No. F. 5(1) F. (R)/56, dated 11-1-1956

श्रीगंगानगर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के रिक्त पद

38. श्री गुरंजट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

श्री गंगानगर जिले में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तथा तहसीलदारों के कितने पद कब से रिक्त हैं? सरकार उक्त पदों को अब कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

श्रीगंगानगर जिले में आरएएस के निम्नलिखित पद रिक्त हैं:-

1. महाप्रबंधक, गंगानगर सुगर मिल्स लि.,
2. अति. कलक्टर व अति. जिला मजिस्ट्रेट (सतर्कता)
3. क्षेत्रीय उप निदेशक, आई.सी.डी.एस.
4. जिला रसद अधिकारी
5. आयुक्त, नगर परिषद

तहसीलदार का कोई पद श्रीगंगानगर जिले में रिक्त नहीं है।

आरएएस के रिक्त पदों को अधिकारियों की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार भरा जाता है।

बीमारू राज्य के मानदण्ड

39. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा बीमारू राज्य के मानदण्ड किन आधारों पर निर्धारित किये गये है? निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आ चुका है? यदि हां, तो किस आधार पर तथा कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004 से अब तक बीमारू श्रेणी के किन-किन मानदण्डों में क्या-क्या सुधार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा बीमारू राज्य के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) में सफाई कर्मियों के रिक्त पद

40. श्री नन्द लाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) में सफाई कर्मचारियों की कितनी संख्या है?

क्या वर्तमान में सफाई कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) में सफाई कर्मचारियों के 120 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 66 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में नवीन नियुक्तियों पर प्रतिबंध होने के कारण रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने का कोई विचार नहीं है।

जिला बारां की नगरपालिकाओं द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण

41. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में कितनी नगरपालिकाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगरपालिकाओं को वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु जारी की गई? वित्तीय वर्षवार एवं नगरपालिकावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बारां जिले में किस-किस नगरपालिका को वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक वर्षवार कितनी-कतनी राशि अनुदान में दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त नगरपालिकाओं द्वारा कितनी-कितनी ऋण राशि वित्तीय संस्थाओं से किस-किस कार्य हेतु प्राप्त की गई? नगरपालिकावार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में बारां, अन्ता, छबड़ा, व मांगरोल कुल चार नगर-पालिकाएं हैं।

(2) वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक पालिकावार एवं योजनावार दी गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) 2004-05 से 2007-08 तक (7 फरवरी, 2008 तक) वर्षवार दिये गये अनुदान की राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) नगरपालिका बारां द्वारा वर्ष 2003-04 में नाला निर्माण हेतु 25 लाख का ऋण राज्य सरकार से लिया गया था।

परिशिष्ट-अ

राशि का विवरण

क्र. सं.	**नाम नगर पालिका**	**वर्ष**	**शहरी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत आबंटित राशि (लाखों में)**
1	नगरपालिका बारां	2007-08	200.00
2	नगरपालिका छबड़ा	2007-08	200.00
3	नगरपालिका अन्ता	2007-08	50.00
4	नगरपालिका मांगरोल	2007-08	50.00
	कुल योग	**2007-08**	**500.00**
	नगरपालिका मांगरोल	2006-07	शुष्क शौचालयों को जलप्रवाही शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु 7,25,200 रुपये का अनुदान दिया गया।

परिशिष्ट 'ब'

क्र. सं.	नाम नगर पालिका	वर्ष	चुंगी पुनर्भरण अनुदान	राज्य वित्त आयोग के तहत अनुदान	सामान्य अनुदान	ग्यारहवें/ बारहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान
1	2	3	4	5	6	7
1	बारां	2004-05	319.72	32.36	14.43	20.87
		2005-06	351.68	37.09	14.43	31.85
		2006-07	386.88	45.16	14.43	15.92
		2007-08	425.57	-	14.43	-
2	अन्ता	2004-05	70.78	10.40	4.63	6.68
		2005-06	77.88	11.52	4.63	10.84
		2006-07	85.68	16.36	4.63	5.41
		2007-08	94.25	-	4.63	-
3	छबड़ा	2004-05	54.53	8.80	6.14	5.74
		2005-06	60.04	14.00	6.14	9.23
		2006-07	66.00	9.81	6.14	4.62
		2007-08	72.60	-	6.14	-
4	मांगरोल	2004-05	34.13	9.12	6.36	5.95
		2005-06	37.50	15.00	6.36	8.84
		2006-07	41.28	7.91	6.36	4.42
		2007-08	45.41	-	6.36	-

परिशिष्ट 'अ'

विभिन्न योजनाओं में निकायवार जारी राशि का विवरण

राशि लाखों में

नगर	राष्ट्रीय गन्दी बस्ती				स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना				यूरीफ योजना				ईएफसी स्लम योजना			
निकाय का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
बारां	28.40	39.23	35.0	0	1.52	4.14	8.53	0	0	20.00	0	0	40.59	0	0	0
अन्ता	2.57	27.16	0	0	1.58	0.85	8.94	0	0	20.00	0	0	50.10	0	0	0
छबड़ा	2.27	55.90	0	0	1.58	4.85	3.73	0	15.00	7.00	0	0	32.37	0	0	0
मांगरोल	2.35	15.58	0	0	1.40	0.64	6.49	0	0	0	0	0	25.87	0	0	0

राशि लाखों में

नगर	विरासत संरक्षण योजना				शहरी जन सहभागी योजना (राज्यांश)				आई.एच.एस.डी.पी. (एजेन्सी एवीएल)				यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.			
निकाय का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
बारां	0	0	0	0	0	0	4.25	0	0	0	414.35	0	0	0	0	0
अन्ता	0	0	0	0	0	0	2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छबड़ा	0	58.00	35.0	0	0	0	16.42	0	0	0	201.14	0	0	0	0	0
मांगरोल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.47

नगर निगम (जयपुर) में पार्षद कोटे से स्वीकृत विकास कार्य

42. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर के पार्षदों को 20 लाख रुपये तक विवेकाधीन कोटे से राशि स्वीकृत कर विकास कार्य करवाने के अधिकार प्राप्त हैं? यदि हां, तो वर्तमान में नगर निगम, जयपुर के किन-किन पार्षदों ने कहां-कहां कितनी-कितनी राशि किस-किस विकास कार्य के लिए खर्च की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा कुछ पार्षदों के प्रस्तावों पर कार्यादेश जारी नहीं किए गए? यदि हां, तो क्यों?

(3) शेष रहे प्रस्तावों पर सरकार अब तक स्वीकृति आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, पार्षदगण द्वारा अपने वार्ड के विकास कार्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। निगम द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा कर, आवश्यक पाये जाने पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है।

(3) प्राप्त प्रस्तावों पर आवश्यकतानुसार बजट एवं आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की जाती है।

जयपुर शहर में ओवर ब्रिज/पुलियाओं का लम्बित निर्माण कार्य

43. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में कई ओवर ब्रिज और पुलियाओं का कार्य पिछले कई वर्षों से अपूर्ण हैं? यदि हां, तो किन-किन ओवरब्रिज और पुलियाओं का निर्माण कार्य कब से अपूर्ण है? कार्य आरम्भ करने की दिनांक निर्माण की कुल लागत, अब तक व्यय की गई राशि एवं अब तक अपूर्ण रहने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पिछले कई वर्षों से जयपुर शहर में रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है? यदि हां, तो इस ओवरब्रिज

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

का कार्य, कब प्रारम्भ किया गया था और अब तक कार्य अपूर्ण पड़े रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ओवरब्रिज और पुलियाओं का निर्माण कार्य अविलम्ब पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। पुलियाओं से संबंधित सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस ओवरब्रिज का निर्माण दिनांक 22.5.03 को प्रारम्भ किया गया था। अपूर्ण रहने के कारण परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

(3) जी हां। उक्त ओवरब्रिज और पुलियाओं से संबंधित सूचनाएं परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

आर.ओ.बी/ पुलिया का विवरण	कार्य आरम्भ करने की दिनांक	निर्माण की लागत	व्यय राशि जनवरी 08 तक	अपूर्ण रहने का कारण	कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि
जवाहर नाले पर पुलिया निर्माण कार्य-गांधी पथ	21.09.06	60.00 लाख	50.00 लाख	जलदाय विभाग की पाईप लाई, टेलिफोन केबल एवं विद्युत केबल हटाये जाने में विलम्ब के कारण	31.03.08
जवाहर नाले पर पुलिया निर्माण कार्य गिरधर मार्ग	23.04.06	50.00 लाख	40.00 लाख	जलदाय विभाग की पाईप लाई, टेलिफोन केबल एवं विद्युत केबल हटाये जाने में विलम्ब के कारण	31.03.08
जवाहर नाले पर पुलिया निर्माण कार्य- दक्षिणी बाई पास	10.09.07	50.00 लाख	15.00 लाख	प्रगति पर	30.04.08

आर.ओ.बी./ पुलिया का विवरण	कार्य आरम्भ करने की दिनांक	निर्माण की लागत	व्यय राशि जनवरी 08 तक	अपूर्ण रहने का कारण	कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि
सहकार मार्ग पर गन्दा नाला स्थित पुलिया को चौड़ा करने का कार्य	25.12.03	61.00 लाख	59.23 लाख	प्रथम एजेन्सी द्वारा काम अधूरा छोडने के कारण इसके खिलाफ अनुबंध की धारा 2 के तहत कार्यवाही की गई। इस पर एजेन्सी ने प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर कर दिया। तत्पश्चात् शेष रहे कार्य की पुनः निविदा दिनाक 20.03.05 का जारी कर दूसरी एजेन्सी को कार्यादेश दिया गया। फर्म द्वारा कुछ कार्य करने के पश्चात् बिजली की लाइन के अवरोध के कारण कार्य रोक दिया किन्तु अवरोध हट जाने के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जिस पर अनुबन्ध की धारा 3 के तहत फर्म ने भी प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर कर दिया तत्पश्चात् न्यायालय में 06.04.07 को समझौता हो गया जिस पर फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया किन्तु मानसून प्रारम्भ होने के कारण कार्य बीच में रोकना पड़ा। मानसून समाप्ति के पश्चात् फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ कर अधिकांश कार्य पूर्ण कर दिया गया है।	31.03.08

आर.ओ.बी./ पुलिया का विवरण	कार्य आरम्भ करने की दिनांक	निर्माण की लागत	व्यय राशि जनवरी 08 तक	अपूर्ण रहने का कारण	कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि
टोंक रोड पर बम्बाला नाला तथा गोपाल बाइ पास पर गन्दा नाला तथा अमानीशाह नाला पर स्थित पुलियाओं को चौडा करने का कार्य	31.10.03	850.00 लाख	836.13 लाख	टोंक रोड पर बम्बाला नाला तथा गोपाल पुरा बाईपास पर अमानीशाह नाले पर स्थित पुल को अप्रेल, 05 तक पूर्ण किया जा चुका है। गोपाल पुरा बाईपास को छः लेन में चौड़ा करने के कार्य में एक तरफ से जनवरी, 06 में पूर्ण कर यातायात हेतु प्रारम्भ किया जा चुका है दूसरी तरफ पुल का लगभग 95 प्रतिशत कार्य भी जनवरी, 06 तक पूर्ण कर दिया गया था। किन्तु एप्रोच सड़क हेतु भूमि विवाद होने के कारण बाकी कार्य बकाया है।	उपायुक्त द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के पश्चात
जगतपुरा रेलवे उच्च पुल का निर्माण कार्य	14.09.05	2374.00 लाख	2050.06 लाख	1. प्रारम्भ में रेलवे द्वारा स्वीकृत जनरल अरेन्जमेंट ड्राइंग को जयपुर दौसा रेल मार्ग को दो लेन मार्ग में बदले के कारण रेलवे द्वारा संशोधित किया गया। इस कारण से पुल के इस भाग को डिलाइन एवं निर्माण विलम्बित हुआ है।	10 मार्च, 2008

आर.ओ.बी/ पुलिया का विवरण	कार्य आरम्भ करने की दिनांक	निर्माण की लागत	व्यय राशि जनवरी, 08 तक	अपूर्ण रहने का कारण	कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि
				2. माननीय उच्च न्यायालय में पूरण सिंह वगैरा बनाम सरकार व जवप्रि‍ा में 44 व्यक्ति द्वारा डीवी रिट सिविल पिटीशन न 409/07 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश महल रोड के कार्य पर दिनांक 03.05.2005 से दिनांक 06.09.07 प्रभावी रहा। इस दौरान महलरोड की तरफ पुल पर निर्माण पूर्ण रूप से स्थगित रखा गया	10 मार्च, 2008
खासा कोठी चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य	15.4.06	1963.70 लाख	146.77 लाख	फ्लाई ओवर का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा दिनांक 30.10.06 को किया गया था। परन्तु दिनांक 8.2.07 को माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण कार्य रोक दिया गया था। दिनांक 30.5.07 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश स्थगित करने के पश्चात् कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया।	

आर.ओ.बी/ पुलिया का विवरण	कार्य आरम्भ करने की दिनांक	निर्माण की लागत	व्यय राशि जनवरी 08 तक	अपूर्ण रहने का कारण	कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि
				3. फ्लाई ओवर के खासा कोठी से पोलोविक्ट्री वाले भाग में फाउडेशन में कठोर पत्थर (Hard Rock) कम गहराई पर आने के कारण फाउंडेशन का कार्य नहीं किया जा सका एवं अब विशेषज्ञों के राय के अनुसार इस भाग का फाउंडेशन पुनः डिजाईन कराया जा रहा है।	
हसन पुरा रेल्वे ओवरब्रिज	22.5.03	905.00 लाख	848.00 लाख	इस ब्रिज का कार्य आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा कराया जा रहा है। कार्य में देरी होने के निम्न कारण रहें:- 1. ब्रिज स्थल के बीच में पाइप लाइन, सीवर लाइन, टेलीफोन लाइन आने से शिफ्टिंग में समय लगा। 2. ब्रिज के मुख्य पत्थर के स्थल पर सीवर लाइन आने से पुल की डिजाइन में परिवर्तन करना पड़ा।	मार्च, 2008

आर.ओ.बी./ पुलिया का विवरण	कार्य आरम्भ करने की दिनांक	निर्माण की लागत	व्यय राशि जनवरी 08 तक	अपूर्ण रहने का कारण	कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि
				3. स्थानीय व्यापार मण्डल द्वारा ब्रिज में से रेलवे स्टेशन की ओर ब्रांच निकलने का विरोध किये जाने के फलस्वरूप कार्य बीच में रोकना पड़ा। 4. स्टील, सीमेंट एवं डीजल की दरों में भारी वृद्धि के कारण फर्म का केश फ्लो बाधित हुआ। 5. जिस फर्म के साथ अनुबंध किया गया था उस फर्म को अन्य फर्म ने टेकओवर कर लिया जिसके फलस्वरूप में वर्ष 2005-06 में कार्य बाधित रहा। 6. रेलवे स्पॉन की डिजाइन, ड्रांइग का अनुमोदन सी.आर.एस. मुम्बई द्वारा किया गया है जिसमें अपेक्षा से अधिक समय लगा।	मार्च, 2008

नारायण विहार आवासीय योजना जयपुर के भूखण्डधारियों को कब्जा

44. श्री अमराराम (धोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गोपालपुराबाइपास जयपुर स्थित निजी खातेदार की स्कीम नारायणविहार के ओ. एवं वाई. ब्लाक के सम्पूर्ण भाग की 90बी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है? यदि हां, तो इन दोनों ब्लाकों हेतु अलग-अलग कुल कितने क्षेत्र की 90बी की कार्यवाही पूर्ण हुई एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर वर्तमान में क्या कार्यवाही लम्बित है?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कीम के दोनों ब्लाकों का नक्शा इस स्कीम के विकास कर्ता द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर दिया गया है एवं इसका अनुमोदन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कर दिया गया है? यदि हां, तो मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नारायण विहार के ओ. एवं वाई. ब्लाक के भूखण्डधारियों को पट्टे साइट प्लान आदि दिये जा चुके हैं? यदि हां, तो पट्टेधारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही हैं कि उक्त स्कीम के ओ. ब्लाक के भूखण्डधारियों को कब्जे की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है? यदि हां, तो कुल कितने लोगों को अब तक कब्जे दिये जा चुके हैं एवं वाई. ब्लाक के भूखण्डधारियों को अब तक भूखण्ड के कब्जे नहीं दिये जाने के कारण हैं? सभी भूखण्डधारियों को अब तक भूखण्ड के कब्जे दे दिये जायेंगे?

(5) क्या यह सही है कि उक्त दोनों ब्लाकों के भूखण्डधारियों से जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा कराने हेतु विकास शुल्क भी लिया गया है? यदि हां, तो क्या वह विकास शुल्क की राशि जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा कराई जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि उक्त स्कीम के ओ. ब्लाक में वर्तमान में विकास कार्य चल रहे हैं? यदि हां, तो उक्त स्कीम के वाई. ब्लाक में अब तक विकास कार्य शुरू न होने के क्या कारण हैं?

(7) क्या उक्त स्कीम के विकासकर्ता द्वारा सभी ब्लाकों के भूखण्डधारियों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे दिये जाने हेतु सभी

(श्री अमराराम)

ब्लाकों के भूखण्डधारियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है? यदि हां, तो निकट भविष्य में निजी खातेदारों की स्कीमों के भूखण्डधारियों को पट्टे दिये जाने के संबंध में शिविर लगाकर कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी?

उत्तर

(1) गोपालपुरा बाइपास जयपुर स्थित निजी खातेदार की स्कीम नारायण विहार के ''ओ ब्लॉक'' के लिए 160.36 हैक्टेयर के भूमि के लिए आवेदन किया गया जिसमें से 51.96 हैक्टेयर भूमि की (90बी) की कार्यवाही की गई तथा नारायण विहार के ''वाई ब्लाक'' 219 बीघा भूमि की 90बी की कार्यवाही की गई। जविप्रा के स्तर पर वर्तमान में कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(2) जी नहीं। नारायण विहार के ओ ब्लॉक का जयपुर विकास प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 58वीं बैठक दिनांक 24.3.07 में शर्ते के अधीन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु विकासकर्ता के द्वारा शर्तों की पालना नहीं करने के कारण अन्तिम रूप से मानचित्र का अनुमोदन नहीं किया गया है। नारायण विहार के वाई ब्लॉक योजना के मानचित्र के संबंध में बीपीसी (एलपी) की 91वीं बैठक दिनांक 6-7.12.05 में निर्णय लिया गया है कि जिस भाग की 90बी की गई है, उसी भाग के संशोधित मानचित्र प्राप्त कर अनुमोदन हेतु पुनः प्रस्तुत करे। इस संबंध में आवेदन को दिनांक 7.1.06 को पत्र द्वारा सूचित किया गया है। संशोधित योजना मानचित्र अभी प्रस्तुत नहीं किए गए है, लिहाजा मानचित्र की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। निजी खातेदार की योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कब्जा नहीं किया जाता है।

(5) जी नहीं। योजना का अन्तिम रूप से अनुमोदन नहीं हुआ है। इसलिए विकास शुल्क नहीं मांगा गया है।

(6) जी नहीं। मानचित्र अनुमोदन नहीं होने के कारण विकास कार्य नहीं किए गये है।

(7) जी नहीं। निजी खातेदार द्वारा सूची उपलब्ध नहीं कराई है।

जयपुर विकास प्राधिकरण के खसरा नम्बर 133 व 136 (जल महल की भूमि पर अतिक्रमण)

45. **श्री सुरेन्द्र पारीक** (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में जलमहल के सामने जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि खसरा नं. 133, 136 एवं इससे लगती हुई भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है? यदि हां, तो अतिक्रमण हटाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि खसरा नं. 136 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक नाले का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो क्या जल महल देखने आने वाले पर्यटकों पर पडने वाले दुष्प्रभाव एवं पार्किंग समस्या से निजात दिलाने के लिये सरकार इस नाले को ढकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्व रिकार्ड अनुसार ख.नं. 133, 136 एवं इससे लगती भूमि ख.न. 131 में कुल चार अतिक्रमण है। जिनमें एक वर्षों पुराना मंदिर का अतिक्रमण है। जिसमें जविप्रा अधिनियम की धारा 72 के नोटिस के पश्चात् जविप्रा ट्रीब्यूनल कोर्ट से स्टे है। इसके अतिरिक्त एक शिक्षण संस्थान का भवन व होस्टल तथा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है, जो वर्षो पुराने हैं, के द्वारा अतिक्रमण है। इसके अलावा दो परिवारों द्वारा दीवार एवं लेट्रीन बाथरूम बनाकर निर्माण कर अतिक्रमण किए गए हैं, जो काफी पुराने हैं। इन तीनों प्रकरणों में भी जविप्रा अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत नोटिस दिए हुए हैं। अतः इन अतिक्रमणों को विधिक प्रक्रिया के तहत हटवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। नाला पक्का करने के बाद पानी का बहाव दिशा अनुसार नाले में बहने से किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव अब आस पास की जमीन एवं पर्यटकों पर नहीं पड़ता है। पार्किंग हेतु सड़क के पश्चिम की ओर सीआईडी कार्यालय की कम्पाउण्डवाल एवं सड़क सीमा के मध्य लगभग 150 मीटर लम्बा तथा लगभग 30 फुट चौड़ा पार्किंग स्थल प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्मित है। नाले को ढकने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

चौमूं में खेल स्टेडियम हेतु भूमि का आरक्षण

46. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामलाल शर्मा)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं के वीर हनुमान मार्ग में खेल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में खेल स्टेडियम के लिये भूमि आरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र चौमूं के वीर हनुमान मार्ग में खेल स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव जयपुर विकास प्राधिकरण में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण में कस्बा चौमूं में स्टेडियम के लिए भूमि आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बीकानेर जिले में खेल स्टेडियम निर्माण पर व्यय

47. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रत्येक संभाग स्तर एवं जिला मुख्यालयों पर स्टेडियमों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो वित्तीय सत्र 2003-04 से वर्तमान तक इस हेतु कितने बजट का प्रावधान किया जाता रहा है तथा किस-किस स्टेडियम पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2003-04 से वर्तमान तक संभाग मुख्यालय एवं जिला बीकानेर में खेल मैदानों/स्टेडियमों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा राशि व्यय की गई है? यदि हां, तो कब कब, कहां-कहां एवं किस किस कार्य हेतु व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2003-04 से वर्तमान तक संभाग/जिला स्तर पर विभिन्न स्टेडियमों हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान/व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2007-08 में जिला बीकानेर के सात हजार से अधिक आबादी वाले निम्न 13 गांवों में खेल मैदान निर्माण के लिये प्रत्येक गांव में 25,000-25,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है:-

क्र.सं.	**गांव का नाम**
1.	कालू

(राज्य मंत्री युवा एवं खेलकूद)

2. मोमासर
3. रीडी
4. जसरासर
5. सारूण्डा
6. नापासर
7. कोलायत
8. पांचू
9. दन्तोर
10. पलाना
11. छत्तरगढ़
12. बेरीयावाली
13. लूनकरणसर

परिशिष्ट 'अ''

वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 तक सम्भाग स्तर एवं जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान/ व्यय राशि का विवरण

क्र. सं.	संभाग/ जिले का नाम	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत बजट प्रावधान/ व्यय राशि का विवरण				
			वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07	वर्ष 2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	इन्डोर स्टेडियम निर्माण	18.725 लाख GOI	-	-	-	-
2.	कोटा	तरणताल निर्माण	25.00 लाख GOI	-	-	-	-
3.	जोधपुर 1	बरकतुल्लाह स्टेडियम निर्माण	-	10.00 लाख	50.00 लाख	-	-
	2	पुराना स्टेडियम निर्माण	-	-	50.00 लाख	-	50.00 लाख

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	उदयपुर	स्टेडियम निर्माण	-	-	-	50.00 लाख	-
5.	जयपुर	स्टेडियम निर्माण	-	100.00 लाख	300.00 लाख	100.00 लाख	55.00 लाख
6.	नागौर 1	स्टेडियम निर्माण	13.63 लाख	-	20.00 लाख	-	10.00
	2	कुचामन स्टेडियम	2.00 लाख	-	11.14 लाख	-	-
7.	झुंझुनूं	स्टेडियम निर्माण	10.00 लाख	-	-	-	-
8.	झालावाड़	खेल संकुल निर्माण	-	30.00 लाख	37.00 लाख	23.00 लाख GOI 130.00 लाख	3179300.00 लाख GOI 65.00 लाख
9.	जैसलमेर	इन्डौर स्टेडियम निर्माण	-	-	1062457.00 लाख	-	-
10.	श्रीगंगानगर	स्टेडियम निर्माण	-	-	16.00 लाख	-	-
11.	चुरू	स्टेडियम निर्माण	-	-	16.00 लाख	-	-
12.	सीकर	स्टेडियम निर्माण	-	-	16.00 लाख	-	-
13.	धौलपुर	स्टेडियम निर्माण	-	-	16.00 लाख	-	-
14.	बारां	स्टेडियम निर्माण	-	-	16.00 लाख	-	-
15.	भरतपुर (कामां)	स्टेडियम निर्माण	-	-	-	16.00 लाख	-

वर्ष 2007-08 में 28 परियोजनाओं के प्रस्ताव 500.00 लाख के स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को भिजवाये गये हैं।   ।

कोटा सम्भाग में प्रस्तावित खेल स्टेडियम

48. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा स्टेडियम निर्माण के संबंध में सरकार को पत्र लिखे गये हैं? यदि हां, तो कब-कब और किसके द्वारा?

(2) कोटा सम्भाग में किन-किन जिलों में किन-किन किन-किन स्थानों पर स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये तथा उन प्रस्तावों में से किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी लागत के स्टेडियम निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा स्टेडियम निर्माण के संबंध में राज्य सरकार को लिखे गये पत्रों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) कोटा सम्भाग में बूंदी जिले के हिण्डौली, कोटा जिले के कैथून, बारां जिले के छबड़ा एवं छीपा बडौद में स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जिन पर गुणावगुण एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप निर्णय लिया जा सकेगा।

परिशिष्ट 'अ'

विभिन्न जिलों के जन प्रतिनिधियों द्वारा स्टेडियम निर्माण के संबंध में सरकार को लिखे गये पत्रों का विवरण

क्र. सं.	पत्र की तिथि	जनप्रतिनिधि का नाम	विषय
1.	15.12.04	श्री अतर सिंह भडाना माननीय विधायक क्षेत्र बयाना, भरतपुर।	महाविद्यालय में स्टेडियम निर्माण बाबत।
2.	16.09.04	श्री अर्जुन लाल जीनगर माननीय विधायक क्षेत्र गंगरार, चित्तौड़गढ़।	गंगरार, राशमी, रूद एवं बूड़ के विद्यालयों में चार दीवारी एवं मैन स्टेडियम निर्माण बाबत।

क्र. सं.	पत्र की तिथि	जनप्रतिनिधि का नाम	विषय
3.	18.09.04	श्रीमती किरण माहेश्वरी सांसद क्षेत्र, उदयपुर।	राजकीय बालकृष्ण विद्या भवन उ.मा.वि. कांकरौली में इन्डौर स्टेडियम निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति बाबत।
4.	16.09.04	श्री देवीसिंह भूतडा माननीय विधायक क्षेत्र, ब्यावर (अजमेर)	ब्यावर में स्टेडियम निर्माण हेतु
5.	17.09.04	श्री प्रताप सिंह सिंघवी माननीय विधायक क्षेत्र छबड़ा, जिला बारां	1. छबड़ा 2. इस वित्तीय वर्ष में छीपा बडौद में स्टेडियम निर्माण हेतु।
6.	01.04.05	श्री राजेन्द्र राठौड़ माननीय विधायक चूरू।	ग्राम रिडखला में स्टेडियम निर्माण हेतु।
7.	16.05.07	श्रीमती अनीता भदेल माननीय विधायक क्षेत्र अजमेर पूर्व।	तोपदडा स्कूल में अजमेर में स्टेडियम निर्माण बाबत।
8.	06.12.05	श्री राकेश मेघवाल माननीय विधायक क्षेत्र परबतसर, नागौर।	परबतसर में स्टेडियम में पेवेलियन हेतु माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई 15.00 लाख रुपये की घोषणा के संबंध में।
9.		श्री शांतिलाल चपलोत माननीय विधायक क्षेत्र मावली, उदयपुर।	तहसील रेलमगरा में स्टेडियम निर्माण हेतु।
10.	12.06.07	श्री राव राजेन्द्र सिंह माननीय विधायक क्षेत्र बैराठ, जयपुर।	शाहपुरा में स्टेडियम निर्माण हेतु।
11.		श्री भवानी सिंह राजावत, माननीय विधायक लाडपुरा, कोटा।	कैथून के खेल मैदान में मिनी स्टेडियम निर्माण बाबत।

क्र. सं.	पत्र की तिथि	जनप्रतिनिधि का नाम	विषय
12.	17.05.07	श्री बाबूसिंह राठौड माननीय विधायक क्षेत्र शेरगढ़, जोधपुर।	शेरगढ़ में स्टेडियम निर्माण हेतु।
13.	17.07.07	श्री भवानी जोशी माननीय विधायक क्षेत्र, बांसवाड़ा।	बांसवाड़ा में स्टेडियम निर्माण हेतु।
14.	07.07.07	श्री बंशीलाल खटीक माननीय विधायक क्षेत्र रेलमगरा, उदयपुर।	रेलमगरा में स्टेडियम निर्माण हेतु।
15.	17.08.07	श्री हरिमोहन शर्मा माननीय विधायक क्षेत्र हिण्डौली, बूंदी।	हिण्डौली में स्टेडियम निर्माण हेतु
16.	20.08.07	श्री रामरतन बैरवा माननीय विधायक क्षेत्र शाहपुरा, भीलवाड़ा।	स्टेडियम निर्माण

श्री डूंगरगढ़ के विद्यालयों में खेल स्टेडियम पर व्यय

49. **श्री मंगला राम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में वर्तमासन में कितने खेल स्टेडियम कहां-कहां स्थित हैं तथा इनसे कितने-कितने खिलाड़ी लाभान्वित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में खेल स्टेडियम विहीन सभी सीनियर व माध्यमिक विद्यालयों में खेल स्टेडियम निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कितनी लागत से व नहीं, तो क्यों?

(3) श्री डूंगरगढ़ कस्बे में खिलाड़ी छात्रों को खेल स्टेडियम की क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं व वर्ष 2007-08 में इस मद में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मंगला राम गोदारा)

(4) श्री डूंगरगढ़ में खेल स्टेडियम के लिये कितनी भूमि आरक्षित की गयी व इस पर कितनी राशि के क्या-क्या निर्माण कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में वर्तमान में युवा मामले एवं खेल विभाग का कोई खेल स्टेडियम नहीं है।

(2) जी नहीं। शैक्षणिक संस्थाओं में खेल स्टेडियम बनाने की योजना युवा मामले एवं खेल विभाग के पास नहीं है अपितु पूरे राज्य में तहसील स्तर पर खेल स्टेडियम बनाने की योजना इस वर्ष बनाई जा चुकी है, जिसे आगामी वर्ष में चरणबद्ध रूप से क्रियान्विति किया जाना है।

(3) श्री डूंगरगढ़ कस्बें में वर्तमान में खिलाड़ी छात्रों को खेल स्टेडियम न होने से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।

(4) श्रीडूंगरगढ़ में खेल स्टेडियम के लिए अभी कोई भूमि आरक्षित नहीं है।

श्रीडूंगरगढ़ तहसील के 7000 से अधिक आबादी वाले ग्राम मोमासर व रीडी में खेल मैदान का निर्माण करवाया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा समग्र स्टेडियम विकास नीति के अन्तर्गत तहसील स्तर पर भी स्टेडियम निर्माण का भी भी प्रावधान है। उक्त नीति के अन्तर्गत खेल अधिकारी बीकानेर द्वारा जिला कलक्टर, बीकानेर व उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ को श्रीडूंगरगढ़ में स्टेडियम हेतु 25 बीघा भूमि आबंटन करने हेतु लिखा गया है।

बूंदी के विद्यालयों में रिक्त पद

50. **श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी में कहां कहां राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय कब से किन सुविधाओं के साथ संचालित हैं? छात्र/छात्रा संख्या, भवन बाउण्ड्री, शौचालय, बिजली, पानी व स्वीकृत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से अधिकांश विद्यालयों के छात्र/

(श्रीमती ममता शर्मा)

छात्रा अनुपात में अध्यापक/अध्यापिकाओं/प्रधानाध्यापिका के पद रिक्त हैं तथा भवन, बाउन्ड्री, शौचालय, पेशाबघर व बिजली पानी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब से? विद्यालयावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों के लिए स्वीकृत रिक्त पदों को भरने व शेष सुविधाऐं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बूंदी में संचालित प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमि विद्यालय में छात्र संख्या, भवन, बाउण्ड्री, शौचालय, बिजली, पानी व स्वीकृत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बूंदी के विद्यालयों में छात्र संख्या, कार्यरत अध्यापक, रिक्त पदों का विवरण तथा भौतिक सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट 'क' सम्मिलित है।

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा तथा विभिन्न योजनान्तर्गत वित्तीय उपलब्धता के आधार पर विद्यालयों में सुविधाऐं उपलब्ध करवायी जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर एवं कोटा जोन में शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रभारी के पद पर नियम विरुद्ध पदस्थापन

51. **श्री मदन मोहन सिंघल** (कामां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर एवं कोटा जोन में द्वितीय श्रेणी वाणिज्य संकाय के अध्यापकों को शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रभारी के पद पर कार्यालयों में पद स्थापित किया हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि इसकी वजह से उक्त जोन के विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं जिससे विद्यार्थियों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो कितने पद व कब कब से?

(श्री मदन मोहन सिंघल)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त संबंध में ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण का निस्तारण होने के बाद भी अध्यापकों को शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रभारी के पदों से नहीं हटाया गया? यदि हां, तो किन-किन को व क्यों? न्यायालय आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इसमें लिप्त अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(5) अब सरकार ऐसे अध्यापकों को कब तक विद्यालयों में चल रहे रिक्त पदों पर पद स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। भरतपुर एवं कोटा जोन में द्वितीय श्रेणी वाणिज्य संकाय के अध्यापकों को शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रभारी के पद पर कार्यालयों में पदस्थापित नहीं किया हुआ है।

(2) प्रश्नोतर भाग संख्या-1 के अनुसार

(3) प्रश्नोत्तर भाग संख्या-1 के अनुसार

(4) प्रश्नोतर भाग संख्या-1 के अनुसार

(5) प्रश्नोत्तर भाग संख्या-1 के अनुसार

स्कूली व्याख्याताओं एवं प्रधानाध्यापकों के वेतन/ पदोन्नति में विषमता

52. **श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि व्याख्याताओं को प्रधानाध्यापकों (माध्यमिक) के समक्ष वेतन नहीं दिया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी.ए. बी.एड है जबिक व्याख्याताओं की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एम.ए.बी.एड. है? यदि हां, तो किस आधार पर व्याख्याताओं का वेतनमान प्रधानाध्यापकों की तुलना में कम है?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ (रेस्ला) के प्रार्थना पत्र पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने व्याख्याताओं के विषय में सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि ''इनकी मांगों को जायज

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

मानते हुए उचित निर्णय लिया जाये''? यदि हां, तो आज तक इस विषय में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

(4) क्या यह सही है कि व्याख्याताओं एवं प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति समान रूप से 50-50 प्रतिशत में की जाती है? जबकि व्याख्याताओं की संख्या ज्यादा है और प्रधानाध्यापकों की संख्या कम है? इस आधार पर व्याख्याताओं की पदोन्नति तुलनात्मक दृष्टि से कम होती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। व्याख्याता व समकक्ष पद को प्रधानाध्यापक (माध्यमिक) व समकक्ष पद के बराबर नहीं माना जाता है। दोनों पदों की तुलना शैक्षिक योगयता से नहीं की जाकर दायित्वों से की जाती है। चूंकि प्रधानाध्यापक (माध्यमिक) का पद उच्चतर दायित्व का माना जाता है, इसलिए व्याख्याता का वेतनमान प्रधानाध्यापक के वेतनमान से कम है।

(3) माननीय उच्च न्यायालय पीठ जोधपुर ने याचिका संख्या 2974/98 श्री बाबूसिंह व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24.10.05 की अनुपालना में वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा निम्नानुसार सिफारिश की गई है कि ''राज्य में व्याख्याता व समकक्ष पदों को प्रधानाध्यापक, सैकण्डरी विद्यालय व समकक्ष पदों के बराबर नहीं माना जाकर प्रधानाध्यापक, सैकण्डरी विद्यालय व समकक्ष पद को उच्चतर दायित्व का पद माना जाना चाहिए एवं तदनुसार व्याख्याता व समकक्ष पदों को प्रारम्भिक वेतनमान 6500-10500 दिया जाना चाहिए व प्रधानाध्यापक, सैकण्डरी विद्यालय व समकक्ष पदों का प्रारम्भिक वेतनमान 7500-12000 दिया जाना चाहिए'' विभाग द्वारा भी उक्त समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।

(4) जी हां। व्याख्याताओं एवं प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति उनकी संख्या के आधार पर नहीं की जाकर राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों के अन्तर्गत विहित मानदण्डों के अनुसार की जाती है।

भीलवाड़ा जिले के पैराटीचर्स का नियमितीकरण

53. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भीलवाड़ा के किस-किस विद्यालय में कितने-कितने पैरा

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

टीचर किस-किस दिनांक से लगे हुए हैं? उनमें से कितने पैरा टीचरों को स्थाई किया गया व कितने अवशेष हैं?

(2) क्या सरकार अवशेष रहे पैरा टीचरों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला भीलवाड़ा में कार्यरत पैरा टीचर्स का दिनांक सहित विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''क'' संलग्न है। किसी भी पैरा टीचर को स्थाई नहीं किया गया है।

(2) पैरा टीचरों को स्थाई करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों का अध्यापन

54. **श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। क्योंकि क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रथमतः कला संकाय प्रारम्भ किया जाता है। उसके बाद वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय आवश्यकता और बजट की उपलब्धता के आधार पर ही प्रारम्भ करने हेतु विचार किया जाता है।

उदयपुर जिले में सर्वशिक्षा अभियानान्तर्गत करवाये गये निर्माण कार्य

55. **श्री वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सर्व शिक्षा अभियान में निर्माण कार्य करवाये जाते हैं? यदि हां, तो नियमानुसार यह कार्य किस एजेन्सी से करवाये जाने का प्रावधान है?

(श्री वन्दना मीणा)

(2) उदयपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के मार्फत कौन-कौन से कार्य किस-किस एजेन्सी द्वारा करवाये जा रहे हैं? योजना प्रारम्भ से अब तक वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विद्यालय में निर्माण कार्य संबंधित विद्यालय की ''विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति'' के द्वारा, खण्ड संदर्भ केन्द्र का निर्माण संबंधित खण्ड संदर्भ निर्माण समिति के द्वारा, एवं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण खुली निविदा आमंत्रित कर पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से करवाये जाने का प्रावधान है।

(2) उदयपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के मार्फत करवाये जा रहे निर्माण कार्य निम्नांकित एजेन्सियों द्वारा करवाये जा रहे है।

क्र. सं.	**गतिविधि का नाम**	**क्रियान्वयन ऐजेन्सी**
1	नवीन विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्षा, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा, संकुल संदर्भ केन्द्र निर्माण आदि	संबंधित विद्यालय की ''विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति''
2	खण्ड संदर्भ केन्द्र निर्माण	संबंधित खण्ड संदर्भ निर्माण समिति
3	कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय निर्माण	खुली निविदा आमंत्रित कर पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से

योजना प्रारम्भ से अब तक निर्माण कार्यों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

उदयपुर जिले में योजना प्रारम्भ से अब तक निर्माण कार्यों का वर्ष वार ब्यौरा

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	वर्ष 03-04	वर्ष 04-05	वर्ष 05-06	वर्ष 06-07	वर्ष 07-08	योग
1	खण्ड संदर्भ केन्द्र	6	0	5	0	0	11
2	संकुल संदर्भ केन्द्र	26	0	86	0	38	150
3	नवीन प्राथमिक विद्यालय भवन	69	45	20	0	0	134
4	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन	40	97	20	0	0	157
5	भवन रहित प्राथमि विद्यालय	0	33	83	30	0	146
6	भवन रहित उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	11	1	1	1	14
7	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	250	142	325	1212	604	2583
8	प्रधानाध्यापक कक्ष	30	20	100	13		163
9	शौचालय निर्माण	200	500	500	149	0	1349
10	पेयजल सुविधा	48	100	100	0	0	248
11	हैंडपम्प	0	0	200	315	7	522
12	विद्युतीकरण	0	0	0	22	21	43
13	कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय	0	0	0	3	7	10
14	शिक्षा कर्मी विद्यालय	0	0	53	0	0	53
15	चार दीवारी निर्माण	0	0	0	0	2	2
16	वृहद मरम्मत कार्य	0	0	0	0	67	67
17	एन पी ई जी ई एल कक्ष	9	9	11	10	306	345
	योग	**678**	**957**	**1504**	**1755**	**1053**	**5947**

रावतभाटा एटोमिक परियोजना से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग

56. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रावतभाटा एटोमिक पावर परियोजना से प्राप्त हो रही 250 मेगावाट बिजली को गत तीन चार वर्षों से मध्य प्रदेश को उपयोग करने हेतु राज्य सरकार ने सहमति दे दी थी? यदि हां, तो कब से व क्यों? इससे राज्य को हुए नुकसान की पूर्ति कैसे की जाएगी?

(2) रावतभाटा एटोमिक पावर प्रोजेक्ट से राज्य को बिजली किस दर पर प्राप्त होती है तथा सेन्ट्रल ग्रिड एवं अन्य राज्यों से किस-किस दर पर बिजली प्राप्त होती है? प्रति यूनिट दर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान परमाणु विद्युत योजना की 220 मेगावाट क्षमता की तीसरी इकाई से उपलब्ध हो रही बिजली की कीमत अधिक होने तथा इससे कम दरों की बिजली अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध होने व प्रचलित टैरिफ प्लान को मध्यनजर रखते हुए, इस तीसरी इकाई से मिल रहे 85 प्रतिशत विद्युत आबंटन (187 मेगावाट) को 20 प्रतिशत (44 मेगावाट) करने हेतु माह दिसम्बर, 2003 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सहमति दी गई थी। दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 से इस इकाई से राजस्थान को बिजली का आबंटन संशोधित कर 20 प्रतिशत कर दिया तथा शेष 65 प्रतिशत का आबंटन मध्यप्रदेश व 15 प्रतिशत दिल्ली को कर दिया गया था। यह कार्यवाही राज्य को सम्भावित नुकसान से बचाने हेतु की गयी। तदनुपरान्त माह सितम्बर, 2004 के दौरान इस इकाई से बिजली का आबंटन उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड द्वारा उत्तर क्षेत्रीय राज्यों में कर दिया गया एवं राजस्थान का आबंटन 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 28.41 प्रतिशत (62.5 मेगावाट) किया गया।

(2) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन के उपक्रमों (नरेरा व राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्रों) से प्राप्त हो रही बिजली की आंकलित औसत दर 266.64 पैसा प्रति यूनिट है। इसमें राजस्थान परमाणु संयंत्रों से प्राप्त हो रही बिजली की पृथक आंकलित दर 272.13 पैसा प्रति युनिट है जबकि केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य विद्युत गृहों से प्राप्त विद्युत की औसत दर 189.47 पैसे प्रति यूनिट एवं अन्य राज्यों से द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर प्राप्त विद्युत की औसत दर 696.22 पैसा प्रति यूनिट है। जिसका विवरण परिशिष्ट अ-ब पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'अ'

Statement Showing Average per unit Rate of Energy Purchased During Year 2007-08 (Upto Nov 2007)

Projects	Rate (P/KWH)
CENTRAL SECTOR	
NTPC	161.58
NHPC	203.51
NPCIL	266.64
THDC	422.13
SJVNL	248.95
Total Central Sector	189.47
State Sector	229.24
Partnership Projects	13.71
NCES Wind	301.93
NCES Biomass	426.61
CPP	268.38
RFF	247.59
Tala (Through PTC)	184.00
HZL (FIRM)	
Bilateral	696.11
UI	473.58
G. Total (Excl Transmission Charges)	218.41
G. Total (Incl. Transmission Charges)	241.08

PERCENTAGE SHARES AND ENTITLEMENTS OF NORTHERN REGION UTILITIES IN VARIOUS INTER STATES GENERATING STATIONS DURING 0000-0600 AND 2300-2400 HRS

(All figures in %)

State/UT	SINGRAULI (2000 MW) Share	U.A.	Entlmnt	RIHAND (1000 MW) Share	U.A.	Entlmnt	UNCHAHAR-I (420 MW) Share	U.A.	Entlmnt	UNCHAHAR-II (420 MW) Share	U.A.	Entlmnt
Chandigarh	0.00	0.75	0.75	1.00	0.75	1.75	0.48	0.24	0.72	0.71	0.75	1.46
Delhi	7.50	0.00	7.50	10.00	0.00	10.00	5.71	0.00	5.71	11.19	0.00	11.19
Haryana	10.00	4.20	14.20	6.50	4.20	10.70	2.62	1.33	3.95	5.40	4.20	9.60
H.P.	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	1.67	0.00	1.67	2.86	0.00	2.86
J & K	0.00	1.35	1.35	7.00	1.35	8.35	3.33	0.43	3.76	7.14	1.35	8.49
Punjab	10.00	4.50	14.50	11.00	4.50	15.50	8.57	1.43	10.00	14.28	4.50	18.78
Rajasthan	15.00	2.10	17.10	9.50	2.10	11.60	4.76	0.67	5.43	9.05	2.10	11.15
U.P.	37.68	2.10	39.78	32.57	2.10	34.67	59.52	0.67	60.19	30.69	2.10	32.79
Uttaranchal	4.82	0.00	4.82	3.93	0.00	3.93	8.57	0.00	8.57	3.60	0.00	3.60
Railways	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	85.00	15.00	100.00	86.00	15.00	100.00	95.23	4.77	100.00	85.00	15.00	100.00

State/UT	DADRI(T) (840 MW) Share	U.A.	Entlmnt	DADRI(G) (830 MW) Share	U.A.*	Entlmnt	ANTA (G) (419 MW) Share	U.A.	Entlmnt	AURAIYA (G) (661 MW) Share	U.A.*	Entlmnt
Chandigarh	0.00	0.00	0.00	0.61	0.36	0.97	1.19	0.75	1.94	0.75	0.52	1.27
Delhi	90.00	0.00	90.00	10.96	0.00	10.96	10.50	0.00	10.50	10.86	0.00	10.86
Haryana	0.00	0.00	0.00	4.94	1.99	6.93	5.73	4.21	9.94	5.88	2.91	8.79
H.P.	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	3.01	3.58	0.00	3.58	3.32	0.00	3.32
J & K	0.00	0.00	0.00	6.75	0.64	7.39	6.92	1.35	8.27	6.64	0.94	7.58
Punjab	0.00	0.00	0.00	15.90	2.13	18.03	11.68	4.51	16.20	12.52	3.11	15.63
Rajasthan	0.00	0.00	0.00	9.28	0.99	10.27	19.81	2.11	21.92	9.20	1.46	10.66
U.P.	10.00	0.00	10.00	29.60	1.00	30.60	21.75	2.11	23.86	32.06	1.46	33.52
Uttaranchal	0.00	0.00	0.00	3.41	0.00	3.41	3.79	0.00	3.79	3.84	0.00	3.84
Railways	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53	4.53
Total	100.00	0.00	100.00	84.46	15.54	100.00	84.96	16.04	100.00	85.07	14.93	100.00

State/UT	BAIRA SIUL (180 MW) Share	U.A.	Entlmnt	SALAL (690 mW) Share	U.A.	Entlmnt	TANAKPUR (94 MW) Share	U.A.	Entlmnt	CHAMERA-I (540 MW) Share	U.A.	Entlmnt
Chandigarh	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.27	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	3.00
Delhi	11.00	0.00	11.00	11.62	0.00	11.62	12.81	0.00	12.81	7.90	0.00	7.90
Haryana	30.50	0.00	30.50	15.02	0.00	15.02	6.40	0.00	6.40	15.80	0.00	15.80
H.P.	12.00	0.00	12.00	0.99	0.00	0.99	3.84	0.00	3.84	14.90	0.00	14.90
J & K	0.00	0.00	0.00	34.39	0.00	34.39	7.68	0.00	7.68	3.90	0.00	3.90
Punjab	46.50	0.00	46.50	26.60	0.00	26.60	17.93	0.00	17.93	10.20	0.00	10.20
Rajasthan	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	2.95	11.53	0.00	11.53	19.60	0.00	19.60
U.P.	0.00	0.00	0.00	6.95	0.00	6.95	22.64	0.00	22.64	20.27	0.00	20.27
Uttaranchal	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	1.21	15.89	0.00	15.89	3.53	0.00	3.53
Railways	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

State/UT	CHAMERA-II (300 MW) Share	U.A.*	Entlmnt	URI (180 mW) Share	U.A.	Entlmnt	Nathpa-Jhakri (1500 MW) Share	U.A.*	Entlmnt
Chandigarh	0.67	0.22	0.89	0.62	0.00	0.62	0.53	0.09	0.62
Delhi	13.33	4.35	17.68	11.04	0.00	11.04	26.47	1.68	28.15
Haryana	5.67	1.85	7.52	5.42	0.00	5.42	21.27	0.76	22.03
H.P.	12.00	0.00	12.00	2.71	0.00	2.71	2.47	0.44	2.91
J & K	6.33	2.07	8.40	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
Punjab	10.00	3.26	13.26	13.75	0.00	13.75	10.13	1.79	11.92
Rajasthan	9.67	3.16	12.83	8.96	0.00	8.96	14.47	2.56	17.03
U.P.	20.67	6.75	27.42	20.06	0.00	20.06	14.73	2.61	17.34
Uttaranchal	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
Railways	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	78.34	21.66	100.00	100.00	0.00	100.00	90.07	*9.93	100.00

* Allocated in proportion to firm shares

State/UT	N.A.P.P (440 MW) Share	U.A.	Entlmnt	RAPS-B # 3 & 4 (440 MW) Share	U.A.	Entlmnt
Chandigarh	1.14	0.73	1.87	0.00	0.00	0.00
Delhi	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
Haryana	6.36	4.07	10.43	10.91	5.00	15.91
H.P.	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
J & K	7.50	1.31	8.81	7.95	0.00	7.95
Punjab	11.59	4.36	15.95	22.73	5.00	27.73
Rajasthan	10.00	2.04	12.04	28.41	0.00	28.41
U.P.	31.30	2.04	33.34	15.00	5.00	20.00
Uttaranchal	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
Railways	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	85.45	14.55	100.00	85.00	15.00	100.00

State/UT	UNALLOCATED (%) NTPC	NAPP
Chandigarh	5.00	5.00
Delhi	0.00	0.00
Haryana	28.00	28.00
H.P.	0.00	0.00
J & K	9.00	9.00
Punjab	30.00	30.00
Rajasthan	14.00	14.00
U.P.	14.00	14.00
Uttaranchal	0.00	0.00
Total	100.00	100.00

Allocation from E.R.

State/UT	FARAKKA Entlmnt	K'GAON Entlmnt	TALCHER Entlmnt
Chandigarh	0.00	0.00	0.00
Delhi	0.00	0.00	0.00
Haryana	0.00	0.00	0.00
H.P.	0.00	0.00	0.00
J & K	0.00	0.00	0.00
Punjab	0.00	0.00	0.00
Rajasthan	0.00	0.00	0.00
U.P.	0.84	2.44	0.60
Uttaranchal	0.00	0.00	0.00
Total	0.84	2.44	0.60
U.P. (W.R.)**	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NOTE * Railways have been allocated 70 MW(8.43%) and 30 MW(4.53%) out of unallocated power from Dadri and Auraiya gas power stations respectively

** Power wheeling through UP transmission system

टिब्बी के स्वीकृत ग्रिड सब स्टेशन

57. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार कस्बा टिब्बी में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि कस्बा रावतसर में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त ग्रिड सब स्टेशन का कार्य कब तक चालू करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) टिब्बी (जिला हनुमानगढ़) में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में इस क्षेत्र में विद्युत मांग में वृद्धि होने पर उसके तकनीकी-आर्थिक रूप से साध्य पाये जाने पर तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी हां। रावतसर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि वर्तमान में स्थापित 33 के.वी. सब-स्टेशन पर उपलब्ध है और इलेक्ट्रिक ले-आउट प्लान जारी किया जा चुका है। उक्त सब-स्टेशन को वर्ष 2009-10 में चालू किया जाना प्रस्तावित है।

तारानगर विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

58. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर के कितने पशु चिकित्सालयों में कितने चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के कितने पद रिक्त हैं व उन्हें कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में किस-किन पशु चिकित्सालयों हेतु स्वयं के भवन उपलब्ध हैं एवं क्या सरकार भवन विहीन चिकित्सालयों हेतु भवन बनाने एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' में दर्शाया गया है। रिक्तियों को शीघ्र ही भरने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) विधान सभा क्षेत्र तारानगर के सभी पशु चिकित्सालय राजकीय भवनों में कार्यरत है।

परिशिष्ट 'क'

तारानगर विधान सभा क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण

क्रम संख्या	संस्था का नाम	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा सहायक		पशुधन सहायक		स्कन्ध सहायक		सइस		जलधारी		सफाइकर्ता		गडरिया	
		स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त
1	पशु चिकित्सालय तारानगर	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	1
2	पशु चिकित्सालय साहवा	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
3	पशु चिकित्सालय बाय	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
4	पशु चिकित्सालय भालेरी	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
5	पशु चिकित्सालय बूचावास	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
6	पशु चिकित्सालय धीरवासबड़ा	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-		-	-	-

पशु चिकित्सालय का कार्यशील समय

59. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पशु चिकित्सालयों का समय फरवरी, 2006 से दो पारियों से किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पुनः पशु चिकित्सालयों के कार्यशील समय को एक पारी में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के पशुपालकों के हित में पशु चिकित्सा संस्थाओं को दो पारियों में किया गया है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में पशु चिकित्सालयों के कार्यशील समय को एक पारी में परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

पशु चिकित्साधिकारियों हेतु पदोन्नति समिति की बैठकें

60. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग में भेड़-ऊन विभाग के वर्ष 2001 में विलय उपरान्त सेवा नियमों में संशोधन सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त सेवा नियमों में कब तक संशोधन करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग एवं भेड़ ऊन विभाग में गत 6 वर्षों से विभागीय पदोनन्ति समिति की बैठकें आयोजित नहीं हो पाई हैं? यदि हां, तो क्यों? सरकार उक्त कारणों को कब तक दूर करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग में अधिकतर अधिकारी पावती वेतन श्रृंखला में वरिष्ठ पदों पर बिना किसी पदोन्नति के कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार उक्त व्यवस्था को समाप्त कर अस्थाई रूप से अधिकारियों को उनके पदों पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग में पशु चिकित्साधिकारी एवं वरिष्ठ चिकित्साधिकारी एक ही वेतनमान में काम कर रहे हैं? यदि हां, तो

(डा. सुरेश चौधरी)

क्यों? क्या सरकार इस वेतन विसंगित को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग में पशु चिकित्साधिकारियों के लिये प्रेक्टिस रूल (नियम) संचालित नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार प्रेक्टिस रूल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सेवा नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन हैं।

(2) जी हां। सेवा नियमों में संशोधन पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जा सकेगी।

(3) जी हां। सेवा नियमों में संशोधन पश्चात् अधिकारियों की पदोन्नति कर उच्च पद पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(4) जी हां। पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों का एक ही वेतनमान है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें शीघ्र ही अपेक्षित हैं, अतः इन वेतनमान विसंगतियों के निराकरण के संदर्भ में अभी निर्णय लिया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

(5) जी हां। पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिये प्रेक्टिस रूल्स तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अजमेर शहर में महिलाओं हेतु आबंटित डेयरी बूथ/पार्लर

61. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर शहर में वर्ष 2007-08 में कुल कितने डेयरी बूथ/पार्लर आबंटित किये गये?

(2) क्या वर्ष 2007-08 में डेयरी बूथ/पार्लर केवल महिलाओं को ही आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन को? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर शहर में वर्ष 2007-08 में कुल 8 डेयरी बूथ एवं 1 सरस पार्लर आबंटित किये गये हैं।

(2) जी हां। महिलाओं को आबंटित बूथ/पार्लर की सूची प्रदर्श-1 पर उपलब्ध है।

प्रदर्श-1

वर्ष 2007-08 में अजमेर शहर में महिलाओं को आबंटित डेयरी बूथ/ सरस पार्लर की पूर्ण सूचना

क्रम संख्या	आबंटी महिला का नाम मय पिता	बूथ/पार्लर
1	श्रीमती सुमित्रा सिंह, पत्नी श्री सूर्यप्रताप सिंह लहेरो की बरखा के पास, अजमेर	पार्लर
2	श्रीमती राजेश्वरी, पत्नी श्री ताराचन्द जवाहर, जादूगर कालोनी, अजमेर	बूथ
3	श्रीमती इन्दु जैन, 26/24, शम्भु सदन के पीछे, अजमेर	बूथ
4	श्रीमती सीता गुर्जर, पत्नी श्री गंगाराम गुर्जर, मकान नम्बर 530/47, माल मोहल्ला, कुन्दन नगर, अजमेर।	बूथ
5	श्रीमती आशा यादव, चौधरी मानसिंह का नहोरा, हाथी भाटा, अजमेर	बूथ
6	श्रीमती लीला पत्नि श्री करणलाल, 141/2, नई बस्ती, जेलर साहब की गली, लोहा खान, अजमेर	बूथ
7	श्रीमती कमला देवी, पत्नी श्री श्रवण कुमार, बी-43, पंचशील नगर, अजमेर	बूथ
8	श्रीमती श्यामा देवी, क्वार्टर नम्बर-110 बाईपास मन्दिर के पास, ब्यावर रोड, अजमेर	बूथ
9	श्रीमती सुमीता सांखला पत्नी श्री राजेन्द्र सांखला, मकान नम्बर-625 प्रगति नगर, कोटड़ा, अजमेर	बूथ

पंचायतों का पुनर्गठन

62. **श्री अशोक कुमार नवलखां** (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है सरकार समय-समय पर ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करती है? यदि हां, तो पिछले वर्षों में पंचायतों का पुनर्गठन कब किया गया था?

(श्री अशोक कुमार नवलखां)

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायतों के आबादी असन्तुलन/क्षेत्र असन्तुलन व अन्य कारणों को देखते हुए अब पुनः पंचायतों का पुनर्गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 115 में प्रत्येक जनगणना के बाद पंचायतों का पुनर्गठन किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 1991-92 में अन्तिम बार पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था।

(2) इस संबंध में मापदण्ड हेतु नीति निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। नीति निर्धारण के बाद इस बाबत् अविलम्ब कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

बाल विवाह रोकने हेतु कार्य योजना

63. श्री लालचंद कटारिया (आमेर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बाल विवाह प्रथा अभी भी प्रचलित है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बाल विवाह को रोकने हेतु बाल विवाह करने वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों के योग्य नहीं माने जाने का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों के लिए पात्र नहीं मानने का विचार रखती है? यदि हां, तो तत्संबंधी आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह प्रचलित सामाजिक कुरीति है, जिसे समाप्त करने के निरन्तर प्रयास चल रहे हैं।

(2) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 को जारी की जा चुकी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

कार्मिक(क-2) विभाग

क्रमांक :प.7(1)कार्मिक/क-2/95 जयपुर, दिनांक 20-6-2001

<u>अधिसूचना</u>

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, इससे संलग्न अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट विभिन्न सेवा नियमों और संशोधन करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. <u>संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ</u> :- (I) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001 है।

   (II) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. <u>संशोधन</u> : इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तम्भ संख्या 3 में यथा उल्लिखित नियम के विद्यमान उप-नियम (2) या (3) या यथास्थिति (4) के पश्चात अगली क्रम संख्या पर निम्नलिखित नया उप-नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात :-

   'ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

   परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही बच्चा है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को, एक इकाई समझा जायेगा।'

3. <u>संशोधन</u> :- इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में यथा उल्लिखत प्रत्येक सेवानियम के सामने स्तम्भ संख्या 4 में यथा उल्लिखित नियम के विद्यमान उप नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित नया उप नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात :-

   (क) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है पांच वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों;

परन्तु दो से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति तब तक पदोन्नति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसके बच्चों की उस संख्या में जो 1 जून, 2002 को है बढ़ोत्तरी नहीं होती है;

परन्तु यह और कि जहां किसी सरकारी कर्मचारी को पूर्वतर प्रसव से एक ही बच्चा है किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।''

क्र. सं.	सेवा नियम का नाम	विद्यामन नियम संख्या	विद्यामान नियम संख्या
1	2	3	4
1.	राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954	25-ख	28-ख
2.	राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954	25-ग	28-क
3.	राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954	25-ग	28-ख
4.	राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954	-	11-ख
5.	राजस्थान पंजीयन और मुद्रांक निरीक्षक सेवा नियम, 1954	21-क	24-क
6.	राजस्थान अभियन्ता सेवा (विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा) नियम, 1954	21-क	24-क
7.	राजस्थान अभियन्ता सेवा और अनुसंधान अधिकारी (सिंचाई शाखा) नियम, 1954	21-क	24-क
8.	राजस्थान अभियन्ता सेवा (भवन और पथ शाखा) नियम, 1954	21-क	24-ख
9.	राजस्थान सहकारिता सेवा नियम, 1954	21-क	24-ख
10.	राजस्थान श्रम और कल्याण सेवा नियम, 1958	20-क	23-क
11.	राजस्थान आर्थिक और सांख्यिकीय सेवा नियम, 1958	15-ख	25-क
12.	राजस्थान कारखाना और बायलर्स निरीक्षक और कारखाना (केमीकल) निरीक्षक सेवा नियम, 1958	21-क	23-क

1	2	3	4
13.	राजस्थान मोटर गैराज सेवा, नियम, 1958	20-क	21-क
14.	राजस्थान कारागार सेवा नियम, 1959	20-क	23-क
15.	राजस्थान राज्य बीमा और प्रावधायी निधी सेवा नियम, 1959	21-क	24-क
16.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय सेवा नियम, 1959	21-क	23-क
17.	राजस्थान नियोजन सेवा नियम, 1960	20-क	24-क
18.	राजस्थान खान और भूविज्ञान सेवा नियम, 1960	20-क	23-क
19.	राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960	22-क	25-क
20.	राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960	20-क	23-क
21.	राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1962	21-क	24-क
22.	राजस्थान उद्यान सेवा नियम, 1962	20	23-क
23.	राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962	21	24-क
24.	राजस्थान वन सेवा नियम, 1962	25-क	31-क
25.	राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963	21	23-क
26.	राजस्थान समाज कल्याण सेवा नियम, 1963	21	24-क
27.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963	21	24-क
28.	राजस्थान जनसम्पर्क सेवा नियम, 1966	21	25
29.	राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966	21	25
30.	राजस्थान प्राच्य शिक्षा अनुसंधान संस्थान सेवा नियम, 1967	21	25
31.	राजस्थान आबकारी सेवा (निरोधक अधिकारी) नियम, 1967	-	17
32.	राजस्थान अभियन्ता सेवा और सहबद्ध पद (जनस्वास्थ्य शाखा) नियम, 1968	21	25
33.	राजस्थान भूजल सेवा नियम, 1969	21	25
34.	राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970	21	25
35.	राजस्थान वाणिज्य कर सेवा नियम, 1971	15-क	18

1	2	3	4
36.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम, 1973	21	25
37.	राजस्थान आर्कीटेक्चरल सेवा (सा.नि.वि. एवं भवन तथा पथ)	21	25
38.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा, 1973	21	25
39.	राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	-	11-क
40.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975	21	24-क
41.	राजस्थान आकाइव्ज सेवा नियम, 1975	21	24-क
42..	राजस्थान भेड़ और ऊन सेवा नियम, 1975	21	24-क
43.	राजस्थान अभियन्ता सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 1975	21	24-क
44.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा नियम, 1976	21	23-क
45.	राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976	21	23-क
46.	राजस्थान होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम, 1976	21	23-क
47.	राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम, 1977	21	23-क
48.	राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978	-	9
49.	राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979	22	24
50.	राजस्थान पुलिस विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979	22	24
51.	राजस्थान राजकीय उपक्रम सेवा नियम, 1979	22	24
52.	राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979	22	24
53.	राजस्थान लाइब्रेरियन एण्ड फीजिकल ट्रेंनिग इन्सट्रक्टर्स सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980	-	9
54.	राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम, 1980	22	24

1	2	3	4
55.	राजस्थान विधिक राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	26	28
56.	राजस्थान विधि रचना राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	26	28
57.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986	22	24
58.	राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986	21	26(1)-और 27 (1)
59.	राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेवा नियम, 1990	-	9
60.	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1992	27	30
61.	राजस्थान सचिवालय पुस्तकालय राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1997	23	26
62.	राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	25	28
63.	राजस्थान महिला और बाल विकास राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	25	28
64.	राजस्थान देवस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2000	25	28
65.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारिता सेवा (श्रेणी-1) नियम, 1955	24-क	27-क
66.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारिता सेवा (श्रेणी-II) नियम, 1955	23-क	-
67.		24-घ	28-क
68.	राजस्थान खान एवं भूविज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	21	24-क
69.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963	25	28-क
70.	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	16	25-क

1	2	3	4
71.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	21	24-क
72.	राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	21	24-क
73.	राजस्थान उद्यान अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	21	24-क
74.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	21	24-क
75.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	21	25
76.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	21	25
77.	राजस्थान अभियन्ता अधीनस्थ सेवा (जनस्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967	21	25
78.	राजस्थान अभियन्ता अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967	21	25
79.	राजस्थान अभिलेखागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1968	21	25
80.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	21	26
81.	राजस्थान सांख्यिकीय अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	21	25
82.	राजस्थान मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	21	24-क
83.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	21	24-क
84.	राजस्थान अधीनस्थ अभियन्ता सेवा (सा.नि.वि. भ. और पथ शाखा) नियम, 1973	21	24-क
85.	राजस्थान भूजल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	21	24-क
86.	राजस्थान नगर आयोजना अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	21	24-क

1	2	3	4
87.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	21	24-क
88.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	21	24-क
89.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	21	24-क
90.	राजस्थान वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975	21	24-क
91.	राजस्थान भेड और ऊन अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	21	24-क
92.	राजस्थान जनसम्पर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	21	24-क
93.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	25	28-क
94.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निरोधक दल) नियम, 1976	-	23-क
95.	राजस्थान राज्य उपक्रम अधीनस्थ सेवा नियम, 1976	21	23-क
96.	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977	21	23-क
97.	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	22	24
98.	राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	22	24
99.	राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	17	-
100.	राजस्थान मोटर गैराज (अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	22	24
101.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979	22	24
102.	राजस्थान पुलिस विधि विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980	22	24

1	2	3	4
103.	राजस्थान सर्किट हाउस अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	22	24
104.	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989	24	26
105.	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	33	35
106.	राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं (भर्ती और सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2001	32	35
107.	राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970	15	26
108.	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999	31	33
109.	राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1999	19	26

राज्यपाल के आदेश और उनके नाम से,

(एस.एन. शर्मा)

उपशासन सचिव

निवाई में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

64. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में किस-किस प्रकार के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

(3) दिनांक 01 जनवरी, 2004 के बाद उक्त क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कुल 218 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 29

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर क्रम से 247 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 218 सहायिका व 210 सहयोगिनी मानदेय सेवा पर स्वीकृत हैं। इनमें से 8 केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 12 केन्द्रों पर सहायिका व 43 केन्द्रों पर सहायोगिनी के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर ही संलग्न है। आगामी ग्राम सभाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्मिकों के चयन का प्रयास किया जाएगा।

(3) 01 जनवरी, 2004 के बाद निवाई विधान सभा क्षेत्र में खोले गये आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्थायीकरण

65. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा उसमें कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को कितना-कितना मानदेय कब से दिया जा रहा है? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में कुल 48 हजार 372 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 2681 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माह दिसम्बर, 2007 की सूचना के अनुसार क्रमशः 48 हजार 18 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 47 हजार 798 आंगनबाड़ी सहायिक तथा 2 हजार 601 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है।

(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका का वर्तमान मानदेय दिनांक 01.04.2002 से प्रभावी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। मुख्य मंत्री महोदया, द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका का देय मानदेय में क्रमशः 500 रु. व 250 रु. अतिरिक्त मानदेय दिये जाने की घोषणा की गई है।

(महिला बाल विकास मंत्री)

(3) जी नहीं। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका मानदेय प्रदत्त कार्यकर्ता है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप ही इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक एफ.2()बजट/पसृ/सीएसएस/मबावि/97/13805　जयपुर, दिनांक 21.2.2003

प्रेषक:-
उपशासन सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राज. जयपुर

प्रेषित :-
निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राज. जयपुर

विषय :- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के संबंध में।

विषयान्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक-1-3/2002-सीडी-1(vol-ii) दिनांक 16.01.2003 के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय में दिनांक 1.04.2002 से वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप निम्नानुसार मानदेय दरों में वृद्धि करने की स्वीकृति एतद प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	श्रेणी	मानदेय की वर्तमान दर प्रतिमाह (रुपये)	मानदेय की नवीन दर दि. 1.4.02 से प्रभावी प्रतिमाह (रुपये)
अ	**आंगनबाड़ी कार्यकर्ता**		
	1 नान मैट्रिक	438/-	938/-
	2 नान मैट्रिक 5 वर्ष कार्यानुभव	469/-	969/-
	3 नान मैट्रिक 10वर्ष कार्यानुभव	500/-	1000/-
	4 मैट्रिक	500/-	1000/-
	5 मैट्रिक 5 वर्ष कार्यानुभव	531/-	1031/-
	6 मैट्रिक 10 वर्ष कार्यानुभव	563/-	1063/-
ब	आंगनबाड़ी सहायिका	260/-	500/-

उपरोक्त मानदेय की सेवाओं को शासित करने वाली अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। मानदेय पर होने वाला समस्त व्यय भार संबंधित लेखा मदों से वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 156 दिनांक 13.02.2003 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

ह.

उप शासन सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग

राजस्थान, जयपुर

नागौर क्षेत्र में संचालित विभिन्न आगारों की किराया राशि में भिन्नता

66. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर आगार की सीमा से होती हुई अन्य आगारों की कितनी द्रुतगामी और साधारण बसें रोजाना गुजरती हैं? विवरण मार्ग सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नागौर आगार एवं अन्य आगारों की समान श्रेणी की बसों की किराया सूची में फर्क है? यदि हां, तो बीकानेर आगार, कोटा आगार, ब्यावर आगार एवं नागौर आगार की किराया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सभी आगारों पर परिवहन विभाग का नियंत्रण होते हुए भी अलग-अलग किराया क्यों वसूला जा रहा है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर आगार की सीमा से होती हुई निगम के अन्य आगारों द्वारा 188 एकल परिचक्र द्रुतगामी सेवाओं के एवं 18 एकल परिचक्र साधारण बस सेवाओं के प्रतिदिन संचालन हेतु निर्धारित किये हुए है। आगारवार एवं मार्गवार विवरण परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। निगम मण्डल द्वारा निगम की द्रुतगामी एवं साधारण बस सेवाओं की किराया दर निम्न प्रकार निर्धारित की हुई है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम किराया दर से कम है :-

(यातायात मंत्री)

द्रुतगामी सेवा – 47 पैसा प्रति कि.मी. प्रति यात्री

साधारण सेवा – 40 पैस प्रति कि.मी. प्रति यात्री

उक्तानुसार निगम बसों की किराया दर सभी आगारों में वर्तमान में प्रभावशील किराया तालिका के अनुरूप ही यात्रियों से किराया राशि वसूल की जा रही है।

बीकानेर, कोटा एवं ब्यावर आगारों द्वारा नागौर आगार की सीमा से होती हुई संचालित की जा रही बस सेवाओं की किराया सूची मार्गवार परिशिष्ट ''2'' पर संलग्न है। साथ ही नागौर आगार की किराया सूची भी संलग्न है।

निगम द्वारा कतिपय मार्गों पर निजी वाहनों की प्रतिस्पर्धा में रियायती दरों पर भी बस सेवा का संचालन भी किया जा रहा है जिसकी किराया दर 33 पैसा प्रति कि.मी. प्रति यात्री निर्धारित है। मगर दरें राज्य सरकार द्वारा नियत किराया दरों से अधिक नहीं होगी।

(3) मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67(1) के खण्ड 'घ' के उप खण्ड (i) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वाहनों का अधिकतम किराया प्रति यात्री प्रति कि.मी. निर्धारित किया हुआ है। वाहन संचालकर्ता निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूल नहीं कर सकता। अधिकतम निर्धारित किराये से कम किराया वसूल करने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली-चाणोद-अहमदाबाद हेतु निगम बस सेवा

67. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला पाली के ग्राम चाणोद से अहमदाबाद के लिए रोडवेज बस सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले में गत एक वर्ष में लम्बी दूरी की अनेक नई बसें चालू की गई? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर व कब से?

(3) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में पाली से चाणोद होकर सुमेरपुर के लिए रोडवेज बस रूट का सर्वे कराया गया था? यदि हां, तो इस मार्ग पर बसें कब तक चालू कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। पाली जिले में स्थित पाली आगार द्वारा गत एक वर्ष में निम्न दो मार्गों पर उनके सामने अंकित तिथि से नये मार्गों पर बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया गया है :-

क्र.सं.	मार्ग का नाम	संचालन प्रारम्भ तिथि
1.	पाली-अहमदाबाद वाया रेवदर-भटाना-इकबालगढ-पालनपुर	1.4.07 से
2.	बिलाड़ा-पाली-अहमदाबाद वाया रेवदर-मण्डार-डीसा-पालनपुर	1.10.07 से

इन दोनों मार्गो पर दैनिक 2-2 एकल परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। फिलहाल निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ नहीं होने के कारण उक्त मार्ग पर निगम द्वारा बस संचालन का विचार नहीं हैं।

परिवहन विभाग में प्रयुक्त प्रपत्रों का हिन्दी रूपान्तरण

68. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि परिवहन विभाग में विभिन्न कार्यों हेतु प्रयुक्त आवेदन पत्र व नियमादि अंग्रेजी भाषा में ही जारी किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार परिवहन के सभी प्रकार के प्रपत्रों व नियमों/उपनियमों को हिन्दी भाषा में उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, यह सही नहीं है कि परिवहन विभाग में विभिन्न कार्यों हेतु प्रयुक्त आवेदन पत्र व नियम आदि केवल अंग्रेजी भाषा में ही जारी किये जाते हैं।

(2) परिवहन विभाग द्वारा विभाग के सभी प्रपत्र हिन्दी भाषा में मुद्रित कराकर सभी अधीनस्थ कार्यालयों के उपयोग हेतु उन्हें वितरित किये जाते हैं।

(यातायात मंत्री)

जहां तक नियमों/उपनियमों का प्रश्न है प्राय: सभी नियम/उपनियम हिन्दी भाषा में जारी किये जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में जारी किये जाने वाले नियम/ उपनियमों का आमजन की सुविधा हेतु हिन्दी रूपांतरण भी राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है।

मिड-डे मील योजनान्तर्गत जिलेवार आबंटित सामग्री

69. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2007 में मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत किस-किस जिले को कितना-कितना अनाज आबंटित किया गया एवं कितना-कितना उपयोग किया गया? जिलेवार/माहवार आबंटन व उपयोग का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव श्री चंपक चटर्जी द्वारा दिनांक 13 अप्रेल, 2007 को राज्य के मुख्य सचिव श्री अनिल वैश्य को लिखे गये पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रत्येक जिले का वर्ष 2007 व 2008 क अब तक का माहवार कुकिंग कोस्ट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए खाद्यान्न का जिलेवार आबंटन एवं उपयोग किये गये खाद्यान्न का विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

भारत सरकार द्वारा जिलों को खाद्यान्न का आबंटन वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही किया जाता है।

(2) पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(प्रति/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ में सांसद/विधायक स्थानीय विकास कोष से स्वीकृत कार्य

70. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

से दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से अब तक कौन-कौनसे निर्माण कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये तथा कितनी राशि प्रत्येक कार्य पर व्यय होकर कब पूर्ण हुए? प्रत्येक कार्य की स्वीकृति एवं व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्तमान में कौन-कौन से कार्य ऐसे हैं, जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से स्वीकृत होकर निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाये हैं? कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं करने में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से 1 अप्रैल, 2004 से अब तक स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों का विवरण तथा स्वीकृत राशि, व्यय राशि व पूर्णता तिथि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्तमान में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में ऐसे स्वीकृत कार्य जो निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाये हैं उनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर अवलोकनीय है।

योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य पूर्ण होने के जगह का विवाद, निविदा प्रक्रिया तथा कतिपय कार्यों में विभागीय प्रक्रिया के कारण कुछ कार्यों में विलम्ब होने की स्थिति बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में किसी दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट –'अ'

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत श्री शीशराम ओला सांसद (लोकसभा) के कोटे से स्वीकृत कार्यों की सूची
दिनांक 01.04.2004 से 31.01.08 तक

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्रा. पं.	वित्तीय स्वी क्रमांक	वित्तीय स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य पूर्ण दिनांक	भौतिक स्थिति	कार्यकारी अभिकरण का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2004-05										
1	हरिजन बस्ती में पानी की टंकी निर्माण ग्राम सोटवारा	सोटवारा	7150-58	08-09-04	200000	190801	15/11/2004	पूर्ण	ग्रा.पं. सोटवारा	
2	ग्राम गोठडा में सार्वजनिक ट्यूबवैल बस स्टैण्ड का विद्युतीकरण करना	गोठडा	7150-58	08-09-04	140000	139995	9/12/2004	पूर्ण	ग्रा.पं. गोठडा	
3	सामुदायिक विकास भवन निर्माण खातियों की ढाणी बुगाला	बुगाला	11605-16	20-11-04	100000	100000	28/11/2005	पूर्ण	ग्रा. पं. बुगाला	
4	कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण डूमरा	डूमरा	11605-16	20-11-04	50000	50000	14/05/2005	पूर्ण	ग्रा.पं. डूमरा	
5	ग्रेवल रोड निर्माण पूनियां की ढाणी से जाखडों की ढाणी रास्ते में ग्रा.पं. बुगाला	बुगला	11850-63	01-12-04	150000	149909	15/07/2005	पूर्ण	ग्रा. पं. बुगाला	
6	वार्ड नं. 12 में श्मशान भूमि चारदीवारी निर्माण	जाखला	11850-63	01-12-04	100000	99975	25/10/2005	पूर्ण	ग्रा.पं. जाखला	
7	चारदीवारी निर्माण राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय गोठडा	गोठडा	11850-63	01-12-04	50000	50000	16/05/2005	पूर्ण	ग्रा.पं. गोठडा	
8	सिंगल पोइन्ट स्कीम विद्युतीकरण, मोटर इत्यादि सामु. विकास भवन के पास चारा का बास	परसरामपुरा	14417-33	03-03-05	50000	49991	15/05/2004	पूर्ण	ग्रा.पं. परसरामपुरा	
9	पाइप लाइन डालना झुंपा बस स्टैण्ड से धोबी नाड्या बलवन्तपुरा तक डूण्डलोद	डूंडलोद	11605-16	20-11-04	40000	40000	04/08/2005	पूर्ण	जन. स्वा. अभि.वि.नि.ख. झुन्झुनूं	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	चैनगढ़ से परबाना की ढाणी में ट्यूबवैल निर्माण एवं सिंगल पाइप व विधूतीकरण मोटर आदि	चिराना	14417-33	03-03-05	248000	248000	15/11/2005	पूर्ण	जन. स्वा. अभि.वि.नि.ख. झुन्झुनूं	
11	जीएलआर निर्माण हरिजन मो. उतरादा चेलासी	चेलासी	11605-16	20-11-04	140000	137784	08/05/2005	पूर्ण	जन. स्वा. अभि.वि.नि.ख. झुन्झुनूं	
12	जांगिड मो. बिरोल में सिंगल पोइन्ट सप्लाई स्कीम हेतु बिरोल	बिरोल	14417-33	03-03-05	145000	57290	25/09/2005	पूर्ण	जन. स्वा. अभि.वि.नि.ख. झुन्झुनूं	
13	हरिजन बस्ति नीम जोहडा के सिंगल पोइन्ट सप्लाई नवलडी	नवलडी	14417-33	3-3-05	143000	71490	15/11/2005	पूर्ण	जन. स्वा. अभि.वि.नि.ख. झुन्झुनूं	
14	पाइप लाइन डालना नवलडी बस स्टैण्ड से शिशपाल की कोठी तक नवलगढ़ रोड नवलडी	नवलडी	11605-16	20-11-04	56000	56000	26/12/2004	पूर्ण	जन. स्वा. अभि.वि.नि.ख. झुन्झुनूं	
15	पाइप लाइन डालना मुरलीधर जी शर्मा के घर से धानका दरोगा, मौ. तक खिरोड	खिरोड	11605-16	20-11-04	70000	70000	15/07/2005	पूर्ण	जन. स्वा. अभि.वि.नि.ख. झुन्झुनूं	
16	पाइप लाइन डालना अस्पताल के पीछे मीणा मौ. मे खिरोड	खिरोड	11605-16	24-03-05	30000	30000	15/07/2005	पूर्ण	जन. स्वा. अभि.वि.नि.ख. झुन्झुनूं	
17	ग्राम खिरोड में जीणमाता मंदिर के पास ट्यूबवैल निर्माण	खिरोड	17066-72	24-03-05	476000	355000	17/04/2005	पूर्ण	जन. स्वा. अभि.वि.नि.ख. झुन्झुनूं	
18	ग्राम घोडिवारा कलां हरिजन बस्ती में सिंगल पोइन्ट सप्लाई स्कीम विद्युतीकरण मोटर व फिटिंग	माण्डासी	17066-72	24-03-05	123000	52010	25/09/2005	पूर्ण	जन. स्वा. अभि.वि.नि.ख. झुन्झुनूं	
19	ग्राम बडवासी सिंगल पोइन्ट स्कीम विद्युतीकरण मोटर व फिटिंग कार्य एमन की ढाणी	बडवासी	17066-72	24-3-05	123000	58990	20/04/2005	पूर्ण	जन. स्वा. अभि.वि.नि.ख. झुन्झुनूं	
20	ग्रेवल सड़क निर्माण डाबडी बलोदा से देलसर खुर्द रास्ते में तोगड़ा कलां	तोगडा कलां	12337-52	16-12-04	144000	137000	14/02/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
21	चारदीवारी निर्माण कार्य गांव देलसर रा.प्रा.व. देलसर	तोगडा कलां	12337-52	16-12-04	97000	85328	15/02/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
22	कसेरू में पत्थर वाला जोहड में एक कमरा मय बरामदा निर्माण	कसेरू	12337-52	16-12-04	109000	94798	15/04/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	बाय से मस्जिद के मुलामुदीन के अमीन के घर तक सीसी रोड निर्माण	बाय	12337-52	16-12-04	191000	160000	09/02/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
24	मोहनबाडी बारवा से धीवां की ढाणी रास्ते में ग्रेवल रोड निर्माण	मोहनवाड़ी	12337-52	16-12-04	144000	131000	11/02/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
25	खिरोड से मिठारवालों की ढाणी रास्ते में ग्रेवल सड़क निर्माण	खिरोड	12337-52	16-12-04	144000	133000	14/02/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
26	पाइप लाइन व नीम के पास टंकी निर्माण रामरख की ढाणी	चेलासी	11605-16	20-11-04	100000	98618	05/10/2005	पूर्ण	जन.स्वा.अभि.वि.न.ख. झुन्झुनूं	
27	सीताराम कुमावत के घर से हरिराम जांगिड के घर तक सीसी रोड कोलसिया	कोलसिया	12469-76	18-12-04	38000	31000	25/01/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
2005-06										
1	जगुका वाली ढाणी मोरा का डंडा से बिरला कुआ रास्ता में डब्लयू बी एम सड़क निर्माण	ढाणिया नवलगढ़	3830-41	22-07-2005	100000	99870	30/09/2005	पूर्ण	ग्रा.पं. ढाणीया नवलगढ़	
2	लक्ष्मणगढ़ रोड पर सार्व. कुए के पास सामु.वि.भ. का निर्माण	पबाना	2393-98	21-06-2005	300000	283276	15/07/2007	पूर्ण	ग्रा.पं. पबाना	
3	पूनियां की ढाणी से जाखड़ा की ढाणी तक ग्रेवल सड़क निर्माण	बुगाला	3830-41	22-07-2005	150000	149997	15/12/2005	पूर्ण	ग्रा.पं. बुगाला	
4	बडवासी हरि. मौ. बांडिया बास में सिंगल पोइन्ट स्कीम सप्लाई विद्युतीकरण मोटर आदि कार्य	बडवासी	16726-35	22-03-2006	50000	45567	30/06/2006	पूर्ण	ग्रा.पं. बडवासी	
5	जाखल से नाइयो की ढाणी में सिंगल पोइन्ट सप्लाई स्कीम विद्युतीकरण मोटर	जाखल	16615-23	21-03-2006	73000	48310	26/07/2007	पूर्ण	ग्रा.पं. जाखल	
6	भानपुरा में सिंगल पोइन्ट सप्लाई स्कीम में सिंगल पोइन्ट सप्लाई स्कीम विद्युतीकरण आदि	परसरामपुरा	16615-23	21-03-2006	73000	47685	18/08/2006	पूर्ण	ग्रा.पं. परसरामपुरा	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ट्यूबवैल निर्माण, मोटर फिटिंग आदि गांधी पार्क के सार्व. कूप के पास नलवगढ़	नवलगढ़	1400-10	20-05-2005	300000	230660	07/09/2005	पूर्ण	जन.स्वा.अभि.वि.न.ख. झुन्झुनूं	
8	पोदार कालेज के पास कुआ नं. 20 में गहराई व बोरिंग कार्य नवलगढ़	नवलगढ़	1400-10	20-05-2005	40000	40000	05/10/2005	पूर्ण	जन.स्वा.अभि.वि.न.ख. झुन्झुनूं	
9	नवलगढ़ वार्ड 23 रूपनिवास कोठी से गोपीराम के घर तक पीने के पानी की पाइप लाइन	नवलगढ़	2449-54	02-07-2005	50000	50000	25/07/205	पूर्ण	जन.स्वा.अभि.वि.न.ख. झुन्झुनूं	
10	उच्च जलाशय निर्माण डाबडी बलोदा	तोगडा कलां	6770-75	03-09-2005	575000	575000	08/12/2005	पूर्ण	जन.स्वा.अभि.वि.न.ख. झुन्झुनूं	
11	वार्ड 17 में हरिजन श्मशान भूमि की चारदीवारी निर्माण मुकुन्दगढ़	मुकन्दगढ़	2507-12	23-06-2005	100000	89795	24/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
12	वार्ड 17 में गिरधारी फूला के घर के सामने सामुदायिक विकास भवन निर्माण	मुकन्दगढ़	2507-12	23-06-2005	100000	98228	25/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
13	वार्ड 17 में मुख्य सड़क से कालूराम चेजारा के घर तक डब्ल्यू बीएम सड़क निर्माण	मुकन्दगढ़	2507-12	23-06-2005	100000	85507	30/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
14	वार्ड 18 में मदरसा से रमेश पवार के घर होते हुए वार्ड 20 सीताराम जेदिया व मुरारी तक सड़क	मुकन्दगढ़	2507-12	23-06-2005	200000	146624	30/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
15	वार्ड 19 में हमीद तेली के घर से इमामुदीन के घर तक डबल्यूबीएम सड़क निर्माण	मुकन्दगढ़	2507-12	23-06-2005	30000	26242	30/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
16	वार्ड 19 में नरसीलाल की दुकान से जाफर लीलगर के घर तक डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण	मुकन्दगढ़	2507-12	23-06-2005	70000	60268	30/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
17	वार्ड 13 में श्यामसुन्दर के घर से नत्थु बेरीवाला के घर तक डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण	मुकन्दगढ़	2507-12	23-06-2005	30000	23830	30/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
18	वार्ड 12 मुनीचन्द के घर से शिवभगवान एवं बिन्दु के घर तक सीसी सड़क निर्माण	मुकन्दगढ़	2507-12	23-06-2005	100000	76407	05/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	वार्ड 16 में मनसुख के नोहर से मूलचन्द की दुकान तक डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण	मुकन्दगढ़	2949-54	02-07-2005	39000	34712	05/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
20	वार्ड 16 अणुव्रत के स्कूल से शिशुपाल के घर तक डब्ल्यू बीएम सड़क निर्माण	मुकन्दगढ़	2949-54	02-07-2005	39000	27009	05/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
21	वार्ड 4 में सर्राफा की हवेली से गोकुल प्रसाद के घर तक सीसी सड़क मय नाली निर्माण	मुकन्दगढ़	2949-54	02-07-2005	98000	78863	05/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
22	वार्ड 2 में मदनजी सोनी के घर से रिछपाल के घर तक सीसी सड़क निर्माण	मुकन्दगढ़	2949-54	02-07-2005	50000	39287	02/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
23	वार्ड 2 में मांगीलाल के घर से गंगाराम बिजली वाले की चक्की तक डब्ल्यू बीएम सड़क निर्माण	मुकन्दगढ़	2949-54	02-07-2005	30000	27520	04/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
24	वार्ड 5 में घनश्याम के घर से सलीम के घर तक डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण	मुकन्दगढ़	2949-54	02-07-2005	24000	21513	28/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
25	वार्ड 9 में हनीफ भाटी के घर से शीलयास के घरत तक सीसी सड़क मय नाली निर्माण	मुकन्दगढ़	2949-54	02-07-2005	50000	41929	02/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
26	गढ के सामने से सलीम निसार के घर तक डब्ल्यू बीएम सड़क निर्माण	मुकन्दगढ़	2949-54	02-07-2005	25000	21950	05/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
27	वार्ड 2 में रिछपाल के घर से खेताराम चेजारा गेस्ट हाउस तक डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण	मुकन्दगढ़	2949-54	02-07-2005	49000	44974	10/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
28	वार्ड 9 नवलगढ़ चन्द्रभान नायक के घर से उत्तरी पूर्वी रास्ते में सीसी रोड मय नाली निर्माण	नवलगढ़	2949-54	02-07-2005	50000	36569	30/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
29	नवलगढ़ वार्ड 23 मालीराम मास्टर के घर से ओमप्रकाश के घर तक सीसी रोड मय नाली निर्माण	नवलगढ़	2949-54	02-07-2005	50000	39687	30/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
30	नवलगढ़ वार्ड 23 ज्ञानचन्द के घर से बिहारी के घर तक सीसी रोड मय नाली निर्माण	नवलगढ़	2949-54	02-07-2005	50000	39723	30/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	नवलगढ़ वार्ड 15 मुन्सी लुहार के घर से बारूदागाराम मस्जिद तक डब्लूयूबीएम सड़क	नवलगढ़	2949-54	02-07-2005	75000	70502	08/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
32	वार्ड 20 में अब्दुल एवं युसुफ के घर आनन्दराम भगवान के घर तक नाली निर्माण	नवलगढ़	2949-54	02-07-2005	50000	46407	05/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
33	वार्ड 22 में इकबाल के जिन्दरान के घर से वार्ड 19 माजिद व याकूब के घर तक डबलयूबीमएम सड़क निर्माण	नवलगढ़	2947-54	02-07-2005	100000	37986	30/07/2006	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
34	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण हुक्मीचंद की दुकान से जगदीश के घर होते हुए माधलपुरिया घर तक	नवलगढ़	2399-2403	21-06-2005	100000	61600	30/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
35	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण रा.उ.प्रा.वि. से मख्ख्न से घर होते हुए अम्बेडकर पार्क तक वार्ड 23	नवलगढ़	2399-2403	21-06-2005	100000	66809	02/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
36	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण बिरोल रोड प्रभुदयाल की दूकान से रामनिवास के घर तक	नवलगढ़	2399-2403	21-06-2005	100000	78703	02/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
37	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण गोदारा पीसीओ से नरोतम बोहरा व नरोतम शर्मा के घर तक वार्ड 28	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	50000	24071	30/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
38	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण वार्ड 5 व 30 के मध्य जयपुरिया स्कूल सीकर-झुन्झुनूं रोड रास्ता तक	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	98000	74408	18/04/2006	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
39	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण जयपुरिया स्कूल सड़क से वीर बालाजी रास्ते तक नवलगढ़	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	50000	46988	18/04/2006	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
40	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण वार्ड 12 सुलेमान के घर से सफी गाजी के घर तक	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	50000	38615	30/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
41	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण वार्ड 29 मेघवालों के मौ. में विभिन्न रास्तों में नवलगढ़	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	150000	70627	08/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
42	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण वार्ड 20 व 21 के मध्य जमालु खिरोडिया के घर से विश्वनाथ के घर तक	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	50000	43182	30/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण वार्ड 13 सकूरजी के घर से अब्दुल रहमान के घर तक नवलगढ़	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	50000	26746	29/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
44	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण वार्ड 16 मंगतु असवाल के घर से सम्पत चावला से घर तक	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	50000	44744	30/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
45	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण वार्ड 16 गणपत के घर से मातादीन के घर होते हुए जोखीराम तक	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	100000	75518	01/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
46	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण वार्ड 25 कोठी रोड से जयसिंह वकील के घर तक	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	50000	38231	30/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
47	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण वार्ड 25 इकबाल बिसापती के घर से बाबूलाल मणीयार के घर तक	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	50000	38000	30/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
48	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण वार्ड 25 व 27 के मध्य जकरूदीन की दुकान से कुमावत मौ. तक	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	100000	63492	31/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
49	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण वाल्मिकी मौ. में अब्दुल मौलवी के घर से रामदेव के घर तक	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	50000	46775	31/07/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
50	डब्लूयूबीएम सड़क निर्माण वाल्मिकी मौ. में विजय के घर से सामु. भ. व महावीर के घर तक	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	100000	94796	01/08/2005	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
51	पोदार गेट सब्जी मण्डी तक सीसी रोड मय नाली निर्माण नवलगढ़	नवलगढ़	2399-403	21-06-2005	150000	119778	16/02/2006	पूर्ण	सा.नि.वि. झुन्झुनूं	
2006-07										
1	रा.मा.वि. निवाई में हाल निर्माण	निवाई	3932-38	26-06-2006	500000	495994	04/08/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत निवाई	
2	सोटवारा में मुख्य चौक से अजीतपुरा रास्ते में सीसी रोड निर्माण	सोटवारा	3932-38	26-06-2006	250000	250000	15/03/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत सोटवारा	
3	ग्राम बलवन्तपुरा से नाहर सिंघानी रास्ते में ग्रेवल सड़क निर्माण	चेलासी	8562-62	05-10-2006	600000	534685	14/07/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत चेलासी	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ग्राम टोडपुरा मे चिराना रोड पर कटाव रोकने हेतु सुरक्षा दीवार निर्माण	टोडपुरा	6290-300	19-08-2006	150000	147770	15/11/2006	पूर्ण	ग्राम पंचायत टोडपुरा	
5	ग्राम मारूखा जोहड में समाज कल्याण भवन निर्माण	घोडीवारा खुर्द	5513-20	25-07-2006	230000	230000	15/05/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत घोडीवारा खुर्द	
6	ग्राम कैरू में नाहरासिघानी रास्ता में हरिराम शेषमा के खेत से ग्रेवल सड़क निर्माण	कैरू	7576-83	19-09-2006	200000	199993	25/01/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत कैरू	
7	गोदारा की ढाणी में सामुदायिक विकास भवन निर्माण	चेलासी	120961-66	21-11-2006	236000	236000	27/08/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत चेलासी	
8	ग्राम बिरोल में नवलगढ़ से गुढा रोड बस स्टेण्ड पर सीमेन्ट सड़क मय नाली निर्माण	बिरोल	15081-87	17-01-2007	200000	200000	31/03/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत बिरोल	
9	ग्राम पुजारी की ढाणी में शिभूराम दुत की ढ़ाणी के पास सामुदायिक विकास भवन निर्माण	परसरामपुरा	17138-41	21-02-2007	125000	125000	23/06/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत परसरामपुरा	
10	ग्राम पुजारी की ढाणी में ऊंकार पूनिया की ढाणी के पास सामुदायिक विकास भवन निर्माण	परसरामपुरा	17142-41	21-02-2007	125000	124976	23/06/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत परसरामपुरा	
11	ग्राम चारा का बास रास्ते में शिव मंदिर के पास ट्यूब वैल निर्माण	खिरोड़	17142-45	27-09-2006	416000	416000	20/11/2005	पूर्ण	जन.स्वा.अभि.वि.न.ख. झुन्झुनूं	
12	ग्राम खिरोड़ में गौशाला के पास ट्यूबवैल निर्माण विद्युतीकरण कार्य	न.पा. नवलगढ़	8302-06	27-09-2006	446000	446000	20/11/2005	पूर्ण	जन.स्वा.अभि.वि.न.ख. झुन्झुनूं	
13	न.पा. नवलगढ़ में अम्बेडकर चोक में ट्यूब निर्माण मय विद्युती कनेक्शन, मोटर एवं फिटिंग कार्य	नवलगढ़	8302-06	16-03-2006	350000	325000	08/05/2007	पूर्ण	जन.स्वा.अभि.वि.न.ख. झुन्झुनूं	
14	नवलगढ़ वार्ड 2 में रामेश्वर पूनियां के घर से मुख्य रास्ते तक सी.सी. रोड निर्माण	नवलगढ़	19142-45	06-10-2006	150000	136564	20/12/2006	पूर्ण	सा.नि.वि. झुंन्झुनूं	
15	नवलगढ़ में नाहरसिंह पार्क से वैद्यजी की दुकान तक सी.सी. रोड निर्माण	नवलगढ़	8550-7	06-10-2006	84000	72772	20/12/2006	पूर्ण	सा.नि.वि. झुंन्झुनूं	
16	नवलगढ़ में मोर अस्पताल से सीताराम के घर तक डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण	नवलगढ़	8550-57	06-10-2006	40000	37738	20/12/2006	पूर्ण	सा.नि.वि. झुंन्झुनूं	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	नवलगढ़ वार्ड 27 निजाम तगाला के घर से इस्माईल खां व ईकबाल के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण	नवलगढ़	8550-57	06-10-2006	76000	65866	20/12/2006	पूर्ण	सा.नि.वि. झुंन्झुनूं	
18	मुकन्दगढ़ वार्ड नं. 17 श्मशान की चारदीवारी	न.पा मुकन्दगढ़	2514-19	30-10-2006	150000	150000	28/1/2000	पूर्ण	नगरपालिका मुकन्दगढ	
वर्ष 2007-2008										
1	देवगांव नूआं में किरानाणा जोहड़ में सामु. विकास भवन निर्माण	देवगांव नूआं	8822-31	09/08/2007	130000	130000	30/11/2007	पूर्ण	ग्राम पं. देवगांव नूआं	
2	परसरामपुरा में कोलिया में सामु. विकास भवन निर्माण	परसरामपुरा	4871-78	08/06/2007	130000	130000	05/11/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत परसरामपुरा	
3	परसरामपुरा में चत्तरशाल की ढाणी में सामु. विकास भवन निर्माण	परसरामपुरा	4871-78	08/06/2007	130000	130000	05/11/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत परसरामपुरा	
4	परसरामपुरा में छोटा नाड़्या मं सामु. विकास भवन निर्माण	परसरामपुरा	4871-78	08/06/2007	130000	130000	05/11/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत परसरामपुरा	
5	बलवन्तपुरा में हरि. मौ. में सामु. विकास भवन निर्माण	चेलासी	4871-78	08/06/2007	130000	130000	31/01/200	पूर्ण	ग्राम पंचायत चेलासी	
6	झाझड में हरि. मौ. उतरादा में. सामु. विकास भवन निर्माण	झाझड	4865-70	08/06/2007	130000	130000	30/09/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत झाझड	
7	डूमरा में कब्रिस्तान की चार दिवारी निर्माण	डूमरा	4865-70	08/06/2007	50000	49993	15/09/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत डूमरा	
8	डूमरा में हरिजन शमशान भूमि की चार दिवारी निर्माण	डूमरा	4865-70	08/06/2007	50000	49979	30/09/2007	पूर्ण	ग्राम पंचायत डूमरा	
9	ग्राम जाखल में अली मौ. के घर होते हुए अयूब के घर तक सीसी रोड निर्माण	जाखल	14549-66	13/11/2007	100000	66000	29/01/208	पूर्ण	सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़	
10	ग्राम जाखल में समसुदीन मणियार के घर से मुख्य रास्ते तक सीमेंट सड़क मय नाली निर्माण	जाखल	14549-66	13/11/2007	50000	37000	29/01/2008	पूर्ण	सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ग्राम इूण्डलोद में सले मोहम्मद के घर से बालाजी मंदिर तक सीसी सड़क निर्माण		1449-66	13/11/2007	94000	83000	29/1/2008	पूर्ण	सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़	
12	चारण की ढाणी में परसरामपुरा रोड से धोलाखेडा रोड के बीच डब्ल्यूबीएम रोड निर्माण	परसरामपुरा	6733-39	13/11/2007	200000	170000	28/1/008	पूर्ण	ग्राम पंचायत परसरामपुरा	
13	न.पा. नवलगढ़ के छोटा बस स्टेण्ड कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण	न.पा. नवलगढ़	1459-66	13/11/2007	100000	100000	23/1/2008	पूर्ण	नगरपालिका नवलगढ़	

परिशिष्ट 'ब'

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत श्री शीशराम ओला सांसद (लोकसभा) के कोटे से स्वीकृत कार्यो की सूची दिनांक 01-04-2004 से 31-01-08 तक

2007-08

1	बिरोल में हरिजन मौहल्ले में सामु. विकास भवन, निर्माण	बिरोल	4871-78	08/06/2007	130000	110000		चालू	ग्राम पंचायत बिरोल	कार्य गुणवत्ता की शिकायत जांच होने के कारण कार्यकारी संस्था ने कार्य बंद कर दिया। वर्तमान में कार्य चालू है।
2	ग्राम बुगाला में अजाडी कला पुराना रास्ते में ग्रेवल सड़क निर्माण	बुगाला	14549-66	13/11/2007	150000	11000		चालू	ग्राम पंचायत बुगाला	नव स्वीकृत
3	ग्राम जाखल में मस्जिद के पास उच्च जलाशय निर्माण कार्य	जाखल	14549-66	13/11/2007	500000			चालू	जन स्वा. अभि. वि.न.ख. झुन्झुनूं	नव स्वीकृत
4	न.पा. नवलगढ़ क्षेत्र में मदीना नगर में उच्च जलाशय निर्माण	न.पा. नवलगढ़	14549-66	13/11/2007	700000			चालू	जन स्वा. अभि. वि.न.ख. झुन्झुनूं	नव स्वीकृत
5	ग्राम जाखल में बुगाला रोड पर ट्यूबवैल निर्माण	जाखल	20013-18	26/12/2007	360000	275000		चालू	जन स्वा. अभि. वि.न.ख. झुन्झुनूं	नव स्वीकृत
6	ग्राम इूण्डलोद में कुमावत मौहल्ले में ट्यूबवैल निर्माण	इूण्डलोद	20013-18	26/12/2007	184000			चालू	जन स्वा. अभि. वि.न.ख. झुन्झुनूं	नव स्वीकृत

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ग्राम पबाना मुस्लिम मौहल्ले में ट्यूबवैल निर्माण	पबाना	20013-18	26/12/2007	360000	260000		चालू	जन स्वा. अभि. वि.न.ख. झुन्झुनूं	नव स्वीकृत
8	ग्राम जेजूसर में पुनाणां जोहड श्मशान भूमि की चार दिवारी निर्माण	जेजूसर	14549-66	13/11/2007	150000	0		चालू	सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़	नव स्वीकृत
9	ग्राम केमरी की ढाणी चुनालाल, ज्ञानाराम के खेत से खिरोड रास्ता में ग्रेवल सड़क निर्माण	खिरोड	14549-66	13/11/2007	200000	100000		चालू	सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़	नव स्वीकृत
10	ग्राम गोठडा से ओला की ढाणी रास्ता में ग्रेवल सड़क	गोठडा	14549-66	13/11/2007	200000	43000		चालू	सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़	नव स्वीकृत
11	ग्राम झाझड में मदन सिंह के खेत के पास डामर सड़क से आगे ढाणी तक ग्रेवल सड़क निर्माण	झाझड	14549-66	13/11/2007	159000	51000		चालू	सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़	नव स्वीकृत
12	ग्राम डूण्डलोद में धन्नाराम जांगिड के घर से गफूर हाजी के नोहरे तक सीमेंट सड़क	डूण्डलोद	20013-18	26/12/2007	94000			चालू	सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़	नव स्वीकृत
13	डूडियों की ढाणी में सामु. विकास भवन निर्माण	देवगांव नूआं	20013-18	26/12/2007	125000			चालू	ग्राम पंचायत देवगांव नूआं	नव स्वीकृत
14	चिराना में चेच्यांवाली ढाणी स्टैण्ड से बावरिया की ढाणी रास्ता में ग्रेवल सड़क निर्माण	चिराना	8201-06	01/08/2007	200000			बन्द	ग्राम पंचायत चिराना	मा. सांसद महोदय द्वारा कार्य को निरस्त करने की अनुशंषा प्राप्त होने पर मार्गदर्शन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।
15	देवीपुरा में ऊंकार बलाई के खेत से फगेडिया की ढाणी रास्ता में ग्रेवल सड़क निर्माण	चिराना	8201-06	01/08/2007	200000			बन्द	ग्राम पंचायत चिराना	मा. सांसद महोदय द्वारा कार्य को निरस्त करने की अनुशंषा प्राप्त होने पर मार्गदर्शन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	खिरोड से बेरी सीमा से नाड़्य जोहड रास्ता में ग्रेवल सड़क निर्माण	खिरोड	8201-06	01/08/2007	200000			बन्द	ग्राम पंचायत खिरोड	मा. सांसद महोदय द्वारा कार्य को निरस्त करने की अनुशंषा प्राप्त होने पर मार्गदर्शन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।
17	ग्राम जाखल में आलूसरी जोहडी खेल मैदान के पास कमरा निर्माण	जाखल	14549-66	13/11/2007	100000			पुनः निविदा	सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़	नव स्वीकृत
18	ग्राम नाहरसिंघानी में हरि. बस्ती में सामु. विकास भवन की चारदीवारी निर्माण	पबाना	4871-78	08/06/2007	50000			चालू नहीं	ग्राम पंचायत पबाना	कार्यकारी एजेन्सी के नकारात्मक रुख के कारण कार्य चालू नहीं हो सका। वर्तमान में ग्राम पंचायत सचिव को बदला गया है। शीघ्र ही कार्य शुरू कर सम्पादित करवा दिया जावेगा।

कुशलगढ़ में ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत आबंटित आवासों का लम्बित भुगतान

71. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना मद से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोगों (महिलाओं) को वर्ष 2005-06 में आवास आबंटित किये गये? आबंटितों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 25 हजार रुपये प्रति आवास स्वीकृत कर 15-15 हजार रुपये का भुगतान किया गया व 10-10 हजार मूल्य के गेहूं देने थे, जो अब तक नहीं दिये गये?

(3) क्या सरकार आवास पेटे शेष गेहूं व नगद भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के प्रावधानों में आवास निर्माण कार्य अनुमत नहीं है। अतः इस योजनान्तर्गत कोई आवास आबंटित नहीं किया गया।

(2) उत्तर अपेक्षित नहीं है।

(3) उत्तर अपेक्षित नहीं है।

जायल (नागौर) पंचायत समिति क्षेत्र की बी.पी.एल. सूचियों की पुनरीक्षण

72. श्री जयराम जाटव (खैरथल) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा पंचायत समिति जायल जिला नागौर की ग्राम पंचायतों में बी.पी.एल. सूचियों का अन्तिम पुनरीक्षण कब किया गया?

(2) क्या यह सही है कि अन्तिम पुनरीक्षण में प्रत्येक ग्राम पंचायत में भारी गडबड़ियों की गई हैं? जिससे जो व्यक्ति अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. में आते थे उन्हें काट दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत की क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(श्री जयराम जाटव)

(4) उक्त सूची बनाने में गडबड़ी करने वाले कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या सरकार गडबड़ी/शिकायत पाये जाने वाली ग्राम पंचायतों में पुनः सूची बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति जायल जिला नागौर की ग्राम पंचायतों में बीपीएल सूचियों का अन्तिम पुनर्निरीक्षण 31 मार्च, 2007 तक किया गया।

(2) जी नहीं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुनः निरीक्षण में किसी भी तरह की गडबड़ियां नहीं की गई। पुनः निरीक्षण में सघन जांच की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार जो सही पाये गये उसको बीपीएल सूची में जोड दिया गया एवं जो गलत पाये गये उनको बीपीएल सूची में से हटा दिया गया।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। उक्त सूची बनाने में किसी भी कार्मिक द्वारा कोई गडबड़ी नहीं की गई।

(5) जी नहीं। जब कोई गडबड़ी नहीं पाई तो पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। सूची के विरुद्ध सतत द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है यदि किसी को आपत्ति हो तो नाम जोड़ने व हटाने दोनों के लिए अपील की जा सकती है।

कृषि विपणन बोर्ड में कार्यरत कार्मिकों के परियोजनों को आबंटित निर्माण कार्य

73. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में वर्ष 2006-07 व 2007-08 में टर्मिनल मार्केट जयपुर में क्या-क्या कार्य किन-किन ठेकेदारों से कितनी-कितनी राशि के कराये गये? ठेकेदार का नाम, पते व श्रेणी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लोक निर्माण वित्तीय एवं नियमों के तहत उन लोगों को ठेके नहीं दिये जा सकते जिनके रिश्तेदार, परिजन उस विभाग के मुखिया हों अथवा वहां काम करते हों?

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(3) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदारों के रिश्तेदार एवं परिजन बोर्ड में कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या ऐसे ठेकेदारों को दिये गये ठेके लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखानियमों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) टर्मिनल मार्केट खण्ड कार्यालय के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में (जनवरी 2008 तक) आबंटित कार्यों की सूची, राशि एवं संवेदक के पते सहित विवरण परिशिष्ट अ-1 से अ-4 पर संलग्न है।

(2) लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा, नियम के भाग II के अनुबन्ध की धारा 41 के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं खण्डीय लेखाकार के परिजन एवं निकटतम रिश्तेदारों को कार्य आबंटित नहीं किया जा सकता है। (परिशिष्ट 'ब' संलग्न है)। परिशिष्ट XVI में संवेदक के पंजीकरण के नियमों के अनुसार संवेदक जो अभियांत्रिकीय, लेखा, लिपिक वर्गीय तथा अधीनस्थ आदि के निकट सम्बन्धी है, संविदा देने और उसके निष्पादन के लिए उत्तरदायी अधिकारी के क्षेत्राधिकार में, जहां उनके निकट सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं, कार्यों के लिए निविदा करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी (संलग्न परिशिष्ट 'स')

(3) जी नहीं, अत: प्रश्न का शेष भाग नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में निजी कम्पनियों द्वारा की गई खरीद से प्राप्त राजस्व

74. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(1) प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मण्डियों, गौण मण्डियों व सब्जी मण्डियों में वर्ष 2007-08 में कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ? मण्डीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में संचालित कृषि उपज मण्डियों के अलावा निजी कम्पनियों द्वारा कहां-कहां पर किस-किस कृषि उपज की खरीद की जा रही है व इन कम्पनियों द्वारा कब से प्रदेश में कार्य किया जा रहा है? वर्ष 2007-08

(श्री भरत सिंह)

में की गई कुल खरीद व इससे प्राप्त राजस्व का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों/गौण मण्डियों व सब्जी मण्डियों में वर्ष 2007-08 में जनवरी, 2008 तक प्राप्त आय कार्य विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में निजी कम्पनियों द्वारा वर्ष 2007-08 में जनवरी, 2008 तक मण्डी प्रांगणों के अलावा खरीद की गई उपज एवं उससे प्राप्त मण्डी शुल्क का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-20 का विवरण)

परिशिष्ट ''अ''

विगत पांच वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में हुई वृद्धि का वर्षवार विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि (मेगावाट में)
1.	2003	469.16
2.	2004	253.31
3.	2005	157.50
4.	2006	305.55
5.	2007	686.00
	योग :	**1871.52**